कार्यालय निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची

डोरंडा बाजार पानी टंकी परिसर, प्रथम तल, डोरंडा बाजार, राँची–834002 फैक्स नं.–0651–2481593

पत्र संख्या: ....512....../SBM (G) दिनांक : 31/5/16

प्रेषकः **राजेश कुमार शर्मा, भा.प्र.से.**
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0)
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

Email

सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड।

विषयः स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) के अन्तर्गत निर्माण किये जा रहे शौचालयों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए दिशा–निर्देश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कहना है कि दिनांक 3 मई 2016 को कार्यपालक अभियन्ता एवं जिला समन्वयक, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा INGOs के प्रतिनिधियों के साथ गुणवत्तापूर्ण शौचालयों के निर्माण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में शौचालय निर्माण के तकनीकी पहलुओं पर सभी के द्वारा विचार–विमर्श कर गुणवत्तापूर्ण शौचालयों के निर्माण पर सहमति बनायी गई। यह निर्णय लिया गया कि शौचालय निर्माण के तकनीकी पहलुओं पर एक दिशा–निर्देश जारी किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) के मार्गदर्शिका में शौचालय निर्माण के संबंध में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति तथा लाभुक द्वारा निर्णय लिये जाने की स्वतंत्रता के संबंध में दिशा–निर्देश हैं परन्तु शौचालय निर्माण के तकनीकी पहलुओं पर समरूपता तथा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए यह दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैं। आप सभी से अपेक्षा है कि निम्नलिखित पहलुओं को शौचालय निर्माण के दौरान तथा राजमिस्त्री प्रशिक्षण के दौरान सुनिश्चित किया जाय तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि शौचालय का निर्माण केवल प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों के द्वारा ही किया जाय।

शौचालय निर्माण से पूर्व उपयुक्त स्थल का चयन एवं ले–आउट लिया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा शौचालय निर्माण का क्रम नीचे से उपर की ओर हो (लीच पीट से सुपर स्ट्रक्चर तक)। ध्यान रहे कि शौचालय को घर के नजदीक अथवा घर की दीवार से लगकर बनाया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि शौचालय का निर्माण हमेशा घर से दूर ही किया जाय।

इन प्रत्येक चरणों से संबंधित निम्नलिखित तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखा जाय।

(क) लीच पीट तथा ढक्कन का निर्माण

(ख) शौचालय क चबुतरे का निर्माण, पैन–ट्रैप को फिक्स करना तथा जंक्शन चेम्बर/वाई चेम्बर का निर्माण

(ग) शौचालय के उपरी ढाँचे, पानी की टंकी एवं छत का निर्माण

(घ) आसानी से खुलने एवं बंद होने वाले दरवाजे लगाना तथा शौचालय का रंग–रोगन।

कृ0पृ0उ0..

स्वच्छ भारत

(क) लीच पीट तथा ढक्कन का निर्माण

(i) प्रत्येक शौचालय में दो लीच पीट का निर्माण अनिवार्य है। दोनों लीच पीट की गहराई 3 फीट तथा लीच पीट की गोलाई का व्यास भीतर ओर 3 फीट होना अनिवार्य है तथा किसी भी हालात में लीच पीट की गहराई 3 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिये इससे जल स्रोत दूषित हो सकता है।

(ii) लीच पीट की सतह को कच्चा रखा जाना है (प्लास्टर नहीं किया जाय) तथा नीचे का पहला रददा 10 ईंच (खड़ा ईंट) का होगा उसके बाद 5 ईंच की जोड़ाई अधिकतम 1 ईंच का अन्तर रखकर करना है।

(iii) ध्यान रहे कि यह जोड़ाई गोलाकार होनी चाहिये तथा प्रत्येक दो इंटों के मध्य आधा से एक ईंच की जालीदार जोड़ाई की जानी है।

(iv) लीच पीट के सबसे उपरी रददे की भी बिना जालीदार जोड़ाई किया जाना है। इसी रददे पर जंक्शन चेम्बर से आने वाला पाईप फिक्स करना है ताकि पाईप से नीचे लीच पीट की गहराई 3 फीट सुनिश्चित की जा सके।

(v) लीच पीट की जोड़ाई में उपयोग किये जाने वाले सिमेंट–बालू का मिश्रण 1 : 6 के अनुपात में बनाना है।

(vi) लीच पीट के लिए आर.सी.सी. रिंग का भी प्रयोग किया जा सकता है किन्तु रिंग में लीचिंग की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना होगा। यह ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के रिंग एक घन मीटर से अधिक के न हों।

(vii) किसी भी स्थिति में दोनों लीच पीट के बीच की दूरी 3 फीट से कम न हो तथा दोनों लीच पीट पेयजल स्रोत से कम से कम 10 मीटर (30 फीट) की दूरी पर हो।

(viii) लीच पीट को ढँकने के लिए बनाये जाने वाले ढक्कन को आर.सी.सी. से बनाया जाना है तथा इसकी मोटाई ढाई ईंच होना अनिवार्य है। लीच पीट के ढक्कन के निर्माण में 6 मी.मी. छड़ का प्रयोग करना है तथा प्रत्येक ढक्कन में छड़ के दो घेरों के साथ बनाना है।

(ख) शौचालय का चबुतरे का निर्माण, पैन–ट्रैप को फिक्स करना तथा जंक्शन चेम्बर/वाई चेम्बर का निर्माण

(i) शौचालय के चबुतरे का निर्माण लीच पीट से अधिकतम 3–4 फीट की दूरी पर किया जाना है, चबुतरे का आकार वर्गाकार होगा जिसकी लम्बाई–चौड़ाई 3.5 x 3 फीट भीतर के माप से हो।

(ii) चबुतरे का स्थान लीच पीट से न्यूनतम 9 ईंच की उँचाई पर हो तथा चबुतरे की जोड़ाई 3 रददा 10 ईंच की जोड़ाई से करनी है।

(iii) चबुतरे पर रूरल पैन, पी–ट्रैप एवं पाँवदान लगाना है। ग्रामीण पैन 17 से 19 ईंच की लम्बाई वाली होनी चाहिए।

(iv) पैन को चबुतरे की पिछली दीवार से 9 ईंच की दूरी पर तथा बाईं एवं दायीं ओर से एक–एक फीट छोड़कर मध्य में लगाना है। पी–ट्रैप से 4 ईंच गोलाई का पी.वी.सी. पाईप जंक्शन चैम्बर तक लगाना है।चबुतरे की पिछली बाहरी दीवार से सटाकर 1फीट x 1 फीट वर्गाकार जंक्शन चेम्बर बनाना है। जंक्शनचेम्बर की गहराई न्यूनतम 6 ईंच होनी आवश्यक है।

(v) जंक्शन चेम्बर से दो 4 ईंच गोलाई की पी.वी.सी. पाईप जिनकी लम्बाई 3 फीट हो उससे दोनों लीच पीट को जोड़ा जायेगा। पाईप लीच पीट के उपरी रददे में फिक्स करना है तथा पाईप के नीचे लीच पीट की गहराई 3 फीट होनी चाहिये।

(vi) जंक्शन चेम्बर के एक पाईप को कच्ची जोड़ाई कर छोड़ देना है तथा दूसरे पाईप से एक गडढे की तरण मल निकासी की व्यवस्था करनी है। जंक्शन चेम्बर का वर्गाकार ढक्कन 1 x 1 फीट आर.सी.सी. द्वारा तैयार कर ढँकना है एवं आस–पास की मिट्टी से उसे ढँक देना है। इसी प्रकार दोनों गडढों के ढक्कन को भी दोनों लीच पीट पर रखकर मिट्टी से किनारों की तरफ अच्छी तरह से ढँक देना है ताकि बाहर का पानी भीतर न जा सके।

कृ०पृ०उ०..

(vii) पैन, वाटर सील (पी–ट्रैप), जंक्शन बॉक्स को फिक्स करने से पहले पानी डालकर ढलान एवं वाटर शील की जाँच कर लें।

(ग) शौचालय के उपरी ढाँचे, पानी की टंकी एवं छत का निर्माण

(घ) आसानी से खुलने एवं बंद होने वाले दरवाजे लगाना तथा शौचालय का रंग–रोगन।

सभी कार्यपालक अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले में लीच पीट वाले शौचालय के निर्माण को प्रोत्साहित करना है तथा सेप्टिक टैंक वाले शौचालय के निर्माण से बचना है। ध्यान रहे कि 12000/–रूपये शौचालय निर्माण की राशि न होकर प्रोत्साहन राशि है। अतः लाभुक यदि अतिरिक्त राशि लगाकर और बेहतर शौचालय का निर्माण करना चाहता है तो उसे प्रोत्साहित किया जाय। जल जमाव वाले क्षेत्रों में बायो डाईजेस्टर तकनीक (DRDO तकनीक अनारोबिक पद्धति युक्त) का शौचालय एक बेहतर विकल्प हो सकता है जिसे प्रोत्साहित किया जा सकता है।

विश्वासभाजन
31/5/16

(राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

Email
ज्ञाप संख्याः SBM(G)/Mass Media-33/16 512/SBM (G) दिनांक : 31/5/16
प्रतिलिपिः श्री संजीव झा, GSF, झारखण्ड/श्री सुमन्त्रो मुखर्जी, WaterAid, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

Emai
ज्ञाप संख्याः SBM(G)/Mass Media-33/16 512/SBM (G) दिनांक : 31/5/16
प्रतिलिपिः श्री कुमार प्रेमचन्द, WASH Specialist, यूनिसेफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक IEC material/ Checklist तैयार करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

Email
ज्ञाप संख्याः SBM(G)/Mass Media-33/16- 512/SBM (G) दिनांक : 31/5/16
प्रतिलिपिः सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

Email
ज्ञाप संख्याः SBM(G)/Mass Media-33/16- 512/SBM (G) दिनांक : 31/5/16
प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

कार्यालय, निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची

डोरंडा बाजार पानी टंकी परिसर, प्रथम तल, डोरंडा, राँची.834002 फैक्स/न. 0651–2481593 email-sbmg.jhar@gmail.com

पत्र संख्याः SBM(G)-98/09(Part-II)- 546 /SBM(G) दिनांक : 10-06-16

प्रेषकः **राजेश कुमार शर्मा** (भा०प्र०से०)
निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

सेवा में,
सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड।

विषयः **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्राम पंचायत व प्रखण्ड स्तर पर हो रही प्रचार प्रसार व स्वच्छता मांग गतिविधियों के संचालन व शौचालय निर्माण के संबंध में।**

प्रसंग : **कार्यालय का पूर्व पत्रांक NBA(TSC)-98/09 (part-I) 1651/SWSM दिनांक 30.09.15**

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में उल्लेख है कि झारखण्ड में शौचालय निर्माण का कार्य ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के अलावा, अन्य विकल्पों से भी हो रहा है। इस सन्दर्भ में पूर्व में प्रेषित प्रांसगिक पत्र में स्पष्ट निर्देशित है कि –

1. पंचायत में स्थित SHG या SHG से समतुल्य Watershed group; Fisherman Group, Pacs/ Lamps Group, कृषक क्लब– नाबार्ड या अन्य जो भी ग्रुप कार्यरत हों, से करवाया जा सकता है; इसमें ग्रुप से कार्य कराते वक्त इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि ग्रुप कम से कम graded हो तथा बैंक के साथ कारोबार में महारथ हो तथा कम से कम एक वर्ष पुराना हो।
2. लाभार्थियों को स्वतः प्रेरित कर निर्माण कराया जाए तथा प्रोत्साहन राशि सीधे लाभुक के खाते में हस्तांतरित की जाए।

उक्त सम्बन्ध में पुनः कहना है कि लोहरदगा, देवघर इत्यादि जिलों में SHG फेडरेशन द्वारा भी प्रचार प्रसार व शौचालय निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसका बेहतर परिणाम सामने आया है।

आपके जिलें में यदि इस प्रकार के SHG फेडरेशन कार्य कर रहे है तो उनको भी इस कार्य में जोड़ा जाए तथा शौचालय निर्माण के लिए प्रेरक को मिलने वाली राशि भी SHG के बैंक खाते में e-transfer भी की जाए।

विश्वासभाजन
10/6/16

(राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

P.T.O.

ज्ञापांकः SBM(G)-98/09(Part-II)- 546 /SBM(G) दिनांक : 10-06-16

प्रतिलिपिः सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन प्रकल्प, झारखण्ड/सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/6/16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः SBM(G)-98/09 (Part-II)- 546 /SBM(G) दिनांक : 10-06-16

प्रतिलिपिः सरकार के उप सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

10/6/16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

कार्यालय, निदेशक

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची

डोरंडा बाजार पानी टंकी परिसर, प्रथम तल, डोरंडा, राँची 834002 फैक्स / नं. 0651–2481593 email-sbmg.jhar@gmail.com

पत्र संख्याः SBM(G)/राज्य यो० मद से शौ० नि०-III/16-589/SBM(G) दिनांक : 24-06-16

प्रेषकः **राजेश कुमार शर्मा** (भा०प्र०से०)
निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

सेवा में,

1. सभी उपायुक्त–सह– अध्यक्ष
   जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड।
2. सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव
   जिला जल एवं स्वच्छता मिशन प्रकल्प, झारखण्ड।

विषयः **क्षतिग्रस्त शौचालयों के पुनः निर्माण करने का प्रस्ताव भेजने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उल्लेख है कि वित्तीय वर्ष 2014–15; 2015–16 में IMIS में ODF हो चुकी ग्राम पंचायतों व इस वर्ष ODF हेतु लक्षित प्रखण्डों में, पूर्व में TSC/NBA के तहत निर्मित शौचालय जो, वर्तमान में क्षतिग्रस्त हो गए व उपयोग के लायक नहीं रहें के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रतिवेदन व प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को संलग्न प्रारूप में दिनांक 05.07.2016 तक भेजना सुनिश्चित किया जाए; जिससे उनका पुनः निर्माण करवा कर उक्त ग्राम पंचायतों को वास्तविक रूप से ODF किया जा सके।

साथ ही प्रस्ताव भेजने से पूर्व क्षतिग्रस्त शौचालयों की नामवार विस्तृत इन्ट्री SBM(G) के IMIS में पूर्ण कर ली जाए।

24-6-16

(राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्या : SBM(G)/राज्य यो० मद से शौ० नि०-III/16-589, दिनांकः 24-06-16
प्रतिलिपि : सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24-6-16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्या : SBM(G)/राज्य यो० मद से शौ० नि०-III/16-589, दिनांकः 24-06-16
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

24-6-16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

KASHI/SBM(G)/ June

क्र स	प्रखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	ODF होने का वर्ष	कुल परिवार IMIS बेसलाईन सर्वे 2012	2 अक्टुबर 2014 के पूर्व कुल निर्मित शौचालय	क्षतिग्रस्त शौचालय की संख्या	क्षतिग्रस्त शौचालयों की IMIS Entry की संख्या	कितने IHHL म.गा. नरेगा से किए जायेंगे	कितने IHHL 14वें वित्त आयोग से किए जायेंगे	कितने IHHL विधायक निधि से किए जायेंगे	कितनी IHHL हेतु राज्य योजना से पृथक राशि की आवश्यकता है	SBM(G) अंतर्गत निर्मित शौचालय संख्या	प्राक्कलित न्यूनतम राज्य योजना से राशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
5															

हस्ताक्षर

कार्यपालक अभियंता

हस्ताक्षर

उपायुक्त

KASHI/SBM(G)/ June

आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्र संख्याः SBM(G)/IHHL स्वतः निर्माण-114/16-712 / SBM-G, दिनाक : 25-07-16

प्रेषकः **अमरेन्द्र प्रताप सिंह,** (भा०प्र०से०)
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

सेवा में,
सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड।

Email

विषयः **व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में लाभुक द्वारा स्वतः निर्माण को प्रोत्साहित करने तथा सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करने एवं प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से मध्यस्थ/बिचौलियों की भूमिका पूर्णतः समाप्त करने के सम्बंध में।**

प्रसंग :
1. **माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 4 मई 2016 को आयोजित बैठक में देय निर्देश**
2. **कार्यालय के पूर्व पत्रांक 87/P. Sec दिनांक 03.03.2016**
3. **कार्यालय का पूर्व पत्रांक SBM(G)/शिकायत(बोकारो)-61/16-470/SBM(G) दिनांक–05.05.16**

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्रों के माध्यम से विभाग द्वारा बारम्बार निर्देशों के बावजूद अधोहस्ताक्षरी निदेशक एवं अन्य पदाधिकारी आदि के क्षेत्र भ्रमण के दौरान, व अन्य सहयोगी संस्थाओं (Unicef/GSF/Water-Aid आदि) के पदाधिकारियों के क्षेत्र भ्रमण के दौरान एवं विधान मंडल के माननीय सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न एवं शिकायतों (मुख्यमंत्री जनसंवाद) सहित के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि वर्तमान में कई VWSC द्वारा कथित NGO/ मध्यस्थ के माध्यम से मार्गदर्शिका के विरूद्ध कार्य कराया जा रहा है एवं भुगतान भी किया जा रहा है।

2. इस सम्बन्ध में दिनांक 4 मई 2016 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा भी सभी उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिया गया था। कि शौचालय निर्माण का कार्य NGO के माध्यम से नहीं होगा। यह कार्यवाही ज्ञापांक 188/P.Sc. दिनांक 06.05.16 से निर्गत है। छायाप्रति संलग्न है।

3. इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा पूर्व में विभाग के पूर्व पत्रांक–NBA(TSC)-98/09 (Part-I)-1651/SWSM दिनांक 30.09.15 तथा पत्रांक–SBM(G)-98/2009(Part-II)-585/ SBM(G) दिनांक 22.06.16 (सभी पत्र विभागीय वेबसाईट daa.jharkhand.gov से डाउनलोड किए जा सकते है) के द्वारा स्पष्ट निर्देश निर्गत् है कि लाभार्थी द्वारा स्वयं शौचालय निर्माण करें एवं प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित करने का विकल्प अधिक उपयोगी है। इस हेतु विभाग द्वारा एक प्रोफार्मा भी दिया गया था। इस पर कोडरमा/गिरिडीह/सरायकेला जिला द्वारा एक अच्छा प्रारूप तैयार किया गया था जो पत्र के साथ संलग्न कर आपके संज्ञान हेतु दिया जा रहा है।

कृ०पृ०उ०......

4. SBM(G) की मार्गदर्शिका कंडिका–8 एवं 9 तथा 10 में क्रमशः PRI संस्थाओं, समुदाय आधारित संगठनों / NGOs / SHGs तथा CPSUs / कारपोरेट का रोल स्पष्ट है। इसमें सभी का रोल स्पष्ट है। लाभुक को स्वतः निर्माण करना विकल्प प्राथमिक है।

5. लाभुक के चयन में गैर BPL में सीमित परिवार है, यह कंडिका 5.4.2 में स्पष्ट है, Baseline में इसका पालन हुआ प्रतीत नहीं होता है। इस कारण बेसलाईन सही करना है। विस्तृत दिशा निर्देश पत्रांक NBA(TSC)-98/2009(Part-II)-1739/SWSM दिनांक 15.10.15 एवं पत्रांक NBA Online Entry-790/13 (Part-I)224/ SBM(G) दिनांक 13.02.16 से स्पष्ट है।

6. BPL परिवार का चयन भी मानक पर हुआ प्रतीत नही होता है, इस कारण सत्यता आधारित सत्यापन आवश्यक है। शेष कंडिका–5 के अनुरूप स्पष्ट है।

7. आपको पुनः आग्राह किया जाता है कि लाभार्थी द्वारा स्वतः निर्माण को प्राथमिकता दी जाए तथा ऐसे लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु सबसे सुन्दर शौचालय, 'Selfi with my toilet' आदि प्रतियोगिताएं प्रखण्ड व जिला स्तर पर की जा सकती है। इस सम्बन्ध में जिले के स्वच्छ भारत मिशन का ~~फेसबुक~~ Portal पेज Whatsapp नम्बर आदि को भी प्रयोग में लाकर ऐसे व्यक्तियों को आगे लाया जा सकता है। कंडिका–4 के क्रम में SHG इत्यादि को शामिल किया जाय।

ज्ञात रहे कि मध्य प्रदेश, छतीसगढ़ में रक्षा बन्धन पर 'भाई न. वन' प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें भाई बहन को शौचालय बनवाकर उपहार में देकर, उसके मान की रक्षा करता है। आप अपने स्तर से इस प्रकार के अभियान चला कर स्वतः निर्माण व सीधे खाते में राशि हस्तांतरण को प्रोत्साहित कर सकते है। सभी माताओं को अपने बच्चों के स्वस्थ एवं हित हेतु प्रेरित किया जाय।

इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के विभागीय सहयोग की आवश्यकता होने पर आप निदेशक SBM(G) अथवा डॉ0 रवीन्द्र बोहरा, राज्य समन्वयक SBM(G) (9608614325) से भी सम्पर्क कर सकते है।

यह स्मारित रहे कि लाभार्थी द्वारा स्वतः निर्माण, आपका प्रेरक नेतृत्व व प्रभावी अनुश्रवण इस राष्ट्रीय मिशन के सफलता की मूल कुंजी है।

मा० विभागीय मन्त्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

25/07/16

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्याः SBM(G)/IHHL स्वतः निर्माण-114/16-712 /SBM(G) दिनांक : 25-07-16
प्रतिलिपि : UNICEF/Water-Aid/GSF/WSP को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

25/07/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्याः SBM(G)/IHHL स्वतः निर्माण-114/16-712/SBM(G) दिनांक : 25-07-16
प्रतिलिपि : सभी मुख्य अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड/सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड/सभी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता एवं स्वच्छता प्रमंडल, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

Ap 25/07/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्याः SBM(G)/IHHL स्वतः निर्माण-114/16-712/SBM(G) दिनांक : 25-07-16
प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ समर्पित।

Ap 25/07/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्याः SBM(G)/IHHL स्वतः निर्माण-114/16-712/SBM(G) दिनांक : 25-07-16.
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव के आप्त सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ समर्पित।

Ap 25/07/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

कार्यालय, निदेशक

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची

डोरंडा बाजार पानी टंकी परिसर, प्रथम तल, डोरंडा बाजार, राँची–834002 फोन न.–0651–2482876 फैक्स न.–0651–2481593 Email-sbmg.jhar@gmail.com

पत्र संख्याः Sanitary Complex-469/12- 1008 / SBM-G, दिनांक : 24-08-16

प्रेषकः **राजेश कुमार शर्मा,** भा०प्र०से०
निदेशक, SBM(G)
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

Email

1. **सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,**
   जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड।
2. **सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव,**
   जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, झारखण्ड।
3. **सभी अधीक्षण अभियंता,**
   पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड।

विषयः **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा०) अंतर्गत निर्माण किए जा रहे सामुदायिक शौचालय तथा व्यक्तिगत शौचालयों को दिव्यांगजनों के अनुरूप निर्माण करने के संबंध में।**

प्रसंगः **पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक** No.-S-18020/91/2016-SBM **दिनांक 09.08.2016**

महाशय

उपरोक्त प्रासंगिक विषयक पत्र के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के सचिवों के समूह की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित व्यक्तिगत शौचालय (जिन परिवारों में दिव्यांगजन हो) तथा सभी सामुदायिक शौचालयों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया जाये ताकि दिव्यांगजनों को शौचालयों के उपयोग करने में असुविधा का सामना ना करना पड़े। इस संबंध में पेयजल एवं स्वचछता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश *"Technical option for on-site Sanitation & handbook on accessibility of persons with disability"* नामक प्रकाशन में दिए गये है। यह Handbook मंत्रालय के निम्नलिखित लिंक पर देखी जा सकती है।

(i) http://www.mdws.gov.in/handbook-technical-options-site-sanitation

(ii) http://mdws.gov.in/handbook-assessible-household-sanitation-persons-disabilities-pwds

अतः आप सबों से आशा है कि ऐसे सभी शौचालयों में दिव्यांगजनों की सुविधा को सुनिश्चित करेंगे तथा इस परिप्रेक्ष्य में दिव्यांगजनों के अनुरूप शौचालयों के फोटोग्राफ Swachh Jharkhand के Whatapp group में अथवा sbmg.jhar@gmail.com पर अविलंब प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे ताकि इन फोटोग्राफ को भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।

विश्वासभाजन,

(राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

S.K/Aug. **अब नहीं तो कब?**

ज्ञाप संख्या: Sanitary Complex - 469/12 - 1008 /SBM(G) दिनांक : 24-08-16
प्रतिलिपि : सभी जिला समन्वयक जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्या: Sanitary Complex - 469/12 - 1008 / SBM(G) दिनांक : 24-08-16
प्रतिलिपि : अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार को सूचनार्थ समर्पित।

24/8/16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्या: Sanitary Complex - 469/12 - 1008 /SBM(G) दिनांक : 24-08-16
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

24/8/16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

No. S-18020/91/2016-SBM
Government of India
Ministry of Drinking Water and Sanitation
Swachh Bharat Mission (Gramin)

12th Floor, Paryavaran Bhawan
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi-110 003
Dated 09.08.2016

To

The Principal Secretary/ Secretary,
In-charge of Rural Sanitation,
All States/UTs

Subject: - Accessibility of Persons with Disabilities in all community toilets constructed under SBM (G) – reg.

Madam/ Sir,

I am directed to convey that it has been decided in a meeting of Committee of Secretaries (CoS) that the focus should be given on accessibility of disabled persons in all community/individual toilets under Swachh Bharat Mission(Gramin).

2. Keeping in view the above decision, it is requested that the provisions for accessibility of disabled persons may be made for all community toilets constructed under SBM (G). The technical options for accessibility of toilets for persons with disability is available in handbook on technical options for on-site sanitation and handbook on accessibility of persons with disability published by this Ministry. The handbooks are available at the links given below: -

i. http://www.mdws.gov.in/handbook-technical-options-site-sanitation
ii. http://mdws.gov.in/handbook-accessible-household-sanitation-persons-disabilities-pwds

Yours faithfully,

(Sunil Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Ph: - 011-2436 9654

Copy to: - 1) SBM (G) State coordinator, all States
2) Sr. TD (NIC) for hosting in MDWS website.
3) Hindi section, for translation

Copy for information to: PPS to Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), 5th Floor, Paryawaran Bhawan, New Delhi.

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्रांक NBA(TSC)-98/09(Part-I) 1651/SWSM दिनांक 30-9-15

प्रेषक: **अमरेन्द्र प्रताप सिंह,**
सरकार के सचिव,

सेवा में,

Email

1. सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
   जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड।
2. सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव,
   जिला जल एवं स्वच्छता मिशन प्रकल्प, झारखण्ड।

विषयः **IHHL का स्वतः निर्माण हेतु आवेदन एवं सीधे लाभार्थी के खाते में शौचालय निमार्ण की रु. 12000/– (बारह हजार रुपये मात्र) अधिकतम प्रोत्साहन राशि हस्तांतरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उल्लेख है कि झारखण्ड में वर्त्तमान में शौचालय निर्माण का कार्य ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति VWSC के माध्यम से किया जा रहा है। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के खाते का संचालन मुखिया सह अध्यक्ष एवं जलसहिया सह कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से हो रहा है। इस सम्बन्ध में विभागीय निर्देश स्पष्ट है।

यहाँ पर उल्लेखनीय है कि झारखण्ड में इसी वर्ष में पंचायती राज चुनाव होने प्रस्तावित है। साथ ही यदि 2 अक्टूबर, 2019 तक सम्पूर्ण झारखण्ड को खुले में शौच से मुक्त करना है। कई जिलों से सूचना मिल रही है कि VWSC सक्रिय नहीं है तथा कार्य में रूचि नहीं ले रही है। आप अवगत है कि निष्क्रिय, VWSCs को सक्रिय करना आवश्यक है। जलसहिया को हटाया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया विभागीय परिपत्रों में है एवं सक्रिय VWSC का पुनगठन किया जा सकता है। खाते का संचालन मुखिया/उपमुखिया/जलसहिया के हस्ताक्षर से संचालित है। इस क्रम में DWSC को नियमित मासिक समीक्षा कर प्रभावी कार्रवाई करनी है।

3. उक्त के साथ 2 कम समय में इस गतिविधि को काफी तेज करने की आवश्यकता है, इस क्रम में निम्न विकल्प पर विचार किया जा सकता है :

(i) SHG ग्रुप जो उसी पंचायत में है, वह अपने ग्रुप में सुयोग्य (Base line Survey) के अनुरूप एवं स्थल सत्यापन में पाये जाने पर परिवार का IHHL का निर्माण करें। इस हेतु ऐसा SHG कम से कम graded हो तथा बैंक के साथ कारोबार में महारत हो तथा कम से कम एक वर्ष पुराना हो।

(ii) अन्य SHG समतुल्य ग्रुप यथा Watershed group, fisherman group, pacs/Lamps Group, कृषक कल्ब–नार्बाड सम्पोषित इत्यादि अपने ग्रुप के सुयोग्य परिवार का IHHL का निर्माण कर सकता है। इन्हें Engage करने के पूर्व सम्बन्धित जिला/प्रखण्ड स्तरीय ग्रुप के शीर्ष पदाधिकारी से उनकी क्षमता तथा सक्रियता का आंकलन DWSC में किया जाय।

(iii) व्यक्तिगत परिवार को स्वतः सबसे अधिक प्रेरित किया जाय कि स्वतः निर्माण करें।

(iv) अग्रिम राशि नहीं दी जाय। निर्माण पूर्ण होने तथा फोटो IMIS पर upload होने पर ही राशि दी जाय। यह राशि A/c में e-transfer किया जाय। यह कंडिका 3(i), (ii), (iii) श्रेणी पर लागू होगी।

(v) कंडका–3 (i), (ii) के ग्रुप गुणवत्ता पूर्ण निर्माण हेतु जिम्मेदार होंगे तथा प्रेरक को मिलने वाली राशि प्राप्त कर सकेंगे। प्रेरक की राशि में सम्बन्धित ग्रुप के खाते में e-transfer से ही भेजा जायेगा।

(vi) कंडिका–3 (iii) में VWSC प्रेरक के भूमिका में प्राथमिकता दी जायेगी।

(vii) DWSC अपनी बैठक में कंडिका 3.(1) (ii) पर निर्णय ले एवं एक एकरारनामा भी करें ताकि प्रेरक की राशि स्थानान्तरण में दिक्कत न हो।

(viii) किसी defaulter group को कार्य से न जोड़ा जाय।

(ix) बैंकर्स को DWSC में आमंत्रित करें।

(x) ऐसे ग्रुप जिसके अध्यक्ष/सचिव/संचालन मंडल स्वतः सहयोग ले। अपने घरों में शौचालय निर्माण अपने संशाधन से करें, इस्तेमाल कर रहे है, उन्हें प्रोत्साहित करें।

4. लाभार्थी द्वारा स्वयं शौचालय बनवानें एवं प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित करने का विकल्प अधिक उपयोगी होगा। इस हेतु एक प्रोफार्मा/स्वतः निर्माण हेतु आवेदन का प्रारूप तथा प्रोत्साहन राशि खाते में हस्तांतरित करने संबंधी आदेश प्रारूप पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। इसमें आवश्यक संशोधन DWSC कर सकती है।

5. कार्य गति धीमी होने के विभिन्न कारण तथा राजमिस्त्री की कमी, सक्षम स्तर पर monitoring नहीं करना, Supply side का प्रबंधन न करना रहता है। साप्ताहिक समीक्षा DWSC करें। प्रत्येक पंचायत में कम से कम 25–30 मैशन एवं वर्कस ग्रुप (24 x 7) राजमिस्त्री एवं टीम में कार्यरत रहने से लक्ष्य की प्राप्ति आसान होगी। वर्त्तमान इसे 50 मैशन ग्रुप बढ़ाने की आवश्यकता है।

6. साहेबगंज– नमामि गंगे में कम से कम 100 मेशन ग्रुप प्रति पंचायत बिना लगाए, ससमय कार्य पूर्ण नहीं होगा। अद्यतन गति से 15% ही वार्षिक लक्ष्य प्राप्त है। लगभग 8 माह कार्य प्रारम्भ हुए हो चुका है। उपायुक्त को विशेष ध्यान देना है।

7. विभिन्न जिलो से यह भी सूचना प्राप्त हो रही है कि जिला से VWSC को राशि विमुक्ति काफी धीमी है। राशि अभाव में कार्य नहीं होता है। e-transfer नहीं हो रहा है। बैंकर्स के साथ मिलकर निदान करें तथा Adequate fund available करें। DWSC निर्णय लें।

इससे सम्बन्धी समस्त जानकारी विभागीय वेबसाईट daa.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है किसी भी प्रकार की आवश्यकता होने पर आप डॉ0 रबीन्द्र बोहरा, राज्य समन्वयक SBM(G) (मो0 नं0 9608614325) से सम्पर्क कर सकते है।

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक: NB(Swi)-98/09-(Pwi-I) 1651/SWSM दिनांक: 30.9.15

प्रतिलिपिः–यूनिसेफ/वाटरसेड/GSF/WSP-SA/समस्त बी0आर0सी0 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Email

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः TSC-98/09 (Part-I) 1651/SWSM दिनांकः 30.9.15

प्रतिलिपिः—सभी RCES/Nodal पक्ष प्रमंडलीय आयुक्त को भी दें।/सभी INGO/Partner को भी

Email दे/सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/9/15

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के सचिव

IHHL का स्वतः निर्माण हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम :

2. आवेदक के पिता/पति का नाम :

3. बेसलाईन सर्वे की सं॰ (अगर पता है) :

4. (क) BPL सं॰ :
   (ख) Non BPL वर्ग :
   (ग) EPIC सं॰ :
   (घ) आधार नम्बर :
   (साक्ष्य सहित उक्त में से कम–से–कम एक साक्ष्य हो।)

5. घर में शौचालय की स्थिति :

6. आर्थिक स्थिति/वार्षिक
   (क) आय :
   (ख) क्या परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है :
   (ग) कितने सदस्य सरकारी/प्राइवेट नौकरी/नियोजन में है:

7. घर की भौतिक स्थिति
   (क) पक्का :
   (ख) टीन छत्ता :
   (ग) खपड़ापोस :
   (घ) झोपड़ी :

उक्त सूचना सही है, सूचना गलत पाये जाने पर राशि की वसूली की जा सकेगी। मैं स्वतः शौचालय निर्माण करना चाहता हूँ। मैं सपरिवार शौचालय का सतत उपयोग करूँगा एवं उसको हमेशा चालू स्थिति में रखूँगा। निर्माण पूर्ण होने के उपरांत तथा IMIS में फोटो अपलोड होने के बाद ही राशि मेरे बैंक खाता में स्थानांतरित की जाय।

मेरा नाम :
बैंक का नाम :
खाता सं॰ :
IFSC Code :
(छायाप्रति संलग्न)

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम

(B) उक्त तथ्यों की जाँच मेरे द्वारा ग्राम सभा तथा ग्राम के सदस्यों के समक्ष की गयी तथा स्थल पर जाकर भौतिक रूप से सत्यापन किया जाय की सूचना सही है।

जाँच पदाधिकारी का नाम/
पदनाम/पता
मोबाईल नम्बर

(C)

आदेश

मैं .... कार्यपालक अभियंता/प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी /सहायक प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी श्री .... पिता .... बेसलाईन सर्वे सं. .... को स्वतः शौचालय निर्माण की स्वीकृति देता/देती हूँ। इसका IMIS Entry निर्माण के बाद श्री .... / निबंधित मोबाईल नं. .... द्वारा किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने तथा IMIS प्रवृष्टि होने के बाद आवेदन श्री .... के खाता सं. .... बैंक का नाम .... IFSC Code .... में रू. 12,000/– / हस्तांतरित करूँगा।

(D) श्री .... बेसलाईन सर्वे नं. .... ने सूचित किया है कि निर्माण कार्य दिनांक .... को पूर्ण हो चुका है। शौचालय मानक के अनुरूप है तथा सपरिवार निर्मित इस्तेमाल कर रहा हूँ एवं करता रहूँगा। श्री .... ने फोटो प्राप्त किया है।

आवेदक

(E) मैं .. .. पदनाम .... ने पो. ग्रं. श्री .... निबंधित मोबाईल नं. .... के द्वारा फोटो अपलोड किया गया है। आज दिनों का .... का श्री .... के बैंक खाता सं. .... IFSC Code .... बैंक का नाम .... में रू. 12000/– (12 हजार रूपये) हजार स्थानांतरित करता हूँ एवं Cash Book के पृष्ठ .... पर प्रवृष्टि करता हूँ।

भुगतान पदाधिकारी का नाम/
पदनाम/पता
मोबाईल नम्बर

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्रांक : ग्रा0वि0वि–1220 / 2015 (Part-I) - 1298 /SBM (G) दिनांक 02-12-16

प्रेषक,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
झारखण्ड, राँची

विनय कुमार चौबे
सचिव,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड सरकार, राँची

सेवा में,

1. सभी उपायुक्त –सह–अध्यक्ष
   जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड।
2. सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड।

विषयः **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) के अन्तर्गत खुले में शौच से मुक्त जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के कार्यान्वयन के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि आप अवगत है स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। यह योजना सभी परिवार को प्रभावित कर रही है। यह पर्यावरणीय एवं मानव स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ–साथ स्वच्छता की योजना है। वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य के अन्दर स्वच्छ भारत मिषन ग्रामीण के क्रियान्वयन के फलस्वरूप IMIS के अनुसार दिनांक 30.11.2016 तक 1350 राजस्व ग्राम, 261 ग्राम पंचायतें तथा 12 प्रखण्डों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है। यह सूचना भारत सरकार के पोर्टल www.sbm.gov.in पर देखा जा सकता है। इसका संक्षिप्त व्यौरा अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में ODF करने हेतु चिन्हित जिला / प्रखण्ड / ग्राम पंचायत का व्यौरा अनुलग्नक–2 पर संलग्न है।

सरकार का यह प्रयास है कि अर्न्तविभागीय समन्वय से ODF Community को केन्द्र एवं राज्य की अन्य योजनाओं के साथ जोड़ा जाय ताकि ODF Community Motivated रहें।

कृ०पृ०उ० ....

भारत सरकार द्वारा उज्जवला योजना प्रारंभ की गई है। यह भी पर्यावरणीय एवं मानव स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे में दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन को एक साथ जोड़कर ODF समुदाय के साथ उज्जवला का आच्छादन करने से लक्ष्य की प्राप्ति के साथ–साथ उद्देश्य पूर्ति का भी लाभ काफी बढ़ेगा एवं ODF Sustainability का भी लाभ मिलेगा।

अतः निर्देश है कि ''प्रधानमंत्री उज्जवला योजना'' के अंतर्गत ऐसे जिला/ प्रखण्ड/ग्राम पंचायत एवं राजस्व ग्रामों को आच्छादन में प्राथमिकता दी जाय, जो खुले में शौच से मुक्त (ODF) हो चुकी है। उज्जवला योजना का लाभ ODF समुदाय के सुयोग्य लाभुक (उज्जवला की मार्गदर्शिका के अनुरूप) को चयनित कर आच्छादित किया जाय। इस प्रयास से निश्चित ही ODF ग्रामीणों, समुदाय के मनोबल में वृद्धि होगी तथा खुले में शौच से मुक्त को कायम रखने में यह एक आनोखी पहल साबित होगी। इसका कार्यान्वयन में गैस कम्पनी को पूर्ण सहयोग किया जाय।

अनु0 यथोपरि।

विश्वासभाजन

1/12/16

विनय कुमार चौबे
सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड सरकार

01/12/16

अमरेन्द्र प्रताप सिंह
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड सरकार

ज्ञापांक : ग्रा0वि0वि–1220/2015 (Part-I) - 1298 /SBM (G) दिनांक 02-12-16.
प्रतिलिपिः श्री राजेश कुमार शर्मा, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

02/12/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड सरकार

Dir S.Bm (F)
[stamp] 16 DEC 2016

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

पत्रांक 298 रसा   राँची, दिनांक - 15-12-16

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0प्र0से0,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी,
झारखण्ड।

विषय : – **स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत सभी मत्स्य मित्रों का अभियान के रूप में निजी शौचालय के निर्माण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार से प्राप्त निदेशानुसार यह निर्णय लिया गया है कि राज्य को ODF (Open Defacation Free) करने की दिशा में आवश्यक है कि सबसे पहले सरकार से जुड़े सम्पूर्ण तंत्र के सभी सहभागी अपना निजी शौचालय बनाने का कार्य अभियान के रूप में अगले एक माह में पूर्ण कर लें।

इस हेतु निदेशित किया जाता है कि आपके जिला अन्तर्गत **सभी मत्स्य मित्रों** को इस विषयक प्रेरित करें कि वे अपना खुद का निजी शौचालय बनायें एवं इस्तेमाल करें। इस हेतु कोई राशि की आवश्यकता हो तो पहले अपने जिले के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता या प्रकल्प के पदाधिकारियों से सम्पर्क करें या श्री राजेश शर्मा, भा0प्र0से0, मिशन डायरेक्टर, स्वच्छ भारत मिशन, झारखण्ड, राँची से सम्पर्क कर इस दिशा में अविलम्ब कार्रवाई करें।

इस अभियान को सरकार से जुड़े कई अभियानों में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। अतः यह सूची तीन दिनों के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध करायें कि आपके जिले में कुल कितने मत्स्य मित्र हैं; उनमें से कितने व्यक्तिगत / निजी शौचालय अभी निर्मित हो चुके हैं तथा कितने बनाने का लक्ष्य बाकी रह गया है ?

इस अभियान में आपके व्यक्तिगत जवाबदेही तय रहेगी। इसलिए इसमें पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,
ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – 298 स्वा

राँची, दिनांक – 15–12–16

प्रतिलिपि – निदेशक, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को इस निदेश के साथ कि कृपया इस कार्य हेतु सभी जिला मत्स्य पदाधिकारियों से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित करें कि सभी मत्स्य मित्रों से व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण एक माह के अन्दर पूरा करा लिया जाय। साथ ही, यदि कोई संशय हो तो श्री राजेश शर्मा, भा0प्र0से0, मिशन डायरेक्टर, स्वच्छ भारत मिशन, झारखण्ड, राँची से सम्पर्क कर समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करें।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – 298 स्वा

राँची, दिनांक – 15–12–16

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री राजेश शर्मा भा0प्र0से0, मिशन डायरेक्टर, स्वच्छ भारत मिशन, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

15/12/16

सरकार के विशेष सचिव।

DI x- SBM (5)

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

पत्रांक –

राँची, दिनांक –

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0प्र0से0,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
झारखण्ड।

विषय : – **स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत सभी दुग्ध मित्रा / गोकुल मित्रा का अभियान के रूप में निजी शौचालय के निर्माण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार से प्राप्त निदेशानुसार यह निर्णय लिया गया है कि राज्य को ODF (Open Defacation Free) करने की दिशा में आवश्यक है कि सबसे पहले सरकार से जुड़े सम्पूर्ण तंत्र के सभी सहभागी अपना निजी शौचालय बनाने का कार्य अभियान के रूप में अगले एक माह में पूर्ण कर लें।

इस हेतु निदेशित किया जाता है कि आपके जिला अन्तर्गत **सभी दुग्ध मित्रा / गोकुल मित्रा** को इस विषयक प्रेरित करें कि वे अपना खुद का निजी शौचालय बनायें एवं इस्तेमाल करें। इस हेतु कोई राशि की आवश्यकता हो तो पहले अपने जिले के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता या प्रकल्प के पदाधिकारियों से सम्पर्क करें या श्री राजेश शर्मा, भा0प्र0से0, मिशन डायरेक्टर, स्वच्छ भारत मिशन, झारखण्ड, राँची से सम्पर्क कर इस दिशा में अविलम्ब कार्रवाई करें।

इस अभियान को सरकार से जुड़े कई अभियानों में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। अतः यह सूची तीन दिनों के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध करायें कि आपके जिले में कुल कितने दुग्ध मित्रा / गोकुल मित्रा हैं; उनमें से कितने व्यक्तिगत / निजी शौचालय अभी निर्मित हो चुके हैं तथा कितने बनाने का लक्ष्य बाकी रह गया है ?

इस अभियान में आपके व्यक्तिगत जवाबदेही तय रहेगी। इसलिए इसमें पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,
ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक –   राँची, दिनांक –

प्रतिलिपि – निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, झारखण्ड, राँची को इस निदेश के साथ कि कृपया इस कार्य हेतु सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारियों से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित करें कि सभी दुग्ध मित्रा / गोकुल मित्रा से व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण एक माह के अन्दर पूरा करा लिया जाय। साथ ही, यदि कोई संशय हो तो श्री राजेश शर्मा, भा०प्र०से०, मिशन डायरेक्टर, स्वच्छ भारत मिशन, झारखण्ड, राँची से सम्पर्क कर समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करें।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक –   राँची, दिनांक –

प्रतिलिपि – प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मिल्क फेडरेशन एवं मुख्य कार्यक्रम संयोजक, बायफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – 299 स्व०   राँची, दिनांक – 15–12–16

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री राजेश शर्मा भा०प्र०से०, मिशन डायरेक्टर, स्वच्छ भारत मिशन, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

15/12/16
सरकार के विशेष सचिव।

N.O. SBM (5)

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

पत्रांक

राँची, दिनांक –

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा0प्र0से0,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी,
झारखण्ड।

विषय : – **स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत सभी पशु मित्र का अभियान के रूप में निजी शौचालय के निर्माण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार से प्राप्त निदेशानुसार यह निर्णय लिया गया है कि राज्य को ODF (Open Defacation Free) करने की दिशा में आवश्यक है कि सबसे पहले सरकार से जुड़े सम्पूर्ण तंत्र के सभी सहभागी अपना निजी शौचालय बनाने का कार्य अभियान के रूप में अगले एक माह में पूर्ण कर लें।

इस हेतु निदेशित किया जाता है कि आपके जिला अन्तर्गत सभी **पशु मित्र** को इस विषयक प्रेरित करें कि वे अपना खुद का निजी शौचालय बनायें एवं इस्तेमाल करें। इस हेतु कोई राशि की आवश्यकता हो तो पहले अपने जिले के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता या प्रकल्प के पदाधिकारियों से सम्पर्क करें या श्री राजेश शर्मा, भा0प्र0से0, मिशन डायरेक्टर, स्वच्छ भारत मिशन, झारखण्ड, राँची से सम्पर्क कर इस दिशा में अविलम्ब कार्रवाई करें।

इस अभियान को सरकार से जुड़े कई अभियानों में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। अतः यह सूची तीन दिनों के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध करायें कि आपके जिले में कुल कितने पशु मित्र हैं; उनमें से कितने व्यक्तिगत / निजी शौचालय अभी निर्मित हो चुके हैं तथा कितने बनाने का लक्ष्य बाकी रह गया है ?

इस अभियान में आपके व्यक्तिगत जवाबदेही तय रहेगी। इसलिए इसमें पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन,
ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक –

राँची, दिनांक –

प्रतिलिपि – निदेशक, पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड, राँची को इस निदेश के साथ कि कृपया इस कार्य हेतु सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों से सम्पर्क कर यह सुनिश्चित करें कि सभी पशु मित्र से व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण एक माह के अन्दर पूरा करा लिया जाय। साथ ही, यदि कोई संशय हो तो श्री राजेश शर्मा, भा0प्र0से0, मिशन डायरेक्टर, स्वच्छ भारत मिशन, झारखण्ड, राँची से सम्पर्क कर समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करें।

ह0/–

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक – 300 स्व०

राँची, दिनांक – 15-12-16

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री राजेश शर्मा, भा0प्र0से0, मिशन डायरेक्टर, स्वच्छ भारत मिशन, झारखण्ड, राँची को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

13/12/16

सरकार के विशेष सचिव।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्र संख्या: SBM(G)-98/2016(Part-III)-1334/ SBM-G दिनांक : 19-12-16

प्रेषक: **अमरेन्द्र प्रताप सिंह**
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

सुनील कुमार वर्णवाल
सचिव
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग
झारखण्ड सरकार।

सेवा में,

1. उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
   जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पश्चिमी सिंहभूम(चाईबासा)/गोड्डा/बोकारो/धनबाद/चतरा एवं रामगढ़।
2. कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव
   जिला जल एवं स्वच्छता मिशन "प्रकल्प" चाईबासा/चक्रधरपुर/गोड्डा/चास/तेनुघाट/धनबाद–1/धनबाद–2/चतरा एवं रामगढ़।

विषय: **DMFT फण्ड के माध्यम से SBM(G) अंतर्गत शौचालय निर्माण कराने के संबंध में।**

प्रसंग : **प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का पत्रांक 400/P.Sec. दिनांक 11.11.2016, मुख्य सचिव का निर्देश गै0प्रे0सं0 1947 दिनांक 17.11.16, 1895 दिनांक 09.11.16, 1516 दिनांक 18.10.16**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में एवं दिनांक 23.10.16 को हुई समीक्षा बैठक में स्थिति स्पष्ट की गई थी। मुख्य सचिव द्वारा नियमित Video Conferencing में सतत् निर्देश दिया गया है। इस क्रम में मा0 मुख्य मंत्री ने झारखण्ड को 2018 तक ODF घोषित करने का संकल्प लिया है। विभिन्न स्रोतों यथा DMFT/बालूघाट/CSR से संसाधन का इन्तजाम एवं प्राथमिकता से व्यय करने का सतत निर्देश प्राप्त है। संसाधनों का व्यय प्राथमिकता के आधार पर किया जाय तथा जिला ODF शीघ्र घोषित किया जाय। झारखण्ड सरकार के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में सूचित करना है पर्याप्त संसाधन वाले जिलों यथा– चाईबासा, गोड्डा, बोकारो, धनबाद, चतरा एवं रामगढ़ को जिले में उपलब्ध DMFT राशि से व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL) का निर्माण किया जाना है।

(ii) ऐसे जिलें को SBM(G) मद से ODF हेतु राशि नहीं दी जायेगी। ODF हेतु चयनित ग्राम पंचायतों एवं प्रखण्डों में शौचालय निर्माण हेतु DMFT के द्वारा

किया जाना है। ODF हेतु चयनित ग्राम पंचायतों एवं प्रखण्डों के अलावे माँग के आधार पर अन्य ग्राम पंचायतों एवं प्रखण्डों का कार्य योजना तैयार कर DMFT राशि से शौचालय का निर्माण कराया जाना है।

(iii) ऐसे जिलों को 2 अक्टुबर 2017 तक पूर्ण ODF किया जाना है।

(iv) यह भी स्पष्ट करना है कि DMFT के माध्यम से जिलों के अन्य प्रखण्डों को भी ODF करने हेतु संसाधन मुहैया कराया जा सकता है।

(v) ऐसे जिले जहाँ DMFT की राशि है, ODF हेतु Slip Back की समस्या का समाधान भी DMFT के मद से किया जा सकता है।

(vi) पूरे राज्य में एकरूपता बनाये रखने हेतु SBM(G) के मानक तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के निर्देशों का पालन किया जाय।

अतः DMFT की राशि को जिला स्तर पर सम्बंधित समिति/परिषद से अनुमोदन कराते हुए, अपने जिले को ODF घोषित करने की कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,

14/12/16	
(सुनील कुमार वर्णवाल)	**(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)**
सचिव,	प्रधान सचिव
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक : SBM(G)-98/2016(Part-III)- 1334, दिनांकः 19-12-16

प्रतिलिपि : सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड/सभी कार्यपालक अभियंता, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन प्रकल्प झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक : SBM(G)-98/2016(Part-III)- 1334, दिनांकः 19-12-16

प्रतिलिपि : निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19/12/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक : SBM(G)-98/2016(Part-III)- 1334, दिनांकः 19-12-16

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/परियोजना निदेशक, NRLM को सूचनार्थ प्रेषित।

19/12/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्रांक– रांची, दि0–

प्रेषक,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त, झारखंड।
सभी, कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, झारखंड।

विषयः कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, (पशुपालन प्रभाग) के अधीन स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत पशु मित्र, दुग्ध मित्र, गोकुल मित्र एवं मत्स्य मित्र की सहभागिता सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंग :– कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, (पशुपालन प्रभाग) का पत्र ज्ञापांक– 298 एस, दि0 15.12.16, 299 एस, दि0 15.12.16, 300 एस, दि0 15.12.16.

महाशय,

उक्त विषय के संबंध में सभी प्रसंगाधीन पत्रों की छाया–प्रति सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न है। यह पत्र मुख्य सचिव के निर्देश पर निर्गत है। मुख्य सचिव के दिनांक 16.12.16 की समीक्षा के कम में यह निर्देश संबंधित पशुपालन विभाग को दिया गया था जिसके कम में विशेष सचिव ने समुचित निर्देश संबंधित जिला के पशुपालन, जिला गव्य विकास एवं जिला मत्स्य पदाधिकारियों को दिया है। उक्त के कम में निम्न निर्देश हैं :–

(1) संबंधित जिला पशुपालन एवं जिला गव्य एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी को बैठक बुलाकर उनसे संबंधित श्रेणी के लाभुकों की सूची प्राप्त कर ली जाए।

(2) ऐसे पशु मित्र, दुग्ध मित्र, गोकुल मित्र एवं मत्स्य मित्रों को अपने पंचायत के लिए पंचायत मोटिवेटर या स्वच्छताग्राही के रूप में, इनकी सेवाएं ली जाएं। ये अपने पंचायत के ओ0डी0एफ0 सस्टेंनबिलिटी में कार्य करेंगे एवं अपने कार्य से अन्य ग्रामीणों को स्वच्छता हेतु प्रेरित करेंगे।

(3) संबंधित विभागीय जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठक में बुलाकर इसकी समीक्षा की जाए। सहभागिता कार्यम में निश्चित की जाय।

(4) ऐसे सुयोग्य, ''पशु मित्र, गोकुल मित्र, दुग्ध मित्र, मत्स्य मित्र'' जिसका परिवार का नाम BLS 2012 में है, वह अन्यथा योजना के लाभ हेतु सुयोग्य है, उन्हें

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) अंतर्गत Self IHHL construction पूर्ण कर, इस्तेमाल करने पर RTGS से सीधे राशि उनके खाते में हस्तांतरित की जाय।

(5) ऐसे ''पशु मित्र, गोकुल मित्र, दुग्ध मित्र, मत्स्य मित्र'' जिनके घर में पूर्व से शौचालय है, उसकी प्रवृष्टि IMIS में Self financed-Self construction में की जाय।

(6) ऐसे ''पशु मित्र, गोकुल मित्र, दुग्ध मित्र, मत्स्य मित्र'' जो पूर्णतः सक्षम हैं, उन्हें प्रेरित करते हुए IHHLका निर्माण स्व वित्त पोषण एवं निर्माण कराकर IMIS में प्रवृष्टि की जाय।

अनुलग्नक :–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Ap 23/12/16
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–ग्रा०वि०वि० –1220/2015-1357 रांची, दिनांक– 23/12/16

प्रतिलिपि :–सचिव, कृषि, सहकारिता एवं पशुपालन विभाग, झारखंड, रांची/विशेष सचिव, कृषि, सहकारिता एवं पशुपालन विभाग (पशुपालन प्रभाग)/सभी अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखंड/सभी जिला जिला पशुपालन पदाधिकारी/सभी, जिला मत्स्य पदाधिकारी/सभी जिला गव्य विकास पदाधिकारी, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ap 23/12/16
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्र संख्या: SBM(4)-98/2016 (Part-III)- 713 / SBM-G,दिनांक : 25-07-16

प्रेषक:

अमरेन्द्र प्रताप सिंह, भा०प्र०से०
सरकार के प्रधान सचिव,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

Email

सभी उपायुक्त–सह– अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड।

विषय: **शासकीय सेवा में कार्यरत एवं पेंशनभोगी पदाधिकारी, कर्मचारियों तथा विभागीय अन्य अनुबन्ध आधारित कर्मी यथा पाराशिक्षकों /आँगनबाड़ी सेविकाओं/मनरेगा कर्मी/कम्प्यूटर ऑपरेटर/स्वास्थ्य विभागीय सेवा ANM तथा ग्रा.वि.वि./कृषि विभाग/अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों/ जनप्रतिनिधि/उधमी/अन्य सक्षम Contractor, P.D.S dealers/ बड़े कृषक/ सक्षम कृषक परिवार द्वारा स्वयं अपने घरों में स्वयं के संशाधनों से शौचालय का निर्माण तथा उपयोग के संबंध में।**

प्रसंग: 1) **इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक NBA(TSC)-98/2009(Part-1)-1213/SWSM दिनांक 23.07.2015**

2) **माननीय मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में दिनांक 7.10.2015 को आयोजित समीक्षा बैठक में देय निर्देश। (विभागीय ज्ञापांक 240/Sec दिनांक 19.10.2015 द्वारा निर्गत)**

3) **विभागीय पत्रांक NBA(TSC)-98/2009(Part-1)-727/SWSM दिनांक 08.05.2015**

4) **विभागीय पत्रांक NBA(TSC)-98/2009(Part-1)-1651/SWSM दिनांक 30.09.2015**

महाशय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रांसंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा॰) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्य को खुले में शौच मुक्त बनाने हेतु यह नितांत अनिवार्य है कि सरकार से संबंधित सभी ऐसे व्यक्ति जो अपना शौचालय निर्माण कर उसको उपयोग करनें में सक्षम है, वे खुले में शौच मुक्त झारखण्ड बनाने में अपनी भूमिका के प्रति स्वयं सजग रहते हुए तथा समाज में स्वयं स्वच्छता की पहल कर दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करें। यह हम सबका नैतिक उत्तरदायित्व है कि स्वच्छ भारत की संकल्पना को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

2. इस संबंध में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा पूर्व में मार्गदर्शन जारी किया गया है कि शासन के सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों तथा विभागीय कार्यकर्ताओं (जैसे– शिक्षक, पारा शिक्षक, पंचायत सचिव, जन सेवक, राजस्व कर्मचारी,

कृ०पृ०उ०

चौकीदार, रोजगार सेवक, आँगनबाड़ी सेविका इत्यादि) को स्वयं अपने घरों में शौचालय का निर्माण कर उसका उपयोग सुनिश्चित करना है।

इस संबंध में देश के अन्य राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आदि में ऐसी पहल कर, इसका पालन सूनिश्चित किया गया है। इसका व्यापक तथा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऐसे पदाधिकारी/कर्मी इस कार्यक्रम के वर्त्तमान में इन राज्यों में प्रेरणा स्रोत एवं Motivator, अग्रणी भूमिका निभा रहे है। इससे कार्यक्रम काफी गतिशील हुआ है।

3. झारखण्ड राज्य के अन्दर राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत सरकारी पदाधिकारी/कर्मी तथा अच्छे वार्षिक अनुदान पर अनुबन्ध पर आधारित कर्मी की संख्या लगभग 3.00 लाख के करीब होगी। सेवानिवृत पेंशनधारी की संख्या एक से डेढ़ (1–1.5) लाख होगी। इस तरह लगभग 4–5 लाख सक्षम परिवार है जो शौचालय बनाकर उपयोग कर रहा है या सक्षम है। इनके स्वतः निर्माण तथा अपना नाम/ अपने परिवार का नाम Base Line से अनुदान सूची से हटाने से अन्य Deserving Poor- Left out परिवार को लाभ दिया जा सकेगा।

4. झारखण्ड राज्य में केन्द्रीय लोक उधम/सरकारी कार्यालय/समृद्ध प्राईवेट कम्पनी में भी झारखण्ड निवासी कर्मी लगभग कार्यरत/पेंशन भोगी भी तीन लाख के करीब है, इन्हे इस स्वेच्छाचारी अभियान में शामिल करना अनिवार्य है। इस तरह आप को स्वप्रेरणायुक्त परिवार 7–8 लाख होगा, जो कुल ग्रामीण परिवार का 15% के लगभग होगा।

5. आप से पुनः अनुरोध है कि राज्य को शीध्र खुले में शौच मुक्त बनाने व शत प्रतिशत शौचालय उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सक्षम परिवारों को कार्यक्रम का अग्रणी (Ambassador) बनाया जाय/ तदनुसार निर्मित शौचालयों को बेस लाइन/ उपलब्धि में reflect करायें।

6. हजारीबाग व कोडरमा जिले में ऐसे परिवारों को स्वाभिमानी कार्ड बना कर भी दिया गया है, जिससे कार्डधारी के कई तरह के फायदे भी मिलते है। ऐसे परिवारों के मुखिया के नाम स्वाभिमानी परिवार के नाम से समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराएँ जा सकते है। Booklet प्रकाशित की जाय तथा सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल किया जाय।

अतः आप सभी से अपेक्षा है कि इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए दिनांक 15 अगस्त 2016 के पूर्व शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों तथा विभागीय कार्यकर्ताओं द्वारा स्वयं अपने घरों में शौचालय का निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक प्रयास किये जायें। ऐसे परिवारों द्वारा स्वयं अपने संशाधनों से शौचालय निर्माण करने पर उपायुक्त द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र, सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया जा सकता है। यह SBM(G) के IMIS पर Entry Modul No. C-01 में Self Finance में Entry किया जा सकता है। इसे भरा जाय एवं इसकी सूचना अलग से भी प्रतिवेदित किया जाय।

मा० विभागीय मन्त्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

25/07/16

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

कृ०पृ०उ०

ज्ञाप संख्याः SBM(G)-98/2016 (Part-III) – 713 SBM(G) दिनांक : 25.7.16
प्रतिलिपि : सभी INGOs (Unicef / GSF / Water Aid / WSP झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/07/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्याः SBM(G)-98/2016 (Part-III) – 713 SBM(G) दिनांक : 25-7-16
प्रतिलिपि : सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता, / सभी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग / सभी जिला समनवयक, SBM(G) झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/07/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्याः SBM(G)-98/2016 (Part-III) – 713 SBM(G) दिनांक : 25-7-16
प्रतिलिपि : सभी उपविकास आयुक्त सह मुख्य कार्य पदाधिकारी / जिला परिषद झारखण्ड को सूचनार्थ, तथा आप अपने स्तर पर अध्यक्ष जिला परिषद / PRI एवं सभी BDOs को भेजे।

25/07/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्याः SBM(G)-98/2016 (Part-III) – 713 SBM(G) दिनांक : 25-07-16
प्रतिलिपि : सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, झारखण्ड सरकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने अधीनस्थो को सहयोग हेतु निर्देशित करना चाहेंगे।

25/07/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्र संख्याः SBM(G)/मुख्य सचिव से पत्रा0–37/2016 (Part) - 995 / SBM-G, दिनांक : 17-08-16

प्रेषक:

अमरेन्द्र प्रताप सिंह, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

Email

सभी उपायुक्त–सह– अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड।

सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, प्रकल्प, झारखण्ड।

विषयः **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा॰) के अन्तर्गत निर्मित किए जाने वाले व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण में** Village Organization (V.O.) **से करवाने के सम्बंध में।**

प्रसंगः **मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–08.08.2016 को आयोजित नेशनल रूरल लाईवलीहुड मिशन (NRLM) की योजनाओं की राज्य में कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में गठित झारखण्ड स्टेट लाईवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी (J.S.L.P.S) की समीक्षा बैठक में देय निर्देश।**

महाशय/महाशया

उपर्युक्त विषयान्तर्गत् उल्लेख है कि दिनांक–08.08.2016 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में J.S.L.P.S की समीक्षा बैठक में देय निर्देश के आलोक में यह निदेशित किया जाता है कि आप के जिले में जिन ग्रामों में Village Organization (V.O.) का गठन किया जा चुका है|यहाँ SBM-G के तहत शौचालयों का निर्माण (V.O.) के माध्यम से किया जाए।

1- (i) V.O. के माध्यम से शौचालय निर्माण कराने वाले ग्राम/टोला का चयन map 15 सितम्बर, 2016 तक कर लिया जाए व राशि हस्तांतरण कर लिया जाए।

(ii) इस सम्बंध में शीघ्र (V.O.) को चिन्हित कर जिला स्तर से शौचालय निर्माण हेतु आवश्यक राशि सीधे (V.O.) के खाते में हस्तांतरित की जाए।

(iii) V.O. एक तरह से VWSC जैसा कार्य करेगा। SBM(G) की Guidelines के अनुरूप कार्य किया जाय।

(iv) V.O. इस राशि का हिसाब/किताब कैश बुक इत्यादि अलग से संधारित करे जिसका अंकेक्षण किया जा सकेगा।

(v) V.O. सामुदायिक सहभागिता से कार्य करेगा, किसी बिचौलिया/ठेकेदार को प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से इसमें शामिल नहीं करेगा।

(vi) BDO सह BSO एवं सहायक प्रखण्ड स्वच्छता पदाधिकारी तथा BPM-NRLM संयुक्त रूप से समन्वय करेंगे।

(vii) BPM पूर्णतः VO के क्रियाकलाप हेतु जिम्मेदार होंगे।

2. (i) SBM(G) के अन्य निर्देश लागू होगे यथा BLS 2012 का update करना, सरकारी / CPSU कर्मी / प्राईवेट, सक्षम, आंगनबाड़ी / पारा शिक्षक / PPS / धनी / गलत BPL को छोड़कर, अन्य का update करना, IAY लाभुक को चिन्हितत कर, शेष का आच्छादन करना।

(ii) VOs का प्रखण्ड / जिला स्तरीय प्रशिक्षण कराकर, सभी पहलू से अवगत कराकर कार्य किया जाय।

3. (i) जिला स्तर पर DPM-NRLM का पदाधिकारी कार्यरत है। यह DWSC के सदस्य भी विशेष आमंत्रित रखे।

(ii) DC की अध्यक्षता में साप्ताहिक बैठक में DPM तथा BPM भाग लेंगे। निर्देशों का अनुपालन करेंगे।

(iii) BPM-NRLM, प्रखण्ड स्तरीय समिति BWSC में विशेष आमंत्रित सदस्य रहेंगे तथा BDO के अधीन कार्य करेंगे।

4. राज्य मुख्यालय पर DPM एवं BPM का एक प्रशिक्षण दो दिवसीय आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण निदेशक, SBM(G), UNICEF के सहयोग से "विश्वा" में करा दें।

5. (i) प्रशिक्षित Mason की लिस्ट लेकर BPM एवं VO कार्य करेगा।

(ii) अतिरिक्त Mason का प्रशिक्षण आयोजित दिया जा सकेगा।

6. फोटो upload का कार्य BPM/ VO करेंगे तथा परिपत्र के अनुरूप शेष भुगतान इत्यादि किया जायेगा।

7. प्रेरक का कार्य करने वाले VOs को रु. 150/– IHHL का विभागीय परिपत्र के अनुरूप किया जायेगा।

8. SBM(G)- IMIS का नियमित Updation Physical/financial BPM करना सुनिश्चित करेगा।

अनु0 मुख्य सचिव के कार्यवाही का relevant part संलग्न

विश्वासभाजन,

17/08/16

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

प्रधान सचिव,

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्याः SBM(G) / मुख्य सचिव से पत्रा0–37 / 2016 (Part) - 995 SBM(G) दिनांक : 17-8-16

प्रतिलिपि : यूनिसेफ / Water-Aid/WSP/GSF/TATA Trust झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/08/16

प्रधान सचिव

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्याः SBM(G)/मुख्य सचिव से पत्रा0–37/2016 (Part) - 995 SBM(G) दिनांक : 17-08-16
प्रतिलिपि : अभियंता प्रमुख /सभी मुख्य अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड/ सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता /सभी नोडल पदाधिकारी/सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल/ झारखण्ड को सूचनार्थ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ap 17/08/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्याः SBM(G)/मुख्य सचिव से पत्रा0–37/2016 (Part) - 995 SBM(G) दिनांक : 17-08-16
प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

Ap 17/08/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्याः SBM(G)/मुख्य सचिव से पत्रा0–37/2016 (Part) - 995 SBM(G) दिनांक : 17-08-16
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव ग्रामिण विकास विभाग, झारखण्ड, को सूचनार्थ प्रेषित। /परियोजना निदेशक, NRLM श्री परितोष उपाध्याय को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध अपने स्तर से अधीनस्थो को निर्देशित करने का कष्ट किया जाय।

Ap 17/08/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्याः SBM(G)/मुख्य सचिव से पत्रा0–37/2016 (Part) - 995 SBM(G) दिनांक : 17-08-16
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव के आप्त सचिव, झारखण्ड, को सूचनार्थ प्रेषित।

Ap 17/08/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्र संख्याः SBM(G) – 98/ 2016 - 1086|SBM(G) दिनांक : 21-09-16

प्रेषकः **अमरेन्द्र प्रताप सिंह,** (भा०प्र०से०)
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

Email

सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड।

विषयः **व्यक्तिगत शौचालय निर्माण को गति देने हेतु पंचसूत्र पालन करने वाले SHG तथा पोल्ट्री फेडरेशन की सहभागिता सुनिश्चित करने के सम्बंध में।**

प्रसंग :
1. **इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक–SBM-G/मुख्य सचिव से पत्राचार 37 / 2016(पार्ट)–995 / SBM-G दिनांक 17.08.16**
2. **इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक SBM-G/98/2009(Part-II)-585/ SBM-G दिनांक 22.06.16**
3. **इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक–NBA(TSC)-98/09 (Part-I)-1657/ SWSM दिनांक 30.09.15**

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि वर्त्तमान में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण निम्न चार माध्यमों द्वारा किया जा रहा है –

(i) लाभार्थी द्वारा स्वयं निर्माण व जिला स्तर से सीधे लाभार्थी के खाते में निर्माण व उपयोग पश्चात राशि का हस्तान्तरण।

(ii) SHGs तथा Poultry Federation द्वारा यह कार्य अपने अनटाईड फण्ड द्वारा किया जा रहा है तथा निर्माण पश्चात् ग्रुप के खाते में राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। (गिरिडीह को छोड़कर)

(iii) VWSC द्वारा प्लान तैयार किया जाता है, VWSC राशि स्थानान्तरित कर शौचालय निर्माण सामुदायिक लाभुक की सहभागिता से किया जाता है।

(iv) इसके अतिरिक्त वर्तमान में VO के माध्मय से भी शौचालय निर्माण करवाया जा रहा है जिसके सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश प्रांसगिक पत्र–1 से निर्गत है। V.O., VWSC की तरह ही कार्य करेगा; अर्थात् उन्हें VWSC की तरह ही राशि हस्तांतरित की जाएगी।

उक्त चारों विकल्पों में प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ विकल्प अधिक श्रेयश्कर है; परन्तु द्वितीय विकल्प (SHG/ तथा Poultry Federation) से कार्य धीमी गति से हो रहा है क्योंकि इन्हें अपने अनटाईड फण्ड से कार्य करना पड़ रहा है।

2. वर्तमान में गिरिडीह में SHGs के माध्यम से कार्य किया जा रहा है जिसमें उपायुक्त गिरिडीह ने नवाचार के रूप में SHG को 1.00 (एक) लाख रु. (RF स्वरूप देकर पहले 8–9 शौचालयों का निर्माण करवाया जाता है; शौचालय पूर्ण हो जाने व उपयोग में आने के पश्चात, पूर्व का उपयोगिता सुनिश्चित होने के बाद, आवश्यकता आधारित इस प्रक्रिया को जारी रखा जाना है। इसकी सराहना मुख्य सचिव ने किया है। DO. Letter No. 1065 dt.13-09-16 द्वारा इस मॉडल का विस्तार का निर्देश भी दिया है।

3. कंडिका–2 में अंकित प्रक्रिया का विस्तार सम्बन्धित DWSC अपने जिले में कर सकती है। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण करने के स्थिति में रु. 1.00 (एक) लाख RF (अधिकतम) दी जा सकती है। यह ध्यान दिया जाय कि SHGs भारत सरकार/ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित पंचसूत्र का पालन करते हुए Valid घोषित है।

4. Poultary Federation को भी कंडिका 3 के समतुल्य रखा जाय। इसका जिले में Presence हो। यह निर्णय लेते समय DWSC की बैठक में सम्बन्धित जिले के जिला पशुपालन पदाधिकारी/पोल्ट्री पदाधिकारी उपस्थित हो। इसका ब्यौरा निदेशक, पशुपालन A/c detail इत्यादि के साथ सम्बन्धित जिलों को उपलब्ध करा दें।

5. (i) राज्य के कतिपय जिले यथा हजारीबाग/कोडरमा ने बैंको के साथ विमर्श करे, स्वच्छ भारत मिशन में Internest free (30 days) का Loan beneficiaries को देने पर सहमत है। यह प्रयास सभी जिला करे तथा DLCC/DLRC/ DLBC इत्यादि में modalities तय करें।

(ii) हजारीबाग ने लाभुक बैंक के Loan A/c को map कर, उसी में अनुदान स्थानान्तरण का DBT से निर्णय लिया, जिससे loan adjustment में सुविधा हो। Bank auto debit कर सके तथा settlement आसानी से हो एवं hassle free हो।

(iii) उक्त सुविधा Organised Group को भी दी जा सकती है जिससे DWSC ग्रुप बैंक सहमत हो।

6. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत प्रासंगिक पत्रों में देय निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7. निदेशक SBM(G) ने सम्बन्धित निदेशक एवं पदाधिकारी से विमर्श कर लिया था। अग्रतर कोई doubt एवं सहयोग आवश्यक है तो निदेशक SBM(G) से विमर्श/परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

विश्वासभाजन,

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक : SBM(G) – 98/ 2016 - 1086/SBM(G), दिनांकः 21-09-16
प्रतिलिपि : UNICEF/Water-Aid/WSP/GSF/ Tata Trust झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक : SBM(G) – 98/ 2016 - 1086/SBM(G), दिनांकः 21-09-16
प्रतिलिपि : सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड/सभी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक : SBM(G) – 98/ 2016 - 1086/SBM(G), दिनांकः 21-09-16
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/परियोजना निदेशक, NRLM को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक : SBM(G) – 98/ 2016 - 1086/SBM(G), दिनांकः 21-09-16
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव के आप्त सचिव झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ समर्पित।

प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

/-

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
एवं
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक– SBM(G)/ मुख्य सचिव से पत्राचार–37 / 2016 (part-III)- 1154 /SBM (G) दिनांक– 19-10-16

प्रेषक,

1. **मुखमीत सिंह भाटिया**
   प्रधान सचिव,
   ग्रामीण विकास (पंचायती राज) विभाग
   झारखण्ड।

2. **अमरेन्द्र प्रताप सिंह**
   प्रधान सचिव,
   पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
   झारखण्ड।

सेवा में,

सभी उपायुक्त / सभी उप विकास आयुक्त,
झारखण्ड।
सभी कार्यपालक अभियंता,
पेजयल एवं स्वच्छता प्रमंडल, झारखण्ड।

विषय– **वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016 –17 अन्तर्गत महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत प्रत्येक जिला में कम से कम 5000 IHHL का निर्माण कराने के संबंध में।**

प्रसंग– 1. दिनांक–07.10.2016 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में देय निर्देश के संबंध में। (गैर प्रेषण संख्या 1498 / मु॰स॰ का दिनांक 14.10.16)

2. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से पूर्व निर्गत पत्रांक–SBM(G) / मुख्य सचिव से पत्राचार –37 / 16–1021 / SBM(G), दिनांक 06.09.2016 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक बैठक व पत्र के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक–07.10.2016 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में देय निर्देश के आलोक में प्रत्येक जिले को इस वित्तीय वर्ष 2016–17 में न्यूनतम 5000 IHHL का निर्माण महात्मा गाँधी नरेगा के द्वारा करना है। मनरेगा आयुक्त लगभग 135 करोड की राशि इस कार्य हेतु कर्णांकित करना सुनिश्चित कर रहे है। (मुख्य सचिव की बैठक की कार्यवाही के संबंधित अंश की छाया–प्रति संलग्न)

2. महात्मा गाँधी नरेगा के तहत् बनने वाले IHHL के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा प्रसंगाधीन पत्रों द्वारा निर्गत है।

i) मुख्य सचिव ने प्रसंगाधीन पत्र द्वारा निर्देश दिया है कि इसका **इस्तेमाल Slip back एवं नये IHHL** में किया जाय।

ii) सम्बन्धित DPC अपने अधीनस्थ BDO/BPO-MNREGA को उपायुक्त –सह–अध्यक्ष DWSC से समन्वयक कर निर्देश / लक्ष्य **संयुक्त रूप** से संसूचित करेंगे।

iii) लक्षित प्रखण्ड एवं ODF – GP को प्राथमिकता दी जाय।

ह॰ 18/10 ह॰

iv) गैर लक्षित प्रखण्ड में Revenue Village को ODF करने पर प्राथमिकता दी जाय।

v) इस योजना का कार्यान्वय मा0गा0नरेगा के मानक के अनुरूप होगा तथा SBM (G) के अनुरूप रु0 12000/–अधिकतम अनुदान सीमा के तहत् किया जायेगा।

3. अन्तर्गत गठित VOs से लगभग 2.0 (दो) लाख IHHL का निर्माण करना है। सभी DPM/BPM इससे सुनिश्चित करेगा।

(i) उपायुक्त –सह– अध्यक्ष DWSC प्रखण्ड /पंचायत/ग्रामवार कार्यान्वयन एजेन्सी का निर्धारण कर आदेश संयुक्त रूप से DPM के साथ VOs द्वारा होने वाले कार्यो का निर्धारण करेंगे।

(ii) मैंपिंग से स्पष्ट है कि VOs मुख्यतः 23 चयनित/लक्षित प्रखण्ड में ही है। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता पर प्राथमिकता से कार्य किया जाय।

(iii) गैर लक्षित क्षेत्र में Self Finance द्वारा IHHL निर्माण एवं इस्तेमाल का VOs द्वारा कार्य कराया जायेगा।

(iv) गैर लक्षित क्षेत्र जहाँ VOs है, वहाँ कंडिका 3(ii) के अनुरूप आदेश निर्गतकर, **सभी सरकारी कर्मी** (सेवारत/सेवानिवृत)/**सभी संविदा कर्मी** (पैरा शिक्षक/आंगनबाड़ी/ कम्प्युटर आपरेटर/MNREGA/ स्वास्थ्य/RKVY etc) तथा **भारत सरकार के संस्थान/PSUs के कर्मी** का चयन कर स्वतः वित्त पोषित (Self/Financed) IHHL का निर्माण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(v) कंडिका 2(iv), (v) जैसे क्षेत्र में अगर VOs है तो प्राथमिकता के साथ सहयोग किया जाय।

(vi) लक्षित/गैरलक्षित प्रखण्ड तथा VOs की उपस्थित में IEC / Base line correction अग्रतर Slip back से रोकना, IHHL के पूर्णतः Use को प्रोत्साहित करने का कार्य उक्त कंडिका 2 एवं 3 के कार्यो के साथ–साथ करेंगे।

म. भाटिया 18/10/16	
(मुखमीत सिंह भाटिया)	(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव,	सरकार के प्रधान सचिव,
ग्रामीण विकास (पंचायतीराज) विभाग।	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक– SBM(G)/ मुख्य सचिव से पत्राचार–37/2016 (part-III)- 1154 /SBM (G) दिनांक–19-10-16
प्रतिलिपि–UNICEF/WATER-Aid/WSP/GSF/Tata Trust/UNDP/ प्रदान झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/10/16
सरकार के प्रधान सचिव,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक– SBM(G)/ मुख्य सचिव से पत्राचार–37/2016 (part-III)- 1154 /SBM (G) दिनांक–19-10-16
प्रतिलिपि–सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/10/16
सरकार के प्रधान सचिव,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक:– SBM(G)/ मुख्य सचिव से पत्राचार–37 / 2016 (part-III)- 1154 /SBM (G) दिनांक– 19-10-16
प्रतिलिपि–निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा॰)/म॰गा॰नरेगा आयुक्त, झारखण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक– SBM(G)/ मुख्य सचिव से पत्राचार–37 / 2016 (part-III)- 1154 /SBM (G) दिनांक– 19-10-16
प्रतिलिपि–मुख्य सचिव के उप सचिव, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(40)

D/ S.D.M (S) / आ

झारखण्ड सरकार

मुख्य सचिव कार्यालय

(चर्या टिप्पणी)

गै०सं०प्रे० संख्या 1498 / मु०स०का०
दिनांक 14/10/16
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची।

प्रधान सचिव,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

दिनांक 07.10.2016 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभागीय समीक्षा के क्रम में दिए गए दिशा–निदेश की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि आगामी समीक्षात्मक बैठक में वर्णित दिशा–निदेश के परिपेक्ष्य में की गई कार्रवाई की समीक्षा व्यापक रूप से की जाएगी।

अतः अनुरोध है कि तत्संबंधी कार्रवाई यथाशीघ्र/समयबद्ध रूप से की जाए।

अनुलग्नक : यथोक्त।

(राजबाला वर्मा)
मुख्य सचिव।

14.X.2016

झा०रा०मु०राँची।

दिनांक 07.10.2016 को मुख्य सचिव द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा के क्रम में दिए गए दिशा–निदेश

I. IIHL (O.D.F)

इस वित्तीय वर्ष में लगभग 12,00,000 शौचालयों का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके विरूद्ध इस माह तक सिर्फ 2,00,973 शौचालयों का ही निर्माण किया जा सका है। खूंटी, गुमला, सिमडेगा एवं लातेहार जिले की स्थिति काफी निराशाजनक है। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की अपेक्षा की गई :

(i) सभी एजेंसी का मैपिंग कर यह निर्धारित कर दें कि किसे किस प्रखंड/पंचायत में कार्य करना है। अभी तक सिर्फ सरायकेला एवं रांची जिले में ही मैपिंग का कार्य किया जा सका है।

(ii) निधि की मांग करते समय संबंधित जिले के द्वारा यह स्पष्ट रूप से सूचित किया जाए कि इसे कहां पर खर्च किया जाएगा।

(iii) निधि की उपलब्धता पर विमर्श करने के क्रम में पाया गया कि भारत सरकार से 450 करोड़ रुपए एवं राज्य सरकार से 300 करोड़ रुपए तक मिल सकती है। मनरेगा आयुक्त को निदेशित किया गया कि वे 135 करोड़ रुपए इस कार्य हेतु कर्णांकित करें। कर्णांकित राशि को सभी जिलों का मैपिंग कर आवश्यकतानुसार प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए। इस राशि का उपयोग Slip back/नए शौचालयों के निर्माण दोनों में किया जाएगा।

(iv) SHGs को 2.00 लाख शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य दिया गया है। इन्हें 23 प्रखंडों को ODF करना है। इन प्रखंडों में भी मनरेगा को लक्षित करने हेतु कहा गया ताकि इसे जल्द–से–जल्द ODF घोषित किया जा सके।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

पत्र संख्याः SBM(G)/मुख्य सचिव से पत्राचार-37/16-1021/SBM(G) दिनांक : 06-09-16

प्रेषकः **एन.एन. सिन्हा** (भा०प्र०से०)
प्रधान सचिव
ग्रामीण विकास (पंचायती राज) विभाग

अमरेन्द्र प्रताप सिंह, (भा०प्र०से०)
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

Email

सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड।

विषयः **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण Village Org. (VO), का सहयोग प्राप्त करने, मा0 ग्रा0 नरेगा के तहत अनाच्छादित इन्दिरा आवास लाभुक एवं अन्य ग्रा0आवास योजना के लाभुको का IHHL निर्माण में आच्छादन तथा म.गा.नरेगा के मास्टर सरकुर्लर के निर्देश का पालन करने के सम्बन्ध में।**

प्रसंग :

1. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पूर्व पत्रांक–**SBM-G/मुख्य सचिव से पत्राचार–37/2016(पार्ट)–995/SBM-G दिनांक 17.08.16**
2. **मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 08.08.2016 को आयोजित JSLPS की समीक्षा बैठक में देय निर्देश मुख्य सचिव के कार्यालय गैर प्र0सं0 1027/CS दिनांक 09.08.16**
3. **मुख्य सचिव द्वारा विभागीय समीक्षा** DWSD **की दिनांक 10.08.16 मुख्य सचिव कार्यालय के निर्देश गैर.प्र.सं. 1206 दिनांक 22.08.16**
4. **म0ग्रा0नरेगा का** Master Circular, FY. 2016-17 (Guidance for Programme Implementation)
5. **प्रधान सचिव ग्रा.वि.वि. के साथ 26.08.16 को हुए विमर्श**

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उल्लेख है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा जारी पत्र (प्रासांगिक पत्र संख्या–1) के क्रम में निम्न संशोधन प्रस्तावित है :

''कंडिका 3(ii) DC की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक बैठक में DPM नियमित रूप से भाग लेंगे। सामान्यतः साप्ताहिक बैठक में BPM को आमंत्रित नहीं किया जायेगा। अति अपरिहार्य स्थति में ही BPM को आमंत्रित किया जा सकता है।''

उक्त परिपत्र उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

2. भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा म॰गा॰नरेगा के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए जारी Master Circular, (Guidance for Programme Implementation)

के पैरा–2.5.2.1.3 में म.ग्र.नरेगा के तहत व्यक्तिगत् शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में उल्लेखित है कि – ***"It should be ensured, however, that in cases, where Mahatma Gandhi NREGA funds are being used for the construction of IHHLs funding under SBM(G) is not used, to avoid duplication. It is to mentioned here that IHHLs under NREGA can be constructed also for all other eligible rural houses (not having toilets), but not covered under SBM(G) or any other scheme"***

उक्त के क्रम में निम्न प्राथमिकता निर्धारित की जाती है :

(i) इन्दिरा आवास योजना के लाभुक को (जो SBM-G) में पूर्व से आच्छादित नहीं है, उन्हें प्राथमिकता पर म0गा0नरेगा के तहत आच्छादित किया जाय।

(ii) इन्दिरा आवास लाभुक हेतु IHHL निर्माण कार्य राज्य के सभी पंचायतों में किया जाय।

(iii) इन्दिरा आवास योजना एवं उसकी प्रतिस्थानी प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अतिरिक्त अन्य ग्रामीण आवास योजना यथा बिरसा आवास योजना, बुनियादी आवास योजना, मछुआ आवास योजना इत्यादि के अनाच्छादित लाभुक भी प्राथमिकता पर आच्छादित किया जाय, यदि वे मनरेगा के अन्तर्गत निबंधित हो।

(iv) अन्य सुयोग्य लाभुक/क्षतिग्रस्त शौचालय (defunct toilet) जो BLS 2012 में SBM(G) तहत आच्छादन के पात्र नहीं है, उन्हें भी महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत निबंधित होने पर आच्छादित किया जा सकता है।

(v) इस योजना का कार्यान्वयन मा.गा.नरेगा के मानक के अनुरूप होगा तथा SBM-G के अनुरूप रु. 12000/– अधिकतम अनुदान सीमा के तहत किया जायेगा।

3. (i) मुख्य सचिव द्वारा निर्गत प्रसंगाधीन निर्देशों तथा विभागीय निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(ii) ODF पंचायतों का पाइप वाटर सप्लाई से आच्छादन में प्राथमिकता की जायेगी।

(iii) SAGY पंचायतों को SBM(G) के तहत ही आच्छादित किया जाय। मात्र defunct toilet एवं उक्त निर्देशों के अनुरूप आच्छादन MGNREGA के तहत किया जाय।

(iv) पूर्व में अगर कोई पंचायत MGNREGA के तहत पूर्णतः आच्छादित की गई हो तो उसके अवशेष कार्य को SBM(G) के तहत मार्गदर्शिका के तहत किया जाय, क्यों MGNREGA के तहत पंचायत को एक वर्ष में ODF करना काफी मुश्किल कार्य है।

(v) MG-NREGA के तहत प्रस्तावित कार्य राजस्व ग्राम वार उक्त निर्देशों के क्रम में आच्छादित करते हुए, बढ़ा जाय ताकि ODF-GP होने में सकारात्मक मदद मिल सके।

(vi) MG-NREGA पोर्टल के साथ–साथ प्रत्येक निर्मित IHHL का फोटो सहित व्यौरा www.sbm.gov.in पर upload किया जायेगा।

(vii) इस कार्य को करने के लिए जिला स्तर से SBM(G) के अन्तर्गत IEC/प्रशासनिक मद की राशि आवश्यकतानुसार एवं SBM(G) के निर्धारित प्रक्रिया /प्रावधान के अनुरूप व्यय की जायेगी। मुख्यतः CLTS – Natural Leaders का प्रशिक्षण, भ्रमण, प्रेरक की राशि, फोटो upload की राशि DWSD के विभागीय निर्देशों के अनुरूप व्यय की जा सकेगी।

अनु0 यथोपरि।

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

(एन0एन0सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक : SBM(G)/मुख्य सचिव से पत्रा0-37/16-1021/SBM(G) दिनांकः 06-09-16
प्रतिलिपि : UNICEF/Water-Aid/WSP/GSF/Tata Trust झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/09/16
सरकार के प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

ज्ञापांक : SBM(G)/मुख्य सचिव से पत्रा0-37/16-1021/SBM(G) दिनांकः 06-09-16
प्रतिलिपि : सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड/सभी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, झारखण्ड/सभी DPM, NRLM को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/09/16
सरकार के प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

ज्ञापांक : SBM(G)/मुख्य सचिव से पत्रा0-37/16-1021/SBM(G) दिनांकः 06-09-16
प्रतिलिपि : परियोजना निदेशक, NRLM, मनरेगा आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/09/16
सरकार के प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

ज्ञापांक : SBM(G)/मुख्य सचिव से पत्रा0-37/16-1021/SBM(G) दिनांकः 06-09-16
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव के आप्त सचिव झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ समर्पित।

06/09/16
सरकार के प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

ज्ञापांक : SBM(G)/मुख्य सचिव से पत्रा0-37/16-1021/SBM(G) दिनांकः 06-09-16
प्रतिलिपि : सभी उपविकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ को सूचनार्थ समर्पित।

06/09/16
सरकार के प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्रांक: NBA(TSC)-98/2009 (Part-II)-128/SBM(G) दिनांक 25-01-16

प्रेषक:

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,
प्रधान सचिव,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
झारखण्ड।

सेवा में,

सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
झारखण्ड।

विषयः– अगामी वित्तिय वर्ष में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण तथा प्रखण्ड /जिला ODF करने की रणनिति पर कार्य करने के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक NBA(TSC)- 98/2009(P-II)- SWSM दिनांक 19. 11.2015

महाशय,

उक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में उल्लेखित है कि 2 अक्टूबर, 2019 तक सम्पूर्ण भारत को (झारखण्ड सहित) खुले में शौच मुक्त करना लक्षित है। प्रासंगिक पत्र के द्वारा जिला वार ODF करने की तिथी निर्धारित की जा चुकी है। अगामी वित्तिय वर्ष 2016–17 में आठ जिले पूर्ण ODF तथा प्रत्येक जिला से न्यूनतम दो प्रखण्ड जुन, 2016 तक ODF करना लक्षित है।(Anx-I) तथा ODF हेतु लक्षित प्रखण्डों का 30% व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का निर्माण मार्च, 2016 तक पूर्ण करना है। तदनुरूप इस वित्तिय वर्ष के संशोधित लक्ष्य पत्र के साथ संलग्न है। (Anx-II)

आप से अनुरोध है कि विभाग के पूर्व पत्रांक SBM(G)-AIP-262/12(Part-III) 817/SWSM दिनांक 19.05.2015(विभाग की वेबसाईट daa.jharkhand पर उपलब्ध) के आलोक में इस सन्दर्भ में सामग्री व मानव बल (मैसन एवं अन्य) की पूर्व व्यवस्था कर लेवें जिससे कार्य द्रुत गति से हो तथा Speed-up होने पर गति ना टूटे।

आपके सहयोग से एवं प्राथमिकता से झारखण्ड के खुले में शौच मुक्ति की अमानवीय परिपाटी समाप्त हो सकती है। आग्रह है कि कार्यक्रम की साप्ताहिक समीक्षा करें तथा प्रतिमाह DWSD की बैठक आहूत करें।

विभाग की ओर से किसी भी सहयोग हेतु आप निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा॰) अथवा राज्य समन्वयक, (SBM-G) (मो॰ न॰– 9608614325) से सम्पर्क कर सकते है। परन्तु यह आपको ही सुनिश्चित करना है कि खुले में शौच मुक्ति के इस मिशन को आप अपने जिले में कैसे सफल करेंगे, तथा यह भी सुनिश्चित करें कि इस वित्तिय वर्ष के संशोधित लक्ष्य 20 मार्च, 2016 तक पूर्ण हों।

अनु॰ यथोपरि।

विश्वासभाजन,

25/01/16

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक NBA(TSC)-98/2009 (Part-II)- 128/SBM(G) दिनांक 25-01-16
प्रतिलिपिः सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपाल अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/1/16
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक NBA(TSC)-98/2009 (Part-II)-128/SBM(G) दिनांक 25-01-16
प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ समर्पित।

25/1/16
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक NBA(TSC)-98/2009 (Part-II)-128/SBM(G) दिनांक 25-01-16.
प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, झारखण्ड को सुचनार्थ समर्पित।

25/1/16
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान सचिव

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्रांकः NBA(TSC)-98/2009(Part-II)- 490 /SBM-G..दिनांक 13-05-16

प्रेषकः

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,
प्रधान सचिव,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड।

सेवा में,

सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
झारखण्ड।

विषयः **वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण करने एवं प्रखण्ड/जिला ODF करने के संबंध में।**

प्रसंगः **इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक NBA(TSC)-98/2009(Part-II)-128/SBM(G) दिनांक 25.01.2016 तथा पत्रांक NBA(TSC)-98/2009 (Part-II)/1915-SBM(G) दिनांक 19.11.2015**

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में उल्लेखित है कि 2 अक्टुबर, 2019 तक सम्पूर्ण भारत (झारखण्ड) को खूले में शौच मुक्त करना लक्षित है। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2015–16 में झारखण्ड ने 3.00 लाख व्यक्तिगत शौचालय के विरूद्ध 3.11 लाख लक्ष्य प्राप्त किया है, जो आप सभी के प्रेरक सहयोग का परिणाम है। लेकिन अभी भी 30.45 लाख व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण शेष है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में सम्यक विचार–विमर्शोपरान्त, राज्य का न्यूनतम लक्ष्य निम्न प्रकार रखा गया है :–

1. व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का लक्ष्य – 946537
2. ODF हेतु लक्षित जिला – 7

(खूँटी/कोडरमा/लोहरदगा/हजारीबाग/ रामगढ़/ साहेबगंज एवं जामताड़ा।) विस्तृत सूची एवं जिलावार/ प्रखण्डवार लक्ष्य संलग्न (Anx-1)

सात (7) ODF हेतु लक्षित जिला को छोड़कर शेष जिला में 2016–17 में लक्षित किए गए प्रखण्डों में प्रथमतया 5–5 ग्राम पंचायतों में कार्य शुरू करना है। इन पाँच पंचायतों को ODF कर फिर अगले 5–5 पंचायत उन्हीं प्रखण्डों में चयनित कर कार्य किया जायेगा।

ज्ञात रहे यह लक्ष्य न्यूनतम है, इसके अतिरिक्त, जिन, ग्राम–पंचायतों को गत वर्ष ODF हेतु लक्षित किया गया था उन्हे जून, 16 तक हर हाल में ODF करना है।

पूर्व पत्रांक NBA(TSC)-98/2009(Part-II)-128/SBM(G) दिनांक 25.01.2016 के अनुसार जून, 2016 तक ODF करने हेतु लक्षित प्रखण्डों को भी प्राथमिकता से पूर्ण करना है।

आपसे अपेक्षा है कि आप वित्तीय वर्ष 2016–17 के उक्त न्यूनतम लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु कार्य करें। विभाग से किसी प्रकार के सहयोग हेतु आप निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा॰) अथवा राज्य समन्वयक (SBM-G) (मो॰ न॰– 9608614325) से सम्पर्क कर सकते है।

आपके सहयोग से झारखण्ड में खुले में शौच मुक्ति की अमानवीय परिपाटी समाप्त हो सकती है, आग्रह है कि गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी लक्ष्य प्राप्ति हेतु हम सतत् प्रयत्नशील रहें।

अनु॰–यथोपरि।

विश्वासभाजन,

Ap 13/05/16

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

प्रधान सचिव

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: NBA(TSC)-98/2009(Part-II)...- 490.........../SBM-G.दिनांक...13-05-16

प्रतिलिपिः मुख्य अभियंता, (मुख्यालय)/मुख्य अभियंता–सह–कार्यकारी निदेशक, पी॰एम॰यू॰/मुख्य अभियंता, सी॰डी॰ओ॰/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, राँची/दुमका/ सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ap 13/05/16

प्रधान सचिव

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: NBA(TSC)-98/2009(Part-II)...- 490.........../SBM-G.दिनांक...13-05-16

प्रतिलिपिः संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/राज्य समन्वयक/ सभी परामर्शी/ Unicef / Water Aid / WSP /GSF/ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ap 13/05/16

प्रधान सचिव

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: NBA(TSC)-98/2009(Part-II)...- 490.........../SBM-G.दिनांक...13-05-16

प्रतिलिपिः सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ समर्पित।

Ap 13/05/16

प्रधान सचिव

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: NBA(TSC)-98/2009(Part-II)...- 490.........../SBM-G.दिनांक...13-05-16

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास (पंचायती राज) विभाग झारखण्ड/मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ समर्पित।

Ap 13/05/16

प्रधान सचिव

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: NBA(TSC)-98/2009(Part-II)...- 490.........../SBM-G.दिनांक...13-05-16

प्रतिलिपिः श्री निपुण विनायक, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, GoI, New Delhi, को सूचनार्थ समर्पित।

Ap 13/05/16

प्रधान सचिव

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

Anx-1

IHHL Target & LIST OF TARGETED ODF BLOCKS IN FY 2016-17

Sl.	District	Division	Targeted Block	Minimum Targeted HHs
1	Bokaro	Chas	Bermo	22180
2			Chas	
3			Chandankiyari	
4		Tenughat	Gomiyo	
5			Peterwar	
6			Kasmar	
7	Chatra	Chatra	Chatra	11090
8			Simaria	
9	Deoghar	Deoghar	Devipur	22180
10			Sonaraithadi	
11		Madhupur	Palajori	
12			Margomunda	
13	Dhanbad	Dhanbad - I	Govindpur	27725
14		DHanbad - II	Baghmara	
15			Dhanbad Sadar	
16			Kaliyasol	
17			Purbi Tundi	
18	Dumka	Dumka - I	Kathikund	16635
19		Dumka - II	Jama	
20			Masaliya	
21	Garhwa	Garhwa	Bardiha	16632
22			Bishunpura	
23			Meral	
24	Giridih	Giridih - I	Bengabad	33264
25			Devri	
26			Dumri	
27		Giridih - II	Bagodar	
28			Gawan	
29			Giridih	
30	Godda	Gooda	Mahagama	16632
31			Poreyahat	
32			Thakurgangati	
33	Gumla	Gumla	Albert Ekka (Jari)	22176
34			Bishunpur	
35			Raidih	
36			Sisai	
37	Hazaribagh	Hazaribagh	Barhi	148119
38			Barkagaon	
39			Barkatha	
40			Bishnugarh	
41			Chalkusha	
42			Chouparan	
43			Churchu	
44			Dadi	
45			Daru	
46			Ichak	

Sl.	District	Division	Targeted Block	Minimum Targeted HHs
47	[illegible]	[illegible]	Katkamdagi	[illegible]
48			Katkamsandi	
49			Keredari	
50			Padma	
51			Sadar	
52			Tatijhariya	
53	Jamtara	Jamtara	Fatehpur	80928
54			Jamtara	
55			Karmatanr Vidyasagar	
56			Kundhit	
57			Nala	
58		Jamtara	Narayanpur	
59	Khunti	Khunti	Arki	77593
60			Karra	
61			Khunti	
62			Murhu	
63			Rania	
64			Torpa	
65	Koderma	Koderma	Chandwara	67748
66			Domchanch	
67			Jainagar	
68			Koderma	
69			Markacho	
70			Satgawan	
71	Latehar	Latehar	Latehar	11090
72			Mahuadanr	
73	Lohardaga	Lohardaga	Bhandra	57468
74			Kairo	
75			Kisko	
76			Kuru	
77			Lohardaga	
78			Pesrar	
79			Senha	
80	Pakur	Pakur	Littipara	11090
81			Pakuriya	
82	Palamu	Palamu	Manatu	27720
83			Nawa Bazar	
84			Parwa	
85			Pipra	
86			Satbarwa	
87	Paschimi Singhbhum	Chaibasa	Chaibasa	33270
88			Noamundi	
89			Tantnagar	
90		Chakradharpur	Anandpur	
91			Chakradharpur	
92			Sonua	
93	[illegible]	[illegible]	Boram	[illegible]

Sl.	District	Division	Targeted Block	Minimum Targeted HHs
94	Purbi Singhbhum	Adityapur	Patamda	27746
95			Potka	
96		Jamshedpur	Bahragora	
97			Jamshedpur	
98			Musabani	
99	Ramgarh	Ramgarh	Chitarpur	69598
100			Dulmi	
101			Gola	
102			Mandu	
103			Patratu	
104			Ramgarh	
105	Ranchi	Ranchi (East)	Angara	27720
106			Ormanjhi	
107		Ranchi (West)	Itki	
108			Khalari	
109			Nagri	
110	Sahibganj	Sahibganj	Barhait	84666
111			Barharwa	
112			Borio	
113			Mandro	
114			Pathna	
115			Rajmahal	
116			Sahibganj	
117			Taljhari	
118			Udhwa	
119	Saraikela-Kharsawan	Saraikela	Chandil	16632
120			Kharsawan	
121			Saraikela	
122	Simdega	Simdega	Bano	16635
123			Bansjor	
124			Kersai	
	TOTAL			946537

Govt. of Jharkhand
Drinking Water & Sanitation Department

Letter No. SBM(G)/ODF सत्यापन-104/16-549 Date 11-06-16

From,

A.P Singh, IAS
Principal Secretary
Drinking Water and Sanitation Department, Jharkhand

To,

All Deputy Commissioners,
District Water and Sanitation Committee, Jharkhand

Subject:- Promoting self certification tools in ODF panchayats by community.

Dear All,

Drinking Water and Sanitation Department, GoJ is committed to achieve "Swachh Jharkhand" and "Open Defecation Free Jharkhand" by 2019. Intensive planning has been done and work is being undertaken in phase wise manner throughout state. Open defecation free communities means ODF status of Gram Panchayats, including toilet coverage and usage with inclusive of the prevailing practices or behaviors on key hygiene practices like hand washing with soap and safe child excreta disposal etc.

2. ODF in real sense can only be achieved through community participation and community involvement. DWSCs needs to engage in discussion with community on regular basis and promote community driven and community led steps to declare themselves free from open defecation.

3. (i) In line with the guidelines of Swachh Bharat Mission-G, DWSD plans to undertake an ODF validation exercise in all the GPs which declared themselves to be ODF in Jharkhand. First step in the ODF Certification process is the Community Self Assessment and declaration. This needs to be taken up by the community using self assessment tools.

(ii) As a part of best practices it has come to our notice that VWSC together with the help of PRI members and Nigrani Samiti in Dulmi block of Ramgarh district has developed a tool to identify and mark households by category of 'toilet in use by all' and "toilet not in use or partially used". This is done through a self sticky yellow and greed color stickers as

(a) Green Stickers – All members of households using toilet.
(b) Yellow Stickers – Some members of Households are using toilet.
(c) Red Stickers- No members of Households are using toilet.

Contd. 2

Green sticker symbolizes use of toilet by all family members and yellow stickers for those households not using toilet. This seems to be a useful initiative as it has become easy to convince and concentrate efforts to those households who are not using IHHLs.

(iii) Survey for identification of open defecators:- Door to door survey needs to be conducted after construction of IHHLs in saturation mode in the GP by VWSC with the support of NIgrani Samitis. Each families will be interviewed and interviewer will see the toilet and mark it as "in use" or "not in use" or partially in use through a self sticky Green and yellow & red (sample attached) stickers. Following things will be monitored:

- Use of toilet by all family members
- Cleanliness of toilet
- Availability of soap near toilet
- Water tank in use
- Disposal of child feases

(iv) List of families will be prepared along with their mobile numbers and will be circulated to district authorities/ block authorities. District authorities will randomly verify it and discuss with the families for ensuring its use.

(v) District authorities will set up a mechanism at block and district level to call on the mobile numbers of those who are not using toilets and convince them for the use.

(vi) Night meeting (Ratri Chaupal) will be organized with help of authorities and representative of district administration and DWSC etc.

4. It is hereby suggested to DWSCs for initiating such activity in those panchayats where construction has been completed in saturation mode. It may be charged from district IEC head.

5. A brief note along with sample sticker is attached.

Proposal has been approved by the Deptt. minister.

Yours Sincerely

10/06/16

(A.P Singh)
Principal Secretary,
Drinking Water and Sanitation Department

Contd. 3

Memo No. SBM(G)/ODF सत्यापन-104/16-549, Dated: 11-06-16.

Copy to : Director, SBM-G, DWSD, for information and necessary action.

Sd/- 10/06/16
Principal Secretary,
Drinking Water and Sanitation Department

MemoNo. SBM(G)/ODF सत्यापन-104/16-549, Dated: 11-06-16.

Copy to : All Executive Engineers, DWSC, for information and necessary action.

Sd/- 10/06/16
Principal Secretary,
Drinking Water and Sanitation Department

Memo No. SBM(G)/ODF सत्यापन-104/16-549 Dated: 11-06-16

Copy to : Kumar Premchand (WASH Specialist, UNICEF), for information and necessary action.

Sd/- 10/06/16
Principal Secretary,
Drinking Water and Sanitation Department

Sample of Stickers :

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

''संकल्प''

विषयः खुले में शौचमुक्त ग्राम पंचायत घोषित करने हेतु झारखण्ड राज्य में प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति के सम्बंध में।

1. भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा खुले में शौचमुक्त गांव/पंचायत/प्रखण्ड व जिला के सत्यापन हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये गए है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दिशानिर्देश (अक्टूबर 2014) के पैरा 14 (14.1 से 14.4) में उल्लेखित प्रावधानों तथा संयुक्त सचिव (SBM-G) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक–S-11011/2/2015-SBM दिनांक 09.06.2015 में परिभाषित खुले में शौचमुक्त समुदाय और मंत्रालय द्वारा जारी पत्रांक–S-11011/2/2015-SBM दिनांक 03.09.2015 में वर्णित खुले में शौच मुक्ति के सत्यापन की प्रक्रिया के आलोक में झारखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में खुले से शौच मुक्त ग्राम/पंचायत को खुले में शौच मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती है –

खुले में शौच मुक्त की परिभाषा निम्नवत् होगी –

'ODF is the termination of faecal-oral transmission, defined by (a) no visible faeces found in the environment/ village; and (b) every households as well as public /community institution using safe technology option for disposal of faeces' अर्थात् खुले में शौच मुक्त समुदाय का तात्पर्य वैसे समुदाय से है, जो समुदाय खुले में शौच की प्रथा से मुक्त हो तथा समुदाय के सभी परिवारों के सभी सदस्यों के द्वारा मल/अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान हेतु सुरक्षित तकनीकी विकल्पों का इस्तेमाल किया जा रहा हो। साथ ही, उस समुदाय में मौजूद सभी सरकारी भवनों यथा विद्यालयों आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं पंचायत भवनों में और अन्य सामुदायिक स्थलों पर मानव मल के सुरक्षित निष्पादन की व्यवस्था हो एवं उसका उपयोग किया जा रहा हो तथा समुदाय का कोई भी सदस्य किसी भी परिस्थिति में खुले में शौच नहीं करता हो। सुरक्षित तकनीकी विकल्प (safe technology option) का तात्पर्य एक व्यवस्थित उपसंरचना की इकाई से है, जो मानव मल को खुले के संपर्क से दूर रखे और समुचित रूप से पैन, जल बन्द और पी–ट्रैप युक्त हो।

2. झारखण्ड में खुले में शौच मुक्ति के सत्यापन हेतु तीन चरण होंगे जो कि ODF verification & certification protocol के बिन्दुओं के अनुसार होगा।

2.1 Comments Self Declaration

(a) इसके तहत सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के सदस्य राजस्व ग्रामों द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से गाँव को खुले में शौच से मुक्त संबंधी अधिघोषणा की जाएगी।

(b) सभी राजस्व ग्रामों द्वारा उपरोक्त अधिघोषणा के पश्चात एक 5–15 सदस्यीय पंचायत स्तरीय समिति गठित की जाएगी जो अधिघोषणा के अनुरूप तथ्यों की जाँच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन पंचायत कार्यालय को समर्पित करेगी।

2.2 District Level Verification

(a) इसके तहत उपायुक्त –सह–अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा एक अंतर्विभागीय दल का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता अनुमंडल दंडाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी द्वारा की जाएगी तथा जिसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि सदस्य के तौर पर होंगे। अध्यक्ष छोटी–छोटी टीम से GP और ग्राम में जाँच कराएँगें, टीम का गठन NYK/NSS/NCC के स्वयं सेवकों से किया जाएगा।

(b) उपरोक्त समिति में पर्याप्त मात्रा में NYK (नेहरू युवा केन्द्र) NCC तथा NSS से स्वयं सेवक को भी रखा जाएगा। इस समिति में 3 (तीन) ऐसी नागरिक सेवा संगठन जिन्हें WASH (Water, Sanitation and Hygiene) के क्षेत्र में कार्य का अनुभव हो, उन्हें भी शामिल किया जा सकेगा।

(c) उपरोक्त समिति भी राजस्व ग्रामों के लिए 3 (तीन) सदस्यीय दल का गठन करेगी, तथा दल समीक्षोपरान्त स्थल निरीक्षण कर विहित प्रपत्र में अपना प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

2.3 Third Party Assessment -

2.3.1 जिला स्तरीय दल द्वारा किसी पंचायत के पश्चात 10% पंचायतों का मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा। स्वतंत्र ऐजेन्सी द्वारा मूल्यांकन GP द्वारा ODF घोषित होने के 6 माह में कराया जाएगा। स्वतंत्र एजेंसी के चयन हेतु योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा उनके पत्रांक-764(MO) दिनांक 28.04.2016 द्वारा दिए गए दिशानिर्देश का अनुपालन किया जाएगा।

2.3.2 स्वतंत्र ऐजेन्सी द्वारा जाँच रिपोर्ट प्रतिवेदन, निदेशक (SBM-G) के द्वारा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।

2.3.3 Third Party द्वारा जाँच के लिए निदेशक (SBM-G) द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में Case Study, ODF के लिए ग्राम पंचायत द्वारा अपनायी गयी रणनीति, प्रक्रिया, मार्ग में आने वाली कठिनाईयाँ उनका समाधान किस प्रकार से किया गया इत्यादि सूचना निदेशक (SBM-G) को उपलब्ध करायेंगे।

2.3.4 Third Party में IIM, XLRI, XISS, BIT, UNICEF, Water Aid, WSP इत्यादि संस्थानों का सहयोग भी लिया जा सकता है।

3. यह कार्य SBM(G) अन्तर्गत IEC शीर्ष अन्तर्गत भारित होगा। यह व्यय केन्द्रांश : राज्यांश 60:40 के अनुपात में क्रमशः व्यय होगा। यह व्यय निदेशक, SBM(G) द्वारा authorised/किया जा सकेगा।

4. ओ.डी.एफ. वेरीफिकेशन एवं सर्टिफिकेशन प्रोटोकॉल संलग्न है।

5. यह संकल्प विभागीय संलेख ज्ञापांक–NBA/(TSC)-98/2009(Part)-657 / SBM(G) दिनांक 18.07.16 पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 26.07.16 मद सं0 16 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के राजपत्र में जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

अनु0 यथोपरि।

AP 10/08/16
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या : NBA(TSC)-98/2009(Part-I)- 774 /SBM(G) दिनांक : 10-08-16
प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षण, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित। नोडल पदाधिकारी ई॰गजट, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
अनु॰–यथोपरि।

AP 10/08/16
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या : NBA (TSC)-98/2009(Part-I)- 774 /SBM(G) दिनांक : 10-08-16
प्रतिलिपि : मुख्यमन्त्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मन्त्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/ सभी विभाग, झारखण्ड सरकार /सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सभी अंचल एवं प्रमण्डल/प्राधिकार झारखण्ड/ सभी पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
अनु॰–यथोपरि।

AP 10/08/16
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या : NBA(TSC)-98/2009(Part-I)- 774 /SBM(G) दिनांक : 10-08-16
प्रतिलिपि : सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पेयजल एवं स्वच्छता मन्त्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰–यथोपरि।

10/08/16

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

कार्यालय, निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची
डोरंडा बाजार पानी टंकी परिसर, प्रथम तल, डोरंडा बाजार, राँची–834002 फैक्स नं॰–0651–2481593 Email-sbm.jhar@gmail.com

पत्र संख्याः ODF उत्सव/प्रगति–948/14(Part-I)– 1027/SBM-G, दिनांकः 07-09-16

प्रेषकः **राजेश कुमार शर्मा,** भ0प्र0से0
निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

1. सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव
   जिला जल एवं स्वच्छता मिशन ''प्रकल्प'' झारखण्ड।
2. सभी INGOs के झारखण्ड प्रतिनिधिः
   - (i) UNICEF, Jharkhand
   - (ii) WSP – World Bank, Jharkhand
   - (iii) GSF, Jharkhand
   - (iv) Water Aid, Jharkhand
   - (v) Tata Trust, Jharkhand

विषयः खुले में शौच से मुक्ति एवं समुदाय का जुड़ाव के सम्बंध में।

प्रसंगः पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या– S-11011/3/ 2015-SBM, दिनांक 17.08.2016.

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम अंतर्गत खुले में शौच मुक्त घोषित करने से पहले सम्बंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। जिसका विस्तृत मापदण्ड एवं सम्बंधित दिशा निर्देश पूर्व में निर्गत किया गया है। यह कार्यक्रम मुख्यतः खुले में शौच मुक्त गाँव, पंचायत, प्रखण्ड एवं जिले की कामना करता है। खुले में शौच मुक्त स्थिति की प्राप्ति के लिए समुदायों की सहभागिता आवश्यक है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, विधवा, विस्थापित सभी शामिल हैं। खुले में शौच से मुक्त स्थिति की घोषणा करने के पूर्व यह सुनिश्चित की जाए कि उक्त समुदाय/समूह पूर्णरूपेण आच्छादित हों।

साथ ही ODF सत्यापन के मद्येनजर एवं स्थाई ODF हेतु स्थानीय तंत्र जैसे निगरानी समिति एवं खुले में शौच करने वालों से अर्थदण्ड लेना इत्यादि की व्यवस्था शामिल होनी चाहिए। इस तरह की प्रकिया खुले में शौच मुक्त घोषणा के बाद भी छः माह से एक साल तक लगातार की जानी चाहिए।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकिया अपने कार्यक्रम के कियान्वयन की रणनीति में शामिल करना सुनिश्चित की जाए। भारत सरकार का सम्बंधित पत्र इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

अनु0ः यथोपरि।

विश्वासभाजन
7/9/16

(राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक, SBM(G)

कृ0 पृ0 उ0 ....

ज्ञाप संख्याः ODF उत्सव / प्रगति–948 / 14(Part-I)– 1027 / SBM-G, दिनांकः 07-09-16

प्रतिलिपिः सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड / सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ अग्रसारित।

7/9/16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

कार्यालय निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा०)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड राँची
डायरी सं० 428 दिनांक 24/8/16

S-11011/3/2015-SBM
Government of India
Ministry of Drinking Water and Sanitation
Swachh Bharat Mission (Gramin) Division

12[th] Floor, Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi – 110003

Dated 17.8.2016

To,

The Principal Secretary/Secretary
In-charge Rural Sanitation
All States/UTS

Subject: Inclusion and ODF.

Madam/Sir,

You are aware that Swachh Bharat Mission (Gramin) focuses on achievement of open defecation free (ODF) villages. The parameters of ODF have been defined and guidelines for ODF verification also issued. Based on the same, the States have laid down their own mechanism for ODF verification and the process of verification is currently on.

2. You may appreciate that ODF achievement signifies involvement of the entire community in stopping open defecation. The community includes the vulnerable population of SCs, STs, widows, migrant people etc. It is important that these categories are included in the process of ODF and engaged in implementation. The solution adopted by entire community, including these categories has to be sustainable. This may require special efforts; however, ODF declaration should not be made unless it is ensured that all categories, including vulnerable categories have been covered.

3. Also, the process of ODF verification needs to be very strict and meticulous. In order to sustain ODF status, it may also be checked whether the community has placed local mechanisms in place (nigrani committees, fines etc.) to check open defecation. These efforts should continue for 6 months to a year after a village has been declared ODF.

4. These suggestions are reiterated for kind consideration please and for suitable inclusion in your implementation strategy.

Yours faithfully,

(Arun Baroka)
Joint Secretary

Copy to: State Coordinator (SBM-G), All States/UTs

कार्यालय, निदेशक

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची

डोरंडा बाजार पानी टंकी परिसर, प्रथम तल, डोरंडा बाजार, राँची–834002 फोन न.–0651–2482876 फैक्स न.–0651–2481593 Email-sbmg.jhar@gmail.com

पत्र संख्याः SBM(G) / मा0मुख्यमंत्री–मुख्य सचिव का बैठक / VC-121/16- 64, / SBM-G,दिनांक : 25-01-17

प्रेषकः **राजेश कुमार शर्मा**, भा0प्र0से0
निदेशक, SBM(G)
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,
सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन प्रकल्प, झारखण्ड।

विषयः **स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ODF Verification के प्रतिवेदन के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक पत्र के संबंध में कहना है कि मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार की समीक्षा के दौरान दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में **ODF Verification** के कार्य को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अतः इस संबंध में निम्नलिखित के अनुसार प्रतिवेदन दिनांक 27.01.17 तक आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को ईमेल से प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये।

ODF Verification

क्रम	31मार्च 2017 तक लक्षित ODF ग्राम पंचायतों की संख्या	घोषित ODF ग्राम पंचायतों की संख्या	Verified ODF GP की संख्या	घोषित ODF ग्राम पंचायतों की संख्या जहाँ Verification किया जा रहा है	शेष ग्राम पंचायतों की संख्या जो ODF Declared की जानी है।
	1	2	4	5	6

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 24/1/17

(राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक : SBM(G) / मा0मुख्यमंत्री–मुख्य सचिव का बैठक / VC-121/16- 64, दिनांक : 25-01-17
प्रतिलिपि : सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 24/1/17

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक : SBM(G) / मा0मुख्यमंत्री–मुख्य सचिव का बैठक / VC-121/16- 64, दिनांक : 25-01-17
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ समर्पित।

(हस्ताक्षर)

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

2nd Computer Jan 2017

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्रांक : ....   दिनांक : ....

प्रेषक : **अपर मुख्य सचिव**
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची।

प्रेषित,
कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, राँची (पूर्वी)/राँची (पश्चिम)/खूँटी/रामगढ़/लोहरदगा।

विषय : सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के संबंध में।

ज्ञाप,

समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता विधि अथवा अन्य ट्रिगरिंग पद्धतियों द्वारा खुले में शौच मुक्त हुए गाँवों में संलग्न कार्य विवरणी के अनुसार ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को प्रचार प्रसार गतिविधियों हेतु निधि हस्तांतरित करें। चूँकि उक्त कार्य हेतु सरकारी प्रोत्साहन राशि प्रति 200 परिवारों पर प्रति परिवार 74/– रुपये की दर से गाँव में स्थित कुल परिवारों (ए.पी.एल. और बी.पी.एल. सभी) की संख्या के आधार पर निधि निर्गत की जा सकती है। साथ ही ODF ग्राम के जागरूकता एवं उत्सव हेतु प्रति परिवार 83/– रुपये दी जाए। कार्य के सफल क्रियान्वयन एवं गाँव के प्रत्येक परिवार की प्रचार प्रसार गतिविधियों में सहभागिता एवं निगरानी का दायित्व कार्यपालक अभियंता एवं जिला समन्वयक पर होगी।

संलग्न – यथोपरि।

ह./–
(सुधीर प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : C.L.T.S. Monitoring-546/12-1809/SWSM   दिनांक : 26.12.2012
प्रतिलिपि : निदेशक–I/निदेशक–II/राज्य समन्वयक (NBA) पी.एम.यु. को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नवीन परमार)
मुख्य अभियंता–सह–कार्यकारी निदेशक

माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 07.10.15 को आयोजित समीक्षात्मक बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से संबंधित बिन्दु :–

(1) स्वच्छ भारत मिशन SBM (G) की प्रगति से संबंधित जिलों को अवगत कराया गया । राज्य की प्रगति वार्षिक लक्ष्य के लगभग 30% है जबकि कई जिलों की प्रगति काफी खराब है । गढ़वा/पलामू/जा[illegible]ड़ा को विशेष रूप से कार्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । इन जिलों की प्रगति मात्र 10% या उससे भी कम है । आधा वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुका है ।

(2) सभी उपायुक्तों को निदेशित किया गया कि DWSC की बैठक सप्ताह में एक बार अवश्य करें और प्रगति की समीक्षा करें । सभी निर्णय/निर्देश/कार्य योजना बैठक दल द्वारा भौतिक जाँच, फोटो Upload, IMIS प्रवृष्टि इत्यादि ।

(3) चयनित पंचायतों में राशि की उपलब्धता : किसी भी पंचायत में राशि का अभाव न हो, कार्य बाधित न हो । RTGS की माध्यम से राशि विमुक्त करना हेतु सुनिश्चित किया जाय ।

(4) पंचायत वार लक्ष्य की सत्यता सत्यापन : इसमें विशेष सतर्कता बरती जाय । सभी चयनित पंचायतों में सामान्यतः [illegible]–750 की बीच शौचालय निर्माण का लक्ष्य सामान्यतः होनी चाहिए । इससे अधिक का लक्ष्य संसूचित होने पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि Base line survey EM-II त्रुटिपूर्ण हो सकता है । अयोग्य व्यक्ति (Non eligible rich/govt servant etc) अथवा पूर्व से शौचालय युक्त गृह स्वामी दोबारा लाभ ले रहा होगा । इस पर विशेष [illegible] दें । विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व से निर्गत है ।

(5) सभी उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि जून, 16 तक कम से कम दो प्रखण्ड पूर्णतः ODF हो इसके लिये अभी से ही प्र[illegible] रूप से कार्य किया जाय । प्रखण्ड चयन कर कार्य प्रारम्भ हो तथा विभाग को सूचना दी जाय ।

(6) गोड्डा एवं साहेबगंज तथा [illegible] जिलों में एक पंचायत में 1400–2100 तक लाभुक परिवारों की संख्या प्रतिवेदित की गयी है । कहीं–कहीं कियान्वयन भी हो गया होगा । यह प्रथम दृष्टया सही प्रतीत नहीं होता है । इस पर विशेष रूप से जाँच किया जाय । अन्य पंचायतों में ऐसी त्रुटियाँ [illegible] दोहराया जाय ।

(7) फोटो Upload पर विशेष [illegible] : (वित्तीय 2014–15) में दिनांक 01.04.14 के बाद शौचालय का ब्यौरा IMIS पर [illegible] सहित Upload करना है । दिनांक 31.10.15 तक शत–प्रतिशत फोटो दिनांक [illegible].09.15 तक निमित्त शौचालय का Upload करना सुनिश्चित किया जाय । [illegible] को छोड़कर शेष जिलों को विशेष ध्यान देना है । सभी दिशा–निर्देश निर्गत है ।

(8) SAGY स्कीम के तहत पंचायतों [illegible] वित्तीय वर्ष 2016–17 से SBM(G) के तहत न लेकर, मनरेगा के तहत लिया जाय [illegible] ग्रामीण विकास विभाग से सहमति प्राप्त कर लिया गया । लेकिन अगर प्रखण्ड [illegible] SBM(G) में ODF हो रहा है तो SAGY पंचायत को SBM(G) से लिया जा सकता [illegible]

(9) मनरेगा के तहत 240 पंचायत[illegible] कार्य चल रहा है, Output को SBM (G) के Portal पर Upload किया जाय ।

(10) IAY लाभुकों को वर्ष 2015–16 में ग्रामीण विकास विभाग शौचालय के लिये पूरी राशि दी जा रही है । अतः ऐसे परिवार का MNREGA/SBM(G) अन्तर्गत शौचालय से आच्छादित न करें।

(11) मनरेगा की राशि के द्वारा जो पंचायत ODF की जा रही है । वहां पर SBM(G) की कोई राशि का व्यय नहीं किया जाय । ऐसी पंचायत जो SBM(G) के तहत ODF की जा रही है वहां पर मनरेगा की राशि का उपयोग नहीं किया जाय । Duplication को रोकने हेतु SBM(G) के Portal पर MNREGA, अन्तर्गत निमित्त IHHL का ब्यौरा Upload किया जाय ।

(12) सुयोग्य परिवार जो पूर्व में ही स्वतः शौचालय बना लिया गया है, उसका सर्वेक्षण कर EM-3 पर update कर दिया जाय । सुयोग्य/सक्षम (सरकारी कर्मी/सम्पन्न/पक्के घर के स्वामी/कार/ट्रैक्टर/मोटर साईकिल धारक को प्रेरित कर स्व व्यय पर निर्माण करायें) विस्तृत निर्देश निर्गत है ।

(13) Community Toilet Complex का चयन कर सूची SLSCC से अनुमोदित करायें, अगर कहीं आवश्यक हो ।

(14) दिनांक 02.10.14 के पूर्व आवंटित राशि का UC प्राप्त कर, ब्यौरा IMIS पर Update करने के संबंध में यह गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, दुमका, जमशेदपुर, सिमडेगा, खूँटी, गुमला, पलामू एवं गढ़वा तथा अन्य जिलों में यह बड़ी समस्या है । तत्काल UC लेकर IMIS पर फोटो सहित ब्यौरा Update करें अथवा राशि वापस प्राप्त करें । दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई करें ।

(15) विभाग द्वारा निर्गत सभी निर्देश को विभागीय पोर्टल daa.jharkhand.gov.in एवं भारत सरकार के पोर्टल WWW.mdws.gov.in एवं SBM (G) के पोर्टल WWW.sbm.gov.in पर देखा जा सकता है । सतत इन Site को देखे तथा अपने को Update करें ।

(16) उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायत/जिला सम्मानित किए जायेंगे ।

ह0/–

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्रांकः– 240/Sec रॉंची/दिनांकः– 19-10-15

प्रतिलिपिः– सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 19/10/15
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव ।

दिनांक 07.01.2016 को मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षात्मक Video Conferencing की कार्यवाही प्रतिवेदन।

Video Conferencing की समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार द्वारा बतलाया गया कि राष्ट्रीय महत्वाकांक्षी योजना को PMO कार्यालय द्वारा Direct Monitoring की जा रही है। कई वर्षों से यह योजना चल रही है, किन्तु अबतक सभी लाभुकों को व्यक्तिगत घरेलु शौचालय (IHHL) निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है। निदेशित किया गया कि सभी जिला अस्वस्त करें, कि इस वितीय वर्ष की लक्षित शौचालयों का निर्माण 31 मार्च 2016 तक पूर्ण करें। नये पदस्थापित उपायुक्तों की भी उपलब्धियों की समीक्षा की जायेगी।

2) **गढ़वा** :

जिला में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रगति लक्ष्य के विरूद्ध अबतक मात्र 9.89% है, जो अत्यंत दयनीय है। 20 प्रखण्डों मे से तीन प्रखण्डों को जून 2016 तक ODF करने का लक्ष्य है।

उपायुक्त, गढ़वा द्वारा बतलाया गया कि जिला में मात्र चार कनीय अभियंता कार्यरत हैं, ज्यादा कनीय अभियंताओं की आवश्यकता है।

प्रधान सचिव, DWSD द्वारा बतलाया गया कि चार कनीय अभियंताओं को तीन प्रखण्डों यथा डांडा, सगमा एवं केतार की जिम्मेदारी देकर जून 2016 तक ODF किया जाये।

3) **पलामू** :

जिला में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रगति लक्ष्य के विरूद्ध अबतक मात्र 19.63% है, जो अत्यंत दयनीय है। उपायुक्त, पलामू द्वारा बतलाया गया कि पलामू जिला के लिए 22945 IHHL निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अनेक लाभुकों के घर में शौचालय बना हुआ है। इससे घटा देने पर लक्ष्य 15,550 हो जायेगा। साथ ही मुखिया एवं जल सहिया के बीच समन्वय की कमी के कारण निर्माण कार्य बाधित थी। अब इसका निराकरण कर दिया गया है। जिला में राशि की कमी है। मात्र एक करोड़ रुपये है।

प्रधान सचिव, DWSD द्वारा बतलाया गया कि राशि अधियाचना भेजी जाये, राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।

4) **जामताड़ा** :

व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के प्रगति के विरूद्ध अबतक मात्र 39.50% है।

प्रधान सचिव, DWSD द्वारा बताया गया कि जामताड़ा के Baseline Survey के उपरांत Website पर गलत इंट्री किया गया है, जिसे शीध्र सुधारा जाये। जामताड़ा

जिला के कुन्डहीत एवं नारायणपुर प्रखण्डों को जून, 2016 तक ODF हेतु नामित किया गया है, किन्तु अबतक लाभुकों की संख्या जिला से अप्राप्त है।

उपायुक्त: जामताडा द्वारा सूचित किया गया कि BLS के इंट्री की गलतियों को सुधारा जा रहा है।

5) **पाकुड़ :**

उपायुक्त, पाकुड़ द्वारा सूचित किया गया कि पाकुड़ जिला की उपलब्धि लगभग 60% है। मार्च, 2016 तक लक्ष्य 100% पूर्ण कर लिया जायेगा। जिला में मात्र दो सहायक अभियंता कार्यरत है। अधिक सहायक अभियंताओं की आवश्यकता है। जिला में राशि की कमी है।

प्रधान सचिव, DWSD द्वारा बतलाया गया कि अबतक ODF हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायतों में शौचालय की प्रगति घटती जा रही है, जो चिंता का विषय है। पाकुड़ जिला के लिट्टीपाडा एवं पकुड़िया प्रखण्डों को जून, 2016 तक ODF करने हेतु नामित किया गया है, किन्तु अबतक कार्य आरम्भ करने की सूचना नही दी गई है। प्रखण्ड समन्वयक एवं संकुल समन्वयकों के सहयोग से कार्य में तेजी लाया लाये। राशि हेतु अधियाचना भेजी जाये, शीध्र राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

6) **लोहरदगा :**

जिला की प्रगति के समीक्षा के क्रम में उपायुक्त, लोहरदगा पर मुख्य सचिव द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि SBM(G) कार्य पर विशेष ध्यान दें। आवश्यक राशि का शीघ्र अधियाचना भेजें।

7) **सामान्य निर्देश :**

(i) गिरिडीह / हजारीबाग / सरायकेला--खरसावॉ / चतरा / साहेबगंज का कार्य अच्छा है। प्रखण्ड ओ.डी.एफ. पर विशेष ध्यान दें। इन उपायुक्तों की सराहना की गई है।

(ii) रॉंची / रामगढ़ / पश्चिमी सिंहभूम (चक्रधरपुर प्रमंडल) / बोकारो / देवघर (मधुपुर) / दुमका / धनबाद / खूँटी को विशेष ध्यान देकर, कार्य प्रगति को बढ़ाना है, ओ.डी.एफ. पंचायत को expedite करें।

(iii) रामगढ / साहेबगंज एवं अन्य प्रखण्ड पंचायतों के कार्य में प्रगति नगण्य है। इसके लिए AE/JE/ जिला समन्वयक दोषी हैं। पंचायतवार समीक्षा की जाय तथा 100% पंचायत को मार्च तक ODF करें।

(iv) वर्ष 2014–15 के अधूरे कार्य को पूर्ण किया जाय। गलत reporting को सुधारे। Physical and Financial status, audit report & Cash book को update करें।

(v) unadjusted advance of Rs. 127 Crores in different panchayat / VWSCs, etc का review कर, proper accounting करें, व्यय का IIIrd Party सत्यापन Magistrate + Photo grapher mobile + अभि) को भेजकर करें तथा सही सूचना update करें। अवशेष

राशि जिला Account में जमा करें। गबन राशि पर दोषी पर कारवाई करें, FIR/ Certificate Cash करें। SBM Portal पर अपलोड करें।

(vi) वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 का फोटो अपलोड को गति दें। सभी निर्देश निर्गत है।

(vii) साहेबगंज / गोड्डा / पाकुड़ / दुमका / पलामू की स्थिति काफी खराब है, सुधारे। दिनांक 31.01.16 तक 75% Minimum photoupload करें।

(viii) सभी जिला 01.04.2014 से 31.12.2015 तक निर्मित IHHL का 75% अवश्य Photo upload करें।

(ix) प्रखण्ड ओ.डी.एफ. का कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(x) प्रत्येक जिला 2500 से 3000 प्रतिमाह IHHL (Jan – March 2016) निर्माण करें। दो प्रमंडल वाले जिला 5000 / माह IHHL का न्युनतम निर्माण करें। 500 Mason set प्रत्येक जिला / प्रमंडल में कम से कम deploy करें।

(xi) उपायुक्त तथा अन्य पदाधिकारियों का evaluation का एक प्रमुख आधार यह scheme है।

(xii) निदेशक, अधियाचना के 3 दिन के अन्दर Online राशि RTGS से स्थानान्तरित करें। राशि की कमी Field में न हो।

(xiii) जिला–लाभुक / VWSC के खाते में भी RTGS/NEFT से ही राशि स्थानान्तरित करें।

अनु0: जिलावार IHHL निर्माण की प्रगति।

(परिशिष्ठ– 'क' एवं 'ख')

ह0/- 28/1/16
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्या : Video Conference-180/10 (Part-II) - 161 / SBM(G) दिनांक : 28.01.16
प्रतिलिपि : सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड / सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड / सभी कार्यपालक अभियंता, जिला जल एवं स्वच्छता प्रमंडल, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 28/1/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्या : Video Conference-180/10 (Part-II) - 161 / SBM(G) दिनांक : 28.01.16
प्रतिलिपि : निदेशक, SBM(G) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग / संयुक्त निदेशक, SBM(G) / उपनिदेशक, (वित्त एवं प्रशासन) / राज्य समन्वयक SBM(G) / परामर्शी (IEC) / परामर्शी (HRD), पी0एम0यू0, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 28/1/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्या : Video Conference-180/10 (Part-II) - 161 / SBM(G) दिनांक : 28-01-16
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ समर्पित।

28/1/16

प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

परिशिष्ठ–'क'

जिलावार IHHL निर्माण की प्रगति निम्न प्रकार है :–

As on 06.01.2015

S.N.	Name of Division	Physical Progress		
		Total IHHL target (2015-16)	Physical Progress Online 06-01-2016	Physical Achievement in percentage (%)
1	2	3	4	5
1	GIRIDIH	14480	13539	93.50
2	SERAIKELA KHARSAWAN	9643	8817	91.43
3	HAZARIBAGH	18108	14305	79.00
4	GODDA	9643	7442	77.18
5	CHATRA	13271	9800	73.85
6	DHANBAD	9643	5736	59.48
7	KHUNTI	6015	3576	59.45
8	LOHARDAGA	7225	4266	59.04
9	RAMGARH	16015	9238	57.68
10	PAKUR	6015	3469	57.67
11	DUMKA	10852	5966	54.98
12	KODERMA	6015	3266	54.30
13	PURBI SINGHBHUM	12062	6420	53.23
14	BOKARO	9643	4885	50.66
15	DEOGHAR	10852	5406	49.82
16	PASCHIM SINGHBHUM	20526	9998	48.71
17	RANCHI	20526	9601	46.77
18	LATEHAR	9643	4468	46.33
19	SAHIBGANJ	39404	17403	44.17
20	GUMLA	13271	5488	41.35
21	JAMTARA	6015	2376	39.50
22	SIMDEGA	15851	4437	27.99
23	PALAMU	22945	4504	19.63
24	GARHWA	21735	2150	9.89
		329398	**166556**	**50.56**

परिशिष्ठ–'ख'

जिलावार निर्मित IHHL की Photo uploading की प्रगति निम्न प्रकार है :–

S.N.	District Name	Photo Uploading Progress		
		Total Target	Photo Uploaded on 06.01.2016	Photo Achievement in percentage (%)
1	2	3	4	5
1	CHATRA	10975	10009	91.20
2	RAMGARH	9995	8800	88.04
3	GIRIDIH	19396	14735	75.97
4	GUMLA	11063	8379	75.74
5	LOHARDAGA	5516	4125	74.78
6	PASCHIMI SINGHBHUM	20809	15438	74.19
7	KHUNTI	6645	4915	73.97
8	SERAIKELA KHARSAWAN	11395	8424	73.93
9	PURBI SINGHBHUM	5773	4176	72.34
10	BOKARO	5288	3702	70.01
11	RANCHI	12202	8414	68.96
12	GARHWA	2182	1490	68.29
13	DHANBAD	9779	6432	65.77
14	SIMDEGA	7695	4925	64.00
15	LATEHAR	5705	3528	61.84
16	HAZARIBAGH	14008	8293	59.20
17	KODERMA	3726	2183	58.59
18	DEOGHAR	11769	6769	57.52
19	JAMTARA	5686	2988	52.55
20	PALAMU	6331	3206	50.64
21	GODDA	15939	8038	50.43
22	DUMKA	12853	5430	42.25
23	SAHIBGANJ	15735	5804	36.89
24	PAKUR	5619	1891	33.65
	TOTAL	**236084**	**152094**	**64.42**

दिनांक 23.01.2016 को प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड द्वारा SBM(G) का समीक्षात्मक Video Conferencing की कार्यवाही प्रतिवेदन।

(1) **समीक्षा के कम में प्रधान सचिव द्वारा निम्न निदेश दिये गये :–**

(i) साहेबगंज प्रमंडल/जिला द्वारा नमामि गंगे एवं स्वच्छ भारत मिशन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अलग–अलग समर्पित करेंगे।

(ii) गिरीडीह, सरायकेला, गोड्डा, हजारीबाग एवं चतरा जिला की प्रगति संतोषजनक है तथा अन्य जिलों को प्रगति में तेजी लाने की आवश्यकता है। प्रत्येक कार्य प्रमंडल 100 शौचालय प्रतिदिन का लक्ष्य प्राप्त करें।

(iii) प्रत्येक जिलों के कम से कम दो प्रखण्डों को जून 2016 तक निश्चित रूप से ODF करना है। Action Plan का कार्यान्वयन प्रारम्भ करें। Capacity Building/resource ability / IEC का Detail Plan बनाकर implement करें।

(iv) सभी प्रमंडलों को आगामी तीन महीने में (अर्थात् मार्च 2016 तक) प्रतिदिन 100 शौचालय का निर्माण कर ऑनलाईन करना सूनिश्चित करना होगा, कम निर्माण एवं ऑनलाईन करने की अवस्था में उस पर कार्रवाई की जायेगी।

(v) लातेहार जिला की प्रगति प्रति माह 1000 से घट कर 700 होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। Mason प्रशिक्षण कर प्रगति बढ़ाने को कहा गया। कार्यपालक अभियंता को चेतावनी निर्गत करें।

(vi) दुमका जिला के दो प्रमंडल मिलाकर मात्र 1200–1300 प्रति माह शौचालय निर्माण किया जा रहा है, जो अत्यंत धीमी प्रगति है। इसे बढ़ाने का कोई प्रयास 4–5 माह में नहीं किया गया है, static है। सुधार करें।

(vii) जून 2016 तक प्रत्येक जिला के कम से कम दो चयनित प्रखण्डों पर कियान्वयन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निदेशित किया गया कि उन प्रखण्डों में मार्च 2016 तक 30% प्रगति सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक माह Mason का प्रशिक्षण किया जाये। Mason दल को गांवों में ही आवासित कर काम कराया जाये। Photo Uploading की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाये।

(viii) उपायुक्त स्तर पर मुखिया, जल सहिया एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं/SHG/बैंक प्रबंधकों की बैठक कर चयनित प्रखण्डों के सभी ग्राम पंचायतों का शीघ्र Resurvey कराकर SHG/बैंक प्रबन्धकों द्वारा सक्षम परिवारों को स्वयं शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित किया जाये और लक्ष्य/सूचि को संशोधित किया जाय। गिरीडीह जिला में SAGY का Resurvey उपरांत एक पंचायत में 400–500 लाभुक परिवार लक्ष्य घट गये है। यह स्थिति साहेबगंज/बोकारो/जामताड़ा में 25-50% कमी आ रही है। Survey की गुणवत्ता खराब है।

(ix) ईंट बनाने का मौसम चल रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ईंट की व्यवस्था उपायुक्त / कार्यपालक अभियंताओं / VWSC द्वारा अग्रिम सुनिश्चित की जाय। (कम (viii), (ix) एवं (x) पर पत्र प्रेषित की जाय)

(x) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में लगभग 1.29 लाख शेष लक्ष्य है। इसे अवश्य प्राप्त करें। अच्छे कार्य वाले जिले अपने लक्ष्य का दो गुणा मार्च तक प्राप्त करें।

(xi) मार्च 2016 तक के लिए राशि की आवश्यकता होने पर इसी माह अधियाचना प्रेषित की जाय। निदेशक SBM(G) adequate राशि उपलब्ध कराये। जनवरी में राशि की अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रभावित की सूचना रामगढ़ / राँची एवं अन्य कई जिलों से है। इस पर close monitoring हों।

(xii) गढ़वा एवं पलामू की अबतक की प्रगति मात्र 10% एवं 20% होना अत्यंत दयनीय विषय है। दोनों जिलों में कमशः 120 एवं 105 Mason कार्यरत हैं। दोनों जिलों द्वारा IEC मद में इस वित्तीय वर्ष 25% से अधिक खर्च की गयी है, जो वित्तीय अनियमितता के श्रेणी में आती है। निदेश दिया गया कि सभी विन्दुओं को क्रियान्वयन करते हुए मार्च 2016 तक लक्ष्य पूर्ण किया जाये। Guidelines का विशेष ध्यान दें।

(xiii) Audit report / guidelines का सख्ती से पालन हो।

(xiv) Financial aspects-component wise – eligibility/ permissible limit में हो। मासिक बैंक reconciliation हो।

(xv) वर्ष 2015–16 में ODF घोषित होने वाले के Slip back का Detail दें।

(xvi) Advance तैयारी 2016–17 की करें, लक्ष्य कम से कम double होगा।

(xvii) Advance समायोजन पर प्रभावी कार्रवाई हो।

(xviii) फोटो upload December 2015 तक का 100% हो। फरवरी–मार्च 2016 में कम से कम चयनित तथा ODF पंचायत के जलसहिया / मुखिया / SHG / निगरानी समिति का जिला स्तर पर quality trainers के साथ ट्रेनिंग कर ODF -Maint की कार्रवाई सतत monitoring, जल सप्लाई संसाधन की Inventory बनायें।

(xix) Data base Clean हो।

(2) **समीक्षा के क्रम में निदेशक, SBM(G) द्वारा निदेश दिया गया :–**

(क) वर्ष 2014–15 के अंकेक्षण प्रतिवेदन पर स्पष्टीकरण के सम्बंध में –

(i) IEC पर 20% से अधिक खर्च किया गया है,

(ii) 12 जिलों द्वारा का IHHL पर शून्य प्रतिशत खर्च किये गये,

(iii) गत वर्ष 127 करोड़ असमायोजित अग्रिम शेष रह गया है, जो गम्भीर मुद्दा है,

(iv) वर्ष 2014–15 में 98,000 शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिसका खर्च 117.60 करोड़ होना है। किन्तु 98,000 शौचालय IMIS इंट्री के विरूद्ध समानुपातिक रोकड़ बही में राशि इंट्री नहीं की गयी है। जिसकी जाँच हेतु प्रत्येक जिले को

Cash Book के साथ Bank Reconciliation सहित मुख्यालय बुलाया जायेगा। अंकेक्षक के द्वारा इसकी सत्यापन करायी जाये।

(v) अपने HR/Adm. में से 1.8% के अंतर्गत वेतन भुगतान करना है। जिस माह शौचालय निर्माण नहीं होगा, उस माह का वेतन भुगतान मान्य नहीं होगा।

(ख)

(i) उपयोगिता प्रमाण–पत्र एकत्रित करने का शैड्यूल तैयार किया जाये, सप्ताह के किस दिन, किसके द्वारा क्षेत्र से उपयोगिता प्रमाण–पत्र एकत्रित की जायेगी तथा किस दिन उसका IMIS किया जायेगा।

(ii) प्रत्येक जिलों में दो–दो प्रखण्डों को Saturation Mode पर कार्य करते हुए जून 2016 तक ODF घोषित करना है। किन्तु पूर्व में लक्षित पंचायतों के अलावे अभी तक कहीं कार्य आरम्भ नहीं की गयी है। गढ़वा एवं पलामू में Mason की घोर कमी है।

(iii) नई दिल्ली से आये Action Policy Research के द्वारा SBM(G) की सर्वेक्षण के क्रम में पाया गया कि धनबाद जिले के टुंडी पंचायत एवं सरायकेला–खरसवां के कदमडीह ग्राम पंचायतों में घटिया गुणवत्ता वाले शौचालय का निर्माण किया गया है तथा बोकारो जिला के जरीडीह प्रखण्ड अंतर्गत तातरी दक्षिण में शौचालय धँस चुका है। निदेशित किया गया कि उक्त स्थानों में सुधार किया जाय।

(iv) अनेक मुखिया/जल सहिया के घरों में अब तक शौचालय नहीं बना है, शीघ्र सर्वे कराकर शौचालय निर्माण करवाया जाय।

(v) आवश्यकतानुसार राशि की अधियाचना की जाय।

(3) **गढ़वाः**

(i) जून 2016 तक तीन प्रखण्डों (डंडा, सगमा एवं केतार) को ODF करना है, किन्तु वहां के VWSC को राशि हस्तांतरण नहीं की गयी है।

(ii) कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता तथा अन्य सहित दो–दो जिला समन्वक रखने के बावजूद जनवरी में मात्र 208 शौचालयों का निर्माण हुआ है।

(iii) असमायोजित अग्रिम 4 करोड़ है।

(4) **पलामूः**

(i) अब तक की भौतिक उपलब्धि मात्र 20.94% एवं फोटो अॅपलोडिंग 66.48% है।

(ii) जिला में लगभग 4 करोड़ रूपये हैं।

निदेश दिया गया कि ODF हेतु चुने गये छोटे प्रखण्डों (पड़वा, मनातू एवं सतबरवा) के VWSC को राशि हस्तांरित करते हुए कार्य आरम्भ किया जाय तथा अगले शनिवार तक तीन प्रखण्डो सभी ग्राम पंचायतों का प्रगति IMIS में दिखनी चाहिए।

(5) **सिमडेगाः**

(i) भौतिक प्रगति नीचे से तीसरे पायदान पर है।

(ii) पूछा गया कि किस आधार पर प्रखण्ड समन्वयकों की नियुक्ति जिला द्वारा 9,000/– रूपये पर की जा रही है? जबकि विभागीय प्रधान सचिव द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान 5000/– रूपये के मासिक परिलब्धि में तीन महीने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रखण्ड समन्वयकों को नियुक्त करने को कहा गया था।

(6) **जामताड़ाः**

(i) जनवारी 2016 में मात्र 130 शौचालयों का निर्माण हुआ है।

(ii) असमायोजित अग्रिम, बैंक रिकोन्सिलियेशन एवं अन्य सूचनाओं सहित मुख्यालय में बुलाया जायेगा।

➢ निदेश दिया गया कि उपयोगिता प्रमाण–पत्र एकत्रित करने का Schedule बनावें। समय पर VWSC को राशि हस्तांतरण करें। उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा किये बगैर कितने VWSC को राशि हस्तांतरण की गयी है, प्रतिवेदन तैयार करें।

(7) **गुमलाः**

(i) इस माह मात्र 132 शौचालय निर्माण किया गया है। तथा फोटोअपलोडिंग 72.91% है।

➢ निदेशित किया गया कि असमायोजित अग्रिम को समायोजित किया जाय। अगले सप्ताह प्रत्येक ODF हेतु चयनित प्रखण्डों के पंचायतों का प्रगति IMIS में प्रदर्शित होनी चाहिए।

(8) **साहेबगंजः**

(i) जिला से सूचित किया गया कि नमामि गंगे परियोजना अंतर्गत 78 ग्रामों में 59 गांवों को ODF किया गया है। SBM(G) अंतर्गत 44 गावों के VWSC में राशि हस्तांतरित कर दी गयी है।

(ii) UNDP द्वारा फरवारी–मार्च में कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

➢ निदेशित किया गया कि नमामि गंगे एवं स्वच्छ भारत मिशन के प्रगति को अलग–अलग भेजा जाय। Photo Uploading का कार्य धीमा चल रहा है। शेष प्रखण्डों का कार्य में तेजी लाया जाय। तीन महीने के लिए प्रखण्ड समन्व्यकों की नियुक्ति सम्बंधी पत्र कार्यवाही प्रतिवेदन की प्रति सहित भेजी जा रही हैं।

(9) **राँचीः**

प्रगति अत्यंत धीमी है।

➢ निदेशित किया गया कि चयनित प्रखण्डों/ग्राम पंचायतों में राशि हस्तांतरित कर कार्य शीघ्र आरम्भ की जाय। अगले सप्ताह तक चयनित प्रखण्डों के सभी ग्राम पंचायतों का IMIS में प्रगति दिखनी चाहिए।

(10) **पश्चिमी सिंहभूमः**

चक्रधरपुर एवं चाईबासा दो प्रमंडलों को मिलाकर मात्र 311 शौचालयों का निर्माण किया गया है।

- निदेशित किया जाता है कि कार्य में तेजी लाया जाय। मनरेगा के साथ अभिषरण द्वारा निर्मित शौचालयों की वांछित प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है, जिसमें अनुपयोगी तीन फीट का शौचालय बिना दरवाजा एवं एकल पिट का बना है।

(11) **लातेहारः**

ODF हेतु चयनित प्रखण्डों के पंचायतों में प्रखण्ड मुख्यालय पंचायत को छोड़कर मात्र एक पंचायत को राशि हस्तांतरित की गयी है।

- निदेशित किया गया कि अगले सप्ताह चयनित प्रखण्डों के सभी ग्राम पंचायतों की प्रगति IMIS में प्रदर्शित होनी चाहिए। आवश्यक राशि की अधियाचना की जाय तथा प्रगति में सुधार की जाय।

(12) **कोडरमाः**

- निदेशित किया जाता है कि VWSC के बैंक खाता को संचालन सम्बंधी पत्र शीघ्र भेजा जाय।

(13) **बोकारोः**

(i) दो प्रमंडल मिलाकर मात्र 55.80% उपलब्धि हुई है।

(ii) बोकारो जिला के जरीडीह प्रखण्ड अंतर्गत तातरी दक्षिण में शौचालय धस चुका है।

- निदेशित किया गया कि उक्त धसे शौचालयों का शीघ्र सर्वेक्षण कर कार्रवाई की जाय तथा कृत कार्रवाई की प्रतिवेदन भेजी जाय। 31.01016 तक कार्रवाई प्रतिवेदन नहीं पहुँचने की स्थिति में कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

(14) **देवघरः**

दो प्रमंडल मिलकर मात्र 6088 शौचालयों का निर्माण किया गया है।

- निदेश दिया गया कि ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, फुलझुरी में किये गये उत्तम कार्यों को अन्य VWSC में प्रचारित करने का निदेश दिया गया था, किन्तु अब तक नहीं किया गया और न ही राशि हस्तांतरित की गयी। कार्यशैली को सुधारा जाय।

(15) **धनबादः**

जनवरी माह में दो प्रमंडल मिलाकर मात्र 221 शौचालय का निर्माण किया गया है।

- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजन VWSC के बैंक खातों का संचालन AE/JE द्वारा किये जाने का निर्देश पर नव चयनित मुखियाओं द्वारा किये जाने सम्बंधित प्रश्न के उत्तर में निर्देश दिया गया कि DWSC स्वयं निर्णय लेकर बैंक खातों का संचालन हेतु जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसके लिए पत्र निर्गत की जा चुकी है।

(16) **खूँटी:**

जनवरी माह में मात्र 105 शौचालयों का निर्माण किया गया है।

- निदेशित किया जाता है कि कार्य में तेजी लाया जाय। मनरेगा के साथ अभिषरण द्वारा निर्मित शौचालयों की वांछित प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है, जिसमें अनुपयोगी तीन फीट का शौचालय बिना दरवाजा एवं एकल पिट का बना है।

अन्य जिलों की प्रगति अपेक्षाकृत ठीक होने से सामान्य समीक्षा की गई।

अनु0: मासिक प्रगति प्रतिवेदन।

13/2/16

(राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक SBM(G)

ज्ञाप संख्याः Video Conference–180 / 10 (Part-II) – 223 /SBM(G) दिनांकः 13-02-16

प्रतिलिपिः सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड / सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड / सभी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

13/2/16

(राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक SBM(G)

ज्ञाप संख्याः Video Conference–180 / 10 (Part-II) – 223 /SBM(G) दिनांकः 13-02-16

प्रतिलिपिः निदेशक SBM(G), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड / संयुक्त निदेशक SMB(G) / उप निदेशक (Fin & Adm) / परामर्शी (IEC) / परामर्शी (HRD) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

13/2/16

(राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक SBM(G)

दिनांक 15.03.2016 को मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार द्वारा SBM(G) से सम्बंधित Video Conferencing की कार्यवाही प्रतिवेदन।

Video Conferencing के आरम्भ में प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा सबों का अभिनंदन किया गया। समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं पर निदेश दिया गया –

(i) वित्तीय वर्ष 2015–16 के लक्ष्य के विरूद्ध IHHL निर्माण में उपलब्धि 76.21% किया गया है, प्रगति अच्छी है। अपने लक्ष्य के 90% से अधिक उपलब्धि वाले जिले 110-115% उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की IMIS में Online Entry शीघ्र की जाय। भौतिक प्रगति का Online 10 अप्रैल तक किया जा सकता है, लेकिन वित्तीय प्रगति 31 मार्च तक किया जाना है। गत वर्ष 12 जिलों द्वारा IHHL निर्माण में खर्च का शून्य IMIS दिखाया गया है, जबकि भौतिक प्रगति हजारों में दिखाया गया है। गतवर्ष 12 जिलों द्वारा IHHL निर्माण में खर्च का शून्य IMIS दिखाया गया, जबकि भौतिक प्रगति हजारों में दिखाया गया है।

(ii) Photo uploading में 14 जिलों की प्रगति राज्य स्तर से अर्थात् 60% से कम है, जो अच्छी प्रगति नहीं है।

(iii) पलामू एवं चक्रधरपुर प्रमंडल की उपलब्धि क्रमशः 29% एवं 32% है, जो अत्यंत दयनीय है।

(iv) गढ़वा एवं सिमडेगा को थोड़ी छूट दी जा सकती है, क्योंकि वहाँ कार्यपालक अभियंताओं का पदस्थापन हुए लगभग तीन महीने हुए हैं।

(v) इस वर्ष अबतक 215 करोड़ खर्च दिखाया गया है। गत वित्तीय वर्ष में 217 करोड़ अग्रिम भुगतान असमायोजित की राशि के विरूद्ध IHHL निर्माण कार्य होने के बावजूद IMIS में Entry नहीं किया जाता है। पूर्व में दी गयी अग्रिम राशि के विरूद्ध निर्माण कार्य पूर्ण कराकर शीघ्र IMIS Entry करने की Strategy में काम करें।

(vi) राज्य में 81 विधायक हैं, तथा अबतक 75 प्रखण्ड ही ODF हेतु चयन किया गया है। अब प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम एक प्रखण्ड अवश्य लिया जाय। यदि ऐसा कोई विधान सभा क्षेत्र जो दो जिले में पड़ते हों और अन्य जिला उस प्रखण्ड को ODF हेतु चयनित किया है, ऐसी परिस्थिति में वैसे प्रखण्ड को छोड़कर दूसरे प्रखण्ड को लिया जा सकता है।

(vii) प्रत्येक प्रमंडल के लक्ष्य को Rationalized करना है।

(viii) जन प्रतिनिधियों को कार्यक्रम की जानकारी देने तथा Communication Gap को दूर करने के लिए बोकारो एवं धनबाद में जनप्रतिनिधियों के साथ सेमिनार

किया गया। यह प्रयास अच्छा है ऐसी ही सेमिनार अप्रैल 2016 में किया जाय, ताकि योजना की जानकारी तथा Communication Gap दूर किया जा सके।

(ix) SBM(G) मार्ग दर्शिका के अनुरूप IHHL निर्माण हेतु लाभुकों द्वारा स्वयं बनवाने पर उत्प्रेरित की जाय। VWSC द्वारा ठीकेदारों/एजेंसी को IHHL निर्माण कार्य में लगाना मार्गदर्शिका में प्रावधानित नहीं है।

(x) आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिये Mason प्रशिक्षण का कैलेन्डर तैयार किया जाय। साथ ही प्रति जिला 500 एवं प्रति प्रमंडल 300 Mason का प्रशिक्षण किया जाय। 50% महिला Mason लेने से अच्छा रहेगा।

(xi) ईंट या Alternative Materials की व्यवस्था हेतु Genune Planning अभी किया जाय।

(xii) Rural Pan आपूर्ति हेतु एक या दो जिलों के लिए एक–एक एजेंसी को लगाया जा सकता है, जिससे Rural Pan एवं अन्य सामग्री की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

(xiii) जून 2016 तक वित्तीय वर्ष 2016–17 लक्ष्य का 30-40% पूर्ण किया जाय अन्यथा वार्षिक लक्ष्य को पूरा करने में कठिनाई होगी।

(xiv) प्रखण्ड स्तर पर Block Coordinator एवं Community Mobilizer दो व्यक्ति प्रति प्रखण्ड रखनी है। सिमडेगा जिला में यूनिसेफ द्वारा रखे गये हैं।

(xv) जिला स्तर पर लगभग 40 व्यक्तियों का दल कार्य करेगा। Manpower deploy सम्बन्धित सूचना बाद में दी जायेगी।

(xvi) विदित हो कि 1 अप्रैल, 2016 से BRC/CRC कार्य नहीं करेंगे। अबतक नया Recruitment नहीं हो जाता है तबतक प्रति व्यक्ति, प्रति माह 5000/–रू० में BRC/CRC रख सकते हैं।

(xvii) कनीय अभियंताओं का स्थायी नियोजन नहीं होने तक अनुबंध पर नियुक्त करने हेतु अनुमोदन प्राप्त है ।

<u>Video Conferencing के क्रम निम्न उपायुक्त /उप विकास आयुक्तों से विमर्श किया गया :–</u>

2) गढ़वा जिला द्वारा बतलाया गया कि उनके जिले का लक्ष्य काफी अधिक रखा गया है। साथ ही जिले में मात्र तीन कनीय अभियंता कार्यरत है।

– निदेश दिया गया कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिये तैयारी की जाय। कनीय अभियंताओं की नियुक्ति Process में है।

3) पलामू जिला द्वारा बतलाया गया कि इस माह 3,000 शौचालय निर्माण करना है। जून 2016 तक मनातू प्रखण्ड को ODF किया जायेगा।

– निदेश दिया गया कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए Mason प्रशिक्षण एवं अन्य तैयारी शुरू कर लें।

4) सिमडेगा जिला द्वारा जनवरी माह में अच्छा कार्य किया गया था किन्तु उसके बाद अत्यंत खराब प्रगति हुई है। निदेश दिया गया कि अब प्रति माह 2000–2500 IHHL निर्माण किया जाय तथा जिला के स्टाफ राँची में अनावश्यक भ्रमण न करें।

5) साहेबगंज जिला द्वारा बतलाया गया कि नमामी गंगे परियोजना अंतर्गत क्षेत्रों को बहुत जल्द 100% ODF कर जिला जायेगा।

– निदेश दिया गया कि नवम्बर–दिसम्बर माह में जो कार्य की गति थी, उसकी उसी गति से स्थिर करते हुए वर्ष 2017 तक साहेबगंज जिला को ODF किया जाय।

6) पश्चिमी सिंहभूम द्वारा बतलाया गया कि चक्रधरपुर प्रमण्डल की स्थिति ठीक नहीं है, चाईबासा प्रमण्डल अच्छी स्थिति में है। दो करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

7) गुमला जिला द्वारा बतलाया गया कि ऑक्टुबर–नवम्बर माह में धीमा कार्य हुआ किन्तु अब मार्च 2016 तक 100% उपलब्धि प्राप्त करेंगे। 580 निर्मित IHHL का Online नहीं किया गया है। पाँच करोड़ राशि की आवश्यकता है।

– निदेश दिया गया कि तीन करोड़ शीघ्र भुगतान किया जायेगा।

8) पूर्वी सिंहभूम द्वारा बतलाया गया कि अबतक 10,046 शौचालय निर्माण किये गये है। Photo Uploading में पीछे है। IMIS पूर्ण कर लिया जायेगा। IEC, Behavior Change तथा अन्य कार्यक्रम किये जा रहे है। इस माह 2,500 IHHL निर्माण करेंगे।

– निदेश दिया गया कि सभी जिलों द्वारा IEC के बदले Local Champions के माध्यम से Local Leadership Develop किया जाय, जो लाभप्रद होगा। जिससे साक्षरता मिशन, महिला सामाख्या, अर्चरी, स्पोर्टस व अन्य को उपयोग में लाया जाय। उपायुक्तों द्वारा इसका प्रयोग करना चाहिए। नदिया, ओडिसा, छत्तीसगढ़ आदि में इसका प्रयोग सफल रहा है।

9) खूँटी जिला को तीन करोड़ राशि की आवश्यकता है।

– निदेश दिया गया कि तोरपा प्रखण्ड के 16 पंचायतों में Back log है, जिससे शीघ्र दूर किया जाय।

10) कोडरमा जिला द्वारा बतलाया गया कि नौ ग्राम पंचायत ODF के लिए चुना गया है, जिसमें से पाँच पंचायत ODF हो चुका है। IMIS Entry कार्य धीमा था, अब पूर्ण कर लिया जायेगा। Mason प्रशिक्षण की तैयारी चल रही है। दो करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

– निदेश दिया गया कि Mason प्रशिक्षण अगले वर्ष के लिये किया जाय।

11) दुमका जिला द्वारा बतलाया गया कि मसलिया प्रखण्ड को जून 2016 तक ODF किया जायेगा। फोटो अपलोड पूरा कर दिया जायेगा। पूर्व में अनुमोदित दो करोड़ रुपये अबतक अप्राप्त है।

– निदेश दिया गया कि मसलिया प्रखण्ड बड़ा है, उसे ODF किया जाय। साथ ही 2016–17 के लिए दोनो प्रमंडल मिलाकर चार–पाँच प्रखण्ड ODF किया जाय। तीन करोड़ अतिरिक्त राशि भेज दिया गया है।

12) जामताड़ा जिला द्वारा बतलाया गया कि इस वर्ष 115% IHHL निर्माण की उपलब्धि प्राप्त करेंगे। Photo uploading का कार्य 70% तक पूर्ण करेंगे। तीन करोड़ Release हुआ है किन्तु अबतक जिले के SBI A/c में हस्तांतरण नहीं हुआ है।

13) लोहरदगा जिला द्वारा बतलाया गया कि इस वर्ष 115% उपलब्धि प्राप्त करेंगे।

– निदेश दिया गया कि आगामी वर्षों में लाभुकों को प्रोत्साहन कर प्रयास किया जाय कि सक्षम परिवार स्वयं अपना शौचालय निर्माण करे।

14) गोड्डा जिला द्वारा बतलाया गया कि IHHL निर्माण लक्ष्य पूर्व कर लिया जायेगा। Photo uploading का कार्य 70-75% पूर्ण किया जायेगा।

– निदेश दिया गया कि 2 ऑक्टुबर 2019 तक पूरे देश को ODF करना है, यह राष्ट्र स्तरीय लक्ष्य है। माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड द्वारा वर्ष 2018 तक झारखण्ड को ODF करने का अह्वाहन किया गया है।

– कार्यशैली को दुगुना करने पर अच्छा परिणाम सामने आयेगा। गिरीडीह, रामगढ़ आदि में रात्रि चौपाल चल रहा है। यह Strategy अच्छा परिणाम दे रहा है। जिले में कार्यबल (Resource) की जरूरत हो तो मांगा जाय।

– लोहरदगा, गोड्डा, सिमडेगा, आदि से गुणवत्ता की शिकायत आयी है। उपायुक्तों को गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

15) पाकुड़ जिला द्वारा बतलाया गया कि लिट्टीपाड़ा एवं पाकुरिया प्रखण्ड को जून 2016 तक ODF करना है। तीन करोड़ राशि की आवश्यकता है।

– निदेश दिया गया कि पाकुड़ जिला अंतर्गत तीन विधायक हैं और दो प्रखण्ड लिया गया है। अतः एक प्रखण्ड ODF हेतु बढ़हरवा को ODF हेतु चयनित किया जा सकता है।

16) रामगढ़ जिला द्वारा बतलाया गया कि पाँच करोड़ राशि की मांग की गयी थी जिसमें से तीन करोड़ प्राप्त हुआ है, दो करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

– निदेश दिया गया कि मनरेगा द्वारा निर्मित IHHL को भी SBM(G) अंतर्गत इंट्री किया जाय। सरकारी भवन में आँगनबाड़ी स्कूल, आदि में शौचालय निर्माण हेतु पूर्व के वर्षों में भुगतान किया गया राशि असमायोजित है। शीघ्र शौचालय बनाकर उसका IMIS में 31 मार्च 2016 तक इंट्री आवश्यक है।

17) गिरिडीह जिला द्वारा बतलाया गया कि ODF हेतु चयनित 17 में से 13 ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। शेष चार ग्राम पंचायतों को मार्च 2016 तक ODF कर लिया जायेगा। दो करोड़ रुपये प्राप्त हुए है तथा अतिरिक्त दो करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

18) निदेशक, SBM (G) द्वारा बतलाया गया कि :–

(i) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा०) से जो परिवार अच्छादित नहीं हो रहे हैं या Defunct Toilet है, उसे मनरेगा से अच्छादित किया जा सकता है। यह 1st April से लागू है।

(ii) आवास योजना, संयुक्त आवास योजना, आदि में मनरेगा के द्वारा IHHL निर्माण किया जा सकता है।

(iii) ODF पंचायतों / प्रखण्डों में Slip Back Issues को मनरेगा के तहत् समाप्त किया जा सकता है।

– जिन जिलों में Mason प्रशिक्षण हुआ है, उनका Empanelment नहीं कर पाये हैं। प्रशिक्षित Mason के लिए पंचायतों / प्रखण्डों में Job assued करा दें, ताकि काम की खोज में अन्यत्र न जायें।

(iv) IHHL का Super Structure अच्छा बन रहा है, लेकिन Soak Pit पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जल्दी जल्दी में Super Structure का Photo खींचकर IMIS किया जा रहा है। बाद में Soak Pit पर ध्यान नहीं देने के कारण Soak pit अच्छा नहीं बन रहा है।

(v) IEC में राशि हेतु प्रावधानित प्रतिशत कम है, उसे GOI द्वारा 10% तक बढ़ाने की सम्भावना है, जिससे IEC Campaign/IEC Plan को भली भांति कर सकेंगे। **उपायुक्तों के व्यक्तिगत रूचि पर ही स्वच्छ भारत मिशन का काम सफल हो सका है।**

(vi) निगरानी समिति का गठन किया जाय। जो स्वच्छ भारत मिशन के कार्य एवं ODF पंचायतों की निगरानी करेंगे तथा शौच हेतु उपयोग किये जाने वाली खाली स्थानों में मंदिर बनाना अथवा वृक्षारोपण करना उत्तम होगा।

(vii) आगामी वर्ष में IHHL निर्माण का लक्ष्य 8–9 लाख रखा जा रहा है, उसके बाद 11 लाख का लक्ष्य होगा। अतः कार्य में तेजी लाना आवश्यक है।

(viii) अत्यधिक असमायोजित अग्रिम के कारण भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं हो सका। पिछले वर्ष की अग्रिम राशि द्वारा किया गया कार्य एवं इस वर्ष के कार्यों को Online Entry किये जाने पर प्रगति अच्छा दिखेगा। दो–तीन सप्ताह शेष है, IMIS Entry पर विशेष ध्यान दिया जाय।

(ix) मात्र संख्या बढ़ाने के ख्याल से जल्दी में निर्माण कार्य कराने पर गुणवत्ता में कमी आयेगी एवं ODF सफल नहीं हो पायेगा। इस कारण गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय।

19) **NRDWP :**

(i) प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि आपदा प्रबंधन के मद से राशि की आवश्यकता हो तो राशि की अधियाचना कर सकते हैं, लेकिन पहले भुगतान की गयी राशि समाप्त की जाय।

(ii) Riser Pipe हेतु संविदा हो चुकी है। मार्च माह में ही कार्य आरम्भ की जाय।

(iii) Mechanical Division के पास उपलब्ध विभागीय वाहन का उपयोग किया जा सकता है।

(iv) आपदा प्रबंधन मद से प्रत्येक जिले में उपायुक्त के पास Reserve Fund के रूप में अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने के लिए सम्बंधित विभाग से अनुरोध किया गया है।

अनु0: भौतिक प्रगति, फोटो अपलोडिंग की प्रगति।

Ap 28/03/16
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्या : SBM(G) मुख्यसचिव से पत्रा०-37/16-369, दिनांक : 28-03-16
प्रतिलिपि : सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति/सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड/सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन "प्रकल्प" झारखण्ड को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ अग्रसारित।

Ap 28/03/16
सरकार के प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्या : SBM(G) मुख्यसचिव से पत्रा०-37/16-369, दिनांक : 28-03-16
प्रतिलिपि : मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड/निदेशक, SBM(G), झारखण्ड/मुख्य अभियंता–सह–कार्यकारी निदेशक, पी.एम.यू./प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ अग्रसारित।

Ap 28/03/16
सरकार के प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्या : SBM(G) मुख्यसचिव से पत्रा०-37/16-369, दिनांक : 28-03-16.
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ समर्पित।

Ap 28/03/16
सरकार के प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

DRINKING WATER AND SANITATION DEPARTMENT, JHARKHAND

Physical Progress (Districtwise/Divisionwise) For the Financial Year 2015-16

As on 14.03.2016

S.N.	District Name	Name of Division	Physical Progress		
			Total IHHL target (2015-16)	Physical Progress Online as on 14.03.2016	Physical Achievement in percentage (%)
1		3	4	5	6
1	BOKARO	CHAS	5357	4055	75.70
2		TENUGHAT	4286	4055	94.61
3	CHATRA	CHATRA	13271	13915	104.85
4	DEOGHAR	DEOGHAR	5426	4501	82.95
5		MADHUPUR	5426	4071	75.03
6	DHANBAD	DHANBAD-1	3214	2718	84.57
7		DHANBAD-2	6429	6471	100.65
8	DUMKA	DUMKA-I	4341	3923	90.37
9		DUMKA-II	6511	6016	92.40
10	GARHWA	GARHWA	21735	6311	29.04
11	GIRIDIH	GIRIDIH-I	5569	8320	149.40
12		GIRIDIH-II	8911	11056	124.07
13	GODDA	GODDA	9643	9927	102.95
14	GUMLA	GUMLA	13271	8816	66.43
15	HAZARIBAGH	HAZARIBAGH	18108	17180	94.88
16	JAMTARA	JAMTARA	6015	5634	93.67
17	KHUNTI	KHUNTI	6015	4947	82.24
18	KODERMA	KODERMA	6015	5084	84.52
19	LATEHAR	LATEHAR	9643	8001	82.97
20	LOHARDAGA	LOHARDAGA	7225	6843	94.71
21	PAKUR	PAKUR	6015	5926	98.52
22	PALAMU	PALAMU	22945	7405	32.27
23	PASCHIMI SINGHBHUM	CHAKRADHARPUR	9123	2517	27.59
24		CHAIBASA	11403	10916	95.73
25	PURBI SINGHBHUM	ADITIYAPUR	3290	2846	86.50
26		JAMSHEDPUR	8772	7031	80.15
27	RAMGARH	RAMGARH	16015	13073	81.63
28	RANCHI	RANCHI (E)	7982	6934	86.87
29		RANCHI (W)	12544	10162	81.01
30	SAHIBGANJ	SAHIBGANJ	39404	22851	57.99
31	SERAIKELA KHARSAWAN	SERAIKELA KHARSAWAN	9643	11827	122.65
32	SIMDEGA	SIMDEGA	15851	7687	48.50
	TOTAL		**329398**	**251019**	**76.21**

Drinking Water & Sanitation Department, Jharkhand

Progress of Photo Uploading

As on 14.03.16

Sl No.	Name of Districts	Toilet Constructed during 2014-15	Toilet Constructed during 2015-16 (upto Feb. 2016)	Total	Photo uploaded (as on 14.03.16)	Percentage of Total Achievement	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	
1	Bokaro	1240	8006	9246	6250	67.60	
2	Chatra	2736	13439	16175	14051	86.87	
3	Deoghar	7420	8156	15576	7554	48.50	
4	Dhanbad	4740	8723	13463	7203	53.50	
5	Dumka	8015	9728	17743	6611	37.26	
6	Garhwa	388	6058	6446	2764	42.88	
7	Giridih	6913	19244	26157	17063	65.23	
8	Godda	9435	9707	19142	10247	53.53	
9	Gumla	6135	8490	14625	9561	65.37	
10	Hazaribagh	3164	17116	20280	10766	53.09	
11	Jamtara	3583	5307	8890	4850	54.56	
12	Khunti	3812	4917	8729	5578	63.90	
13	Koderma	697	4639	5336	3840	71.96	
14	Latehar	1746	7898	9644	4953	51.36	
15	Lohardaga	2147	6843	8990	6109	67.95	
16	Pakur	2535	5870	8405	4485	53.36	
17	Palamu	2342	7135	9477	5337	56.32	
18	Paschim Singhbhum.	11858	13335	25193	17509	69.50	
19	Purbi Singhbhum	1904	9645	11549	5142	44.52	
20	Ramgarh	2522	12904	15426	11602	75.21	
21	Ranchi	3971	16564	20535	10905	53.10	
22	Sahebganj	3407	22349	25756	20675	80.27	
23	Saraikela Kharsawan	3714	11160	14874	8586	57.72	
24	Simdega	4088	7619	11707	6644	56.75	
	TOTAL	**98512**	**244852**	**343364**	**208285**	**60.66**	

दिनांक 17.05.2016 को प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड द्वारा Video Conference के माध्यम से समीक्षा की गई जिससे SBM(G) से सम्बधित चर्चा बिन्दु निम्न है :-

---

Video Conference में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से सम्बन्धित बिन्दुओं पर समीक्षा करते हुए निदेश दिया गया कि :-

1. चक्रधरपुर प्रमंडल अंतर्गत आनंदपुर प्रखण्ड का PIL से सम्बंधित प्रतिवेदन को प्रधान सचिव कार्यालय (dwsdacs@gmail.com) तथा (sbmg.jhar@gmail.com) में शीघ्र भेजा जाय। चाईबासा सदर प्रखण्ड को जुलाई 2016 तक ODF किया जाय।

2. विभाग द्वारा अक्टुबर में सभी अधीक्षण अभियंता एवं सभी कार्यपालक अभियंता को कार्यालय परिसरों में Rain Water Harvesting का निर्माण नहीं कराया जाना दुखद बात है। कार्ययोजना तैयार कर 15 जून 2016 तक प्रत्येक कार्यालय में Rain Water Harvesting बनाकर बोर्ड में लिखना सुनिश्चित किया जाए।

   2.1 सभी कार्यालय में विकलांगों एवं महिलाओं व पुरूषों के लिए शौचालय तैयार किया जाए।

   2.2 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सभी कार्यालय परिसर में निर्मित पानी टंकियों को रंग रोगनकर स्वच्छता सम्बंधित Slogan लिखी जाए।

   2.3 उक्त सभी कार्यों की समीक्षा दिनांक 28.05.2016 की विडियों कॉन्फ्रेंस में की जायेगी। अतएव इससे पूर्व निर्माण करने का निर्देश दिया गया।

3. विभिन्न बैठकों/फिल्ड विजिट में यह देखा गया है कि विभाग के पदाधिकारी अपने परिवेश, व रहन सहन का ध्यान नहीं रखते; जबकि इस सम्बन्ध में झारखण्ड सरकार द्वारा ड्रेस कोड भी निर्धारित है। व्यक्तिगत कार्य की पहचान पहनावे व व्यवहार के सकारात्मक तरीके से भी इंगित होती है अतएव सभी अधीक्षण अभियंता अपने स्तर से इसे सुनिश्चित करेंगे, यह निर्देश दिया गया।

4. स्वच्छ भारत मिशन का कार्य लोक हित में होना चाहिए। जिसका दूसरों के द्वारा या electronics Media में देखा जा सके। जैसे DD News के Primetime में दुलमी प्रखण्ड एवं कुम्भ मेला की व्यवस्था की प्रशंसा की गयी। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में साहेबगंज एवं दुमका प्रमंडल में सहायक/कनीय अभियंताओं का SBM(G) कार्यक्रम के प्रति असंलिप्तता अच्छी नहीं लगी, वहीं नाला पंचायत का कार्य अच्छा रहा। शौचालय निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

5. प्रथम चरण में जितने ग्राम पंचायत/प्रखण्ड ODF किये गये हैं, वास्तव में पूर्ण ODF करने के लिए वहाँ के Defunct Toilet की विस्तृत सूची तैयारकर प्रमंडलवार प्रतिवेदन शीघ्र भेजा जाए तथा GOI के Portal में उपलब्ध PF-45 में Entry सुनिश्चित की जाए।

साथ ही साथ ODF घोषित ग्राम पंचायत /प्रखण्ड में Pipe Water Supply Scheme हेतु प्रस्ताव भेजा जाए, ताकि सरकार से अतिरिक्त राशि मांगा जा सके।

5.1 देवघर के रामुडीह ग्राम पंचायत जो कि ODF हो चुकी है के लिए Pipe Water Supply हेतु estimate शीघ्र भेजा जाए। साथ ही ODF होने वाली सभी ग्राम पंचायतों के लिए P.W.S. हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

6. वित्तीय वर्ष 2016–17 में लक्षित प्रखण्डों को ODF करने के लिए माहवार कार्ययोजना का संक्षिप्त प्रतिवेदन भेजा जाए, जिसमें लाभुको की संख्या तथा आवश्यक राशि का जिक्र किया जाए।

कुछ प्रमंडलों द्वारा प्रखण्ड ODF हेतु निम्न प्रस्ताव दिया गया –

क्रम	जिला	प्रखण्ड	प्रस्तावित तिथि
1	हजारीबाग	दारू	जुन 2016
2	हजारीबाग	टाटीझारिया	
3	रामगढ़	रामगढ़	
4	रामगढ़	चितरपुर	
5	पश्चिम सिंहभूम	सदर चाईबासा	
6	पश्चिम सिंहभूम	आनंदपुर	
7	दुमका	गोपीकांदर	
8	साहेबगंज	राजमहल	
9	गुमला	अलबर्ट एक्का जारी	
10	राँची	ईटकी	
11	गढवा	डण्डा	
12	गढवा	सगमा	
13	लातेहार	हेरहेन्ज	
14	चतरा	पत्थरगढ़ा	
15	चतरा	गिद्दौर	

7. निर्मित किये गये घरेलू व्यक्तिगत शौचालय का Online अबतक (16.05.16) मात्र 11,290 किया गया है। राज्य समन्वयक SBM(G) द्वारा सभी कार्यपालक अभियंता/सभी जिला समन्वयक को कहा गया कि दिनांक 18.05.2016 के शाम तक जिला स्तर से वास्तविक प्रगति की Online Entry कर District Approval दी जाय तथा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जिला स्तर से Approval दिया जाना सुनिश्चित करें।

20/05/16

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक : Video Conference-180/10(Part-II)-504 दिनांक : 21/5/16
प्रतिलिपि : सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड / सभी कार्यपालक अभियंता–सह– सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन प्रकल्प, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 20/05/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक : Video Conference-180/10(Part-II)-504 दिनांक : 21/5/16
प्रतिलिपि : सभी उपायुक्त –सह– अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

Sd/- 20/05/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

दिनांक 12.07.2016 को सम्पन्न स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन।

उपस्थिति : यथा पंजी।

दिनांक 12.07.2016 को विश्वा, काँके, राँची में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण की समीक्षात्मक बैठक विभागीय प्रधान सचिव के अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए निदेश दिया गया :–

1.1 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से सम्बंधित वित्तीय वर्ष 2015–16 का अंकेक्षण के क्रम में Chartered Accountant को आ रही कतिपय कठिनाईयों को देखते हुए निदेश दिया गया कि सभी प्रमंडल/जिला अपने–अपने कैस बुक, पास बुक, आदि का अद्यतन कराते हुए IMIS के साथ उपयोगिता प्रमाण'–पत्र का समायोजन कर तैयार रखें, ताकि अंकेक्षण के क्रम में कठिनाई न हो। यह भी सुनिश्चित करें कि अपने प्रमंडल/जिला अंतर्गत VWSC का खाता बही, उपयोगिता प्रमाण–पत्र, पास बुक आदि का अद्यतन (update) होना चाहिए। यदि किसी कारण ससमय अंकेक्षण नहीं हो पाने की स्थिति में सम्बंधित सहायक प्रखण्ड स्वच्छता पदाधिकारी (सहायक/कनीय अभियंता) के साथ रोकड़पाल, जिला समन्वयक भी जिम्मेवार होंगे।

1.2 जिन प्रमंडलों/जिला का IMIS के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन नहीं किया जा रहा है, उनके विरूद्ध प्रपत्र–'क' का गठन किया जाए साथ ही साथ VWSC/BRC के Role तथा लापरवाही को चिन्हित कर, दोष निर्धारण कर कार्रवाई की जाय।

1.3 VWSC से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर IMIS के अनुसार उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समायोजन कर अंकेक्षण पूर्ण कराया जाय।

1.4 उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं होने की स्थिति में सहायक अभियंता/कनीय अभियंता/BRC से स्पष्टीकरण मांगी जाय। दोष निर्धारण हो।

[अनु : निदेशक SBM(G)/सभी SEs/EEs]

2. ODF/प्रस्तावित ODF पंचायत/ग्राम स्तरीय प्रेरक कार्यक्रम

2.1 सात (7) लक्षित जिलों को ODF करने के क्रम में दो/तीन दिनों का (48 घंटों) गहन प्रेरक कार्यक्रम किया जाय, जिसमें रात्रि कैम्प correction भी की जायेगी। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बेस लाईन संशोधन, SHG तथा लाभुकों द्वारा (स्व निर्माण) शौचालय निर्माण हेतु फार्म भराकर, कार्य देना आदि कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों से रूबरू होंगे और उन्हें स्वच्छता के बारे में

जानकारी देते हुए प्रोत्साहित करेंगे एवं सामूहिक स्वच्छता शपथ का आयोजन हो।

2.2 खूँटी, कोडरमा, लोहरदगा, रामगढ़, साहेबगंज एवं जामताड़ा को प्रखण्ड स्तर पर एक फेज में तथा हजारीबाग को दो फेज में कार्यक्रम किया जाए।

2.3 इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित प्रिन्ट व इलेक्ट्रोनिक मिडिया सहित अन्य सभी चअखबार वालों को सम्मिलित किया जाए। Media/Press Conference के माध्यम से भी Publicity दिया जाय। कार्यक्रम की पूर्व तथा कार्यक्रम के बाद को प्रकाशित/सूचना शेयर करें।

2.4 प्रखण्डवार वरीय पदाधिकारी DC/DDC/ACs/SDOs के दायित्व दें।

2.5 पंचायत स्तर पर BDO/Cos/CDPOs/ अन्य प्रखण्ड स्तरीय प्रवशक को दायित्व दिया जाय।

2.6 ग्रामस्तर पर शिक्षक/आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका/स्वास्थ्य सहिया/पंचायत सेवक/जनसेवक/हल्का कर्मचारी एवं सभी की सहभागिता की जाय। शिक्षक कार्य अवधि के बाद रात्रि/प्रातः शामिल हो।

2.7 हाई स्कुल तथा उससे उपर के छात्रों को प्रेरक बनाया जाया।

2.8 प्रत्येक पंचायत हेतु आवश्यक राशि DWSC तय कर, कार्यक्रम तय कर IEC से चयन करें।

2.9 सरकारी सेवा तथा सक्षम को नाम हटा कर Baseline Correct हो तथा Self Construction कराकर Output में भरा जाय।

2.10 पूर्व से स्वतः निर्मित तथा सक्षम को चिन्हित कर निर्माण कराकर IMIS Update किया जाय।

(अनु0 सभी DCs / EEs)

2.11 स्वयं द्वारा शौचालय निर्माण पर लाभार्थी को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 12000/– सीधे (विभागीय निर्देश पत्रांक–SBM(G)-98/2009 (Part-II) दिनांक 22.06.16 के आलोक में अधिकतम दो किस्तों में) उनके बैंक खाता में E-Transfer किया जाएगा।

2.12 ODF हेतु लक्षित प्रखण्ड/पंचायत या जो प्रखण्ड/पंचायत ODF हो चुका है वहाँ को defunct Toilet की सूची वांछित प्रपत्र में शीघ्र भेजी जाय ताकि इसके लिए राशि उपलब्ध किया जा सके।

3.0 स्वः निर्माण प्रोत्साहन

3.1 SHG तथा लाभार्थी द्वारा स्वयं शौचालय निर्माण को बढ़ावा देना है। इसके लिए तैयार प्रपत्र पर लाभुक आवेदन भरकर देगें उसका क्रमांक डालकर पावती रसीद के रूप में लाभुक को वापस कर दिया जाय। शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर 10,000/– रु. लाभुक के खाते में तथा फोटो ऑपलोड होने पर शेष राशि 2,000/–रु. का भुगतान किया जाय। SHG के मामले में शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण करने तथा फोटो ऑपलोड होने पर एक मुस्त पूरा राशि रु. 12,000/– SHG को भुगतान किया जायेगा। सक्षम परिवार से शीघ्र शौचालय निर्माण कार्य शुरू की जाय।

अनु0 (सभी DC/EEs)

3.2 VWSC द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को राशि Cheque/ नगद के माध्यम से अग्रिम भुगतान नहीं कर सकते हैं। ईंट, सीमेन्ट आदि सामग्री के लिए चेक से भुगतान कर सकते हैं। यह सभी निर्णय सामुदायिक सहभागिता तथा ग्राम सभा/लाभुक सभा के resolution के माध्यम से लिया जायेगा।

4.0 मानव शक्ति :

4.1 ODF हेतु लक्षित प्रखण्ड में जहाँ प्रखण्ड समन्वयक नहीं है, प्रत्येक प्रखण्डों में पाँच–पाँच हजार रुपये भुगतान कर दो प्रखण्ड स्तरीय समन्वयक/कार्यकर्त्ता अस्थाई रूप से कार्य कर सकते है। यह व्यवस्था स्थाई व्यवस्था होने तक रहेगी। उपायुक्त सह अध्यक्ष DWSC ही निर्णय हेतु सक्ष्य होगें।

4.2 जिस जिलें में जिला समन्वयक नहीं है वहाँ वर्त्तमान मानदेय पर (25,000/– अधिकतम) अस्थाई जिला समन्वयक सम्बंधित उपायुक्त के अनुमोदन पर विधिवत नियुक्ति तक रख सकते हैं।

अनु0 (उपायुक्त /कार्यपालक अभियंता)

5.0 सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण शीघ्र पूर्ण कर IMIS पर इन्ट्री व 100% फोटो अपलोड का कार्य 15 अगस्त के पूर्व करें। BDOs सह प्रखण्ड स्वच्छता पदाधिकारी विशेष ध्यान दें। ऐसी पंचायत जो MNREGA में चयनित है, कार्य सम्भव न हो तो SBM(G) से अवशेष कार्य नियमों के तहत पूर्ण हो।

अनु0 (DC/DDC/BDOs/EE)

6.0 ODF हेतु लक्षित I Phase Districts की समीक्षा :–

समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2016—17 में लक्षित सात जिलों को पूर्ण ODF करने हेतु प्रखण्डवार/पंचायतवार कार्य योजना तैयार कर शीध्र क्रियान्वयन किया जाए।

6.1 खूँटी जिला –

जिला में RW-LISS, & WSP-SA एवं Tata Trust द्वारा सहयेाग दिया जा रहा है। जिला के उपायुक्त, कार्यपालक अभियंता एवं अन्य पदाधिकारियों को बाहर प्रशिक्षण हेतु भेजा जा रहा है। हाल ही में जिले के लगभग 60 व्यक्तियों को CLTS Master Trainer के रूप में प्रशिक्षण दिया गया है। सभी को काम पर लगाया जाय।

6.2 कोडरमा जिला – निदेश दिया गया कि Baseline को शीघ्र संशोधित किया जाए तथा सक्षम परिवार से स्वयं शौचालय निर्माण का कार्य आरम्भ की जाए। SHG Group-II/पंचसूत्र को भी शामिल किया गया है। ऐसी परिस्थिति में जिला के करीब 2000 SHG, प्रदान एवं CLTS के प्रशिक्षित Natural Leaders को शौचालय निर्माण कार्य से जोड़ा जाए।

6.3 लोहरदगा जिला – सूचना दी गई कि कैथरो एवं कुडू प्रखण्ड का ODF हेतु कार्य किया जा रहा है।

6.4 हजारीबाग जिला – द्वारा सूचित किया गया कि चुरचु प्रखण्ड को ODF किया गया है। डाडी प्रखण्ड को अगस्त तक ODF किया जायेगा तथा अन्य पाँच प्रखण्डों को इस वर्ष ODF किया जायेगा।

– प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि अन्य 10 प्रखण्डों का Baseline सुधारकर तथा कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाए ताकि इस वर्ष जिला को ODF किया जा सके।

6.5 बोकारो कार्यपालक अभियंता चास बैठक में अनुपस्थित थे; साथ ही उनकी प्रगति सभी बिन्दुओं पर गत एक वर्ष से असंतोषजनक रही है।

– निदेशक द्वारा अवगत् कराया गया कि कार्यपालक अभियंता, चास शनिवार की विडियो कॉन्फ्रेसंग में भी अनुपस्थित थे, निदेश दिया गया कि इनसे स्पष्टीकरण पूछा जाए व No work - No pay के आधार पर एक दिन के वेतन की कटौती की जाए।

6.6 हजारीबाग कार्यपालक अभियंता को ODF ग्राम पंचायत/गांवों को Online Mark नहीं किये जाने के कारण तथा भौतिक प्रगति, फोटो आपलोडिंग की प्रगति अत्यंत कम होने के कारण पृच्छा करने का निदेश दिया गया।

6.7 गिरिडीह जिला – निदेश दिया गया कि लाभुक का चयन कर स्वयं द्वारा शौचालय निर्माण को प्रोत्साहित किया जाए। शौचालय निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

अनु0 (सभी DC/EE)

7.0 IHHL निर्माण की प्रगति –

समीक्षा के क्रम में अत्यंत खराब प्रगति वाले जिला/प्रमंडल की स्थिति निम्न प्रकार रही :–

As on 08-07-2016

Sr. No.	Divison Name	Minimum Target FY 2016-17	Physical Progress Online as on 08-07-2016	Physical Achievement In percentage (%)
1	GARHWA	16632	2058	12.37
2	SIMDEGA	16635	1987	11.94
3	JAMSHEDPUR	13873	1429	10.30
4	ADITIYAPUR	13873	1051	7.58
5	DHANBAD-1	13863	1034	7.46
6	JAMTARA	80928	5594	6.91
7	DEOGHAR	11090	704	6.35
8	LOHARDAGA	57468	3307	5.75
9	CHAKRADHARPUR	16635	695	4.18
10	CHAS	11090	390	3.52
11	KODERMA	67748	1904	2.81
12	KHUNTI	77593	1751	2.26
13	HAZARIBAGH	148119	2461	1.66

नये पदस्थापित कार्यपालक अभियंता जैसे – धनबाद–1, हजारीबाग एवं आदित्यपुर को छोड़कर उपरोक्त सभी कार्यपालक अभियंताओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में अत्यंत दयनीय प्रगति हेतु कारण पृक्षा की जाए। साथ ही सभी जिला/प्रमंडल को निदेशित किया गया कि वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुपातिक प्रगति सुनिश्चित की जाए। एक Action Plan तय कर प्रत्येक माह प्रतयेक Division- ODF District कम से कम 5000 तथा अन्य 3000 IHHL का निर्माण सुनिश्चित करें। निदेशक, SBM(G) राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करायें।

अनु0 (निदेशक SBM(G)/EEs)

8. **Photo uploading की प्रगति :–**

फोटो ऑपलोडिंग की प्रगति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गत वर्षों की अपेक्षाकृत आज की प्रगति अत्यधिक कम है। (अनुलग्नक–फोटो अपलोडिंग की अद्यतन स्थिति)।

8.1 निदेशित किया गया कि फोटो अपलोडिंग में ग्राम पंचायतों के स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता से जोड़ा जाए तथा शौचालय निर्माण के साथ ही

फोटो अपलोड हेतु व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया जाए। प्रक्रिया तथा प्रोत्साहन राशि निर्धारित है।

8.2 निदेश दिया गया कि राज्य के कुल प्रगति प्रतिशत से कम वाले सभी कार्यपालक अभियंताओं को कारण पृच्छा की जाए जिसमें – दुमका, सरायकेला, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, खूँटी, पलामू एवं पूर्वी सिंहभूम शामिल हैं।

8.3 यह भी निदेश दिया गया कि सभी सम्बंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा लक्षित प्रखण्डों का IHHL निर्माण एवं उनका Photo uploading का Monitor किया जायेगा।

8.4 निदेश दिया गया कि दिनांक 10 अगस्त 2016 तक 80% Photo uploading पूर्ण किया जाए।

8.5 सभी AE/JE सह सहायक प्रखण्ड स्वच्छता पदाधिकारी को Mobile फोन दिया गया है, उनके द्वारा कितना Photo upload हुआ, प्रखण्ड/पंचायतवार/नाम/पदनामवार व्यौरा दे, तथा स्पष्टीकरण पूछा जाय।

8.6 MNREGA के पंचायत प्रभारी अपनी योजना का फोटो upload करते है। यह प्रखण्ड मुख्यालय है। यह लापरवाही निदनीय है। BDO की पूर्ण लापरवाही है। उनका भी सहयोग लिया जा सकता है।

अनु0 (DCs/ BDOs/ EEs)

9.0 ODF ग्राम पंचायत/प्रखण्ड का Online स्थिति – F-42 के अनुसार मात्र 146 ग्राम पंचायत एवं 1049 गांवों को ODF Status हेतु mark किया गया है। अगले दस दिनों के अंदर अर्थात् दिनांक 22.07.16 तक सभी घोषित ODF ग्राम पंचायत तथा गांवों को ODF चिन्हित किया जाए।

अनु0(EE/जिला समन्वयक)

10.0 ODF Panchayat / प्रखण्ड का पाईप वाटर सप्लाई योजना तैयारी कर स्वीकृति हेतु दी जाय।

अनु0 (EE)

27/07/16

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक : SBM(G)बैठक/कार्यवाही प्रति - 595/13(P-II)-734 दिनांक : 28-07-16

प्रतिलिपि : सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड/सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन प्रकल्प, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/7/16

(राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पेयजल एवं स्वच्छ विभाग

ज्ञापांक : SBM(G) बैठक/कार्य०प्रति०-595/13 (विभाग)- 732, दिनांक : 29-07-16

प्रतिलिपि : सभी उपायुक्त –सह– अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

27/7/16

(राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पेयजल एवं स्वच्छ विभाग

कार्यालय, निदेशक

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची

डोरंडा बाजार पानी टंकी परिसर, प्रथम तल, डोरंडा, राँची 834002 फैक्स/नं. 0651-2481593 email-sbmg.jhar@gmail.com

पत्र संख्याः Video Conference-180/10 (Part-II) - 750 /SBM(G) दिनांक : 04-08-16

प्रेषकः **राजेश कुमार शर्मा,** भा०प्र०से०
निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

1. सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
   जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड।
2. सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव,
   जिला जल एवं स्वच्छता मिशन "प्रकल्प", झारखण्ड।

विषयः **SBM(G) के अंतर्गत दिनांक 05.08.2016 को 124 प्रखण्डों में स्वतः शौचालय निर्माण के क्रियान्वयन हेतु कार्यकम पर Video Conference के सम्बंध में।**

प्रसंकः **प्रधान सचिव, DW&SD का पत्रांक–SBM(G)/IHHL स्वतः नि0–114/16–739, दिनांक 01.08.2016**

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का अवलोकन किया जाए।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्य सचिव महोदया के निदेशानुसार एक वृहद अभियान का आयोजन के कम में उसकी विस्तृत रूप रेखा के सम्बंध में दिनांक 05.08.2016 को 12:30 PM से 01:30 PM बजे तक प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार के अध्यक्षता में Video Conference की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उक्त Video Conference में सम्बंधित प्रतिवेदन के साथ भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

अनु0: पूर्व पत्र की प्रति।

4/8/16

(राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्या : Video Conference-180/10 (Part-II) - 750 /SBM(G) दिनांक : 04-08-16
प्रतिलिपि : सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड/ UNICEF/GSF/Water Aid/WSP-SA, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।

4/8/16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्या : Video Conference-180/10 (Part-II) - 750 /SBM(G) दिनांक : 04-08-16
प्रतिलिपि : सरकार के प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

4/8/16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

दिनांक 23.07.2016 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षात्मक Video Conference की कार्यवाही प्रतिवेदन।

दिनांक 23.07.2016 को SBM(G) की Video Conference में समीक्षा करते हुए निम्न निदेश दिये गये :–

1) मासिक प्रगति की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की Online Approval 10 तारीख तक जिला द्वारा नहीं की जा रही है, इसे सुनिष्चि करायें।

(अनु0 : सभी कार्यपालक अभियंता)

2) सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) अंतर्गत ग्राम पंचायतों के Baseline Entry सही नहीं है। साथ ही SAGY ग्राम पंचायतों में कोई प्रगति लक्षित नहीं हो रही है। दुमका जिला अंतर्गत रंगा एवं गुमला जिला अंतर्गत बिसुनपुर ग्राम पंचायत में Online Entry शून्य है।

निदेशित किया गया कि SAGY ग्राम पंचायतों के Baseline को सुधार कर शीघ्र सभी ग्राम पंचायतों को ODF किया जाए तथा मनरेगा अंतर्गत निर्माण किये गये शौचालय का Online Entry सुनिश्चित किया जाए एवं सम्बंधित उपायुक्त से विमर्श कर ODF हेतु कार्यान्वयन किया जाए।

(अनु0 कार्यपालक अभियंता, सभी SAGY ग्राम पंचायतधारी प्रमंडल)

3) वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंकेक्षण की समीक्षा के क्रम में बतलाया गया कि Chartered Accountant के निर्धारित समय पर जिला का Audit नहीं पूरा हो पा रहा है, जो खेद का विषय है।

– **<u>राँची (पूर्वी)</u>** तीन दिनों में 62 VWSC में से 75 का Audit हुआ ।

– **<u>राँची (पश्चिमी)</u>** चार दिनों 89 VWSC में से 60 का Audit हुआ।

(कार्यपालक अभियंता द्वारा बतलाया गया कि 89 VWSC आये थे 31 मार्च 16 को RTGS द्वारा भुगतान किया गया जिसका अप्रैल हो हस्तांतरण हुआ, जिसके कारण Audit पूरा नहीं हुआ।

– **<u>रामगढ</u>** चार दिनों में 110 VWSC में से 70 का Audit हुआ।

– **हजारीबाग** – Auditor को लौटा दिया गया।

– **<u>गोड्डा</u>** – तीन दिनों में 268 VWSC में से 98 का Audit हुआ।

– **<u>चास –</u>** में Auditor नहीं गये।

– **<u>खूँटी</u>** – 4 दिनों में 166 VWSC में से 59 का Audit हुआ।

– **कोडरमा** – 45 VWSC में से 41 का Audit हुआ।

– **दुमका** – Audit पूरा नहीं हुआ।

– **तेनुघाट** – 70 VWSC में से 69 का Audit हुआ

(नोट– कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट के अनुसार सभी VWSC के प्रतिनिधि अंकेक्षण हेतु आये थे, परन्तु Auditor द्वारा Audit पूरा नहीं किया जा सका)

– **पाकुड़** – 194 VWSC में से 85 का Audit हुआ।

निदेष दिया गया कि सभी जिलों का UC समायोजित करते हुए Audit का कार्य पूर्ण किया जाए, ताकि 15 अगस्त 2016 तक भारत सरकार को Audit एवं U.C. Report भेजने की स्थिति में हो सकें।

(अनु0 सभी कार्यपालक अभियंता)

4) **सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY):**

4.1 **गुमला** – कार्यपालक अभियंता द्वारा बतलाया गया कि SAGY अंतर्गत विषुनपुर ग्राम पंचायत में नरेगा द्वारा शौचालय निर्माण कराया जा रहा है। अबतक 48 पूर्ण है अन्य सूची अप्राप्त है।

– निदेष दिया गया नरेगा द्वारा निर्मित शौचालय की सूची BDO से प्राप्त कर Online किया जाय, शेष शौचालयों का निर्माण उपायुक्त के अनुमति से विभाग (प्रमंडल) द्वारा किया जाए।

4.2 **दुमका-II** – कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि शौचालय निर्माण की प्रगति मनरेगा द्वारा Online किया जा रहा है।

– निर्देश दिया गया कि शौचालय की सूची प्राप्त कर SBM(G) के Portal में Entry सुनिश्चित की जाए।

4.3 **पश्चिम सिंहभूम** – चक्रधरपुर कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि SAGY अंतर्गत बिला ग्राम पंचायत में SHG द्वारा मुखिया के देख–रेख में कार्य कराया जा रहा है। किन्तु कार्य धीमी है।

– निदेश दिया गया कि बिला ग्राम पंचायत में कार्यपालक अभियंता रात्रि में रह कर Self Construction को प्रोत्साहित करें तथा कार्य शीध्र पूर्ण करायें।

4.4 **साहेबगंज** – कार्यपालक अभियंता द्वारा बतलाया गया कि SAGY अंतर्गत तालझरी पंचायत में शौचालय निर्माण का कार्य मनरेगा द्वारा किया जा रहा है।

– निदेश दिया गया कि उपायुक्त से विर्मशकर ODF सुनिश्चित किया जाए तथा इस वर्ष 2016–17 में प्रगति शून्य होने के कारण उपायुक्त को पत्र भेजा जाए।

4.5 **पलामू** – कार्यपालक अभियंता द्वारा बतलाया गया कि SAGY अंतर्गत केकरगढ़ ग्राम पंचायत का BLS के अनुसार 944 HH ह, जिसमें 300 का शौचालय निर्माण हो चुका है।

– निदेश दिया गया कि शीध्र Online Entry किया जाए।

4.6 **चतरा** – निदेश दिया गया कि SAGY अंतर्गत कंयन्डीनगर ग्राम पंचायत में Baseline में सुधार कर शीध्र घटाया जाए।

4.7 **पलामू** – निदेश दिया गया कि SAGY अंतर्गत किसुनपुर ग्रम पंचायत का Baseline शीध्र सुधार कर ODF किया जाए।

4.8 **धनबाद** – निदेश दिया गया कि SAGY अंतर्गत टुंडी ग्राम पंचायत का Baseline को संशोधन कर शीध्र ODF किया जाए।

4.9 **राँची** – निदेश दिया गया कि SAGY अंतर्गत बड़ाम, हह्राप एवं परासी ग्राम पंचायत का Baseline का शीध्र सुधार कर ODF सुनिश्चित किया जाए।

4.10 **हजारीबाग** – कार्यपालक अभियंता द्वारा बतलाया गया कि SAGY अंतर्गत जरबा ग्राम पंचायत में 1444 HH में से 874 का Online Entry हो चुका है। किन्तु Village Mapping की समस्या हो रही है।

– दिनांक 30.07.2016 से IMIS में Entry Module B-06 आरम्भ किया गया है जिससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा।

4.11 **कोडरमा** – कार्यपालक अभियंता द्वारा बतलाया गया कि SAGY अंतर्गत चोपनाडीह ग्रम पंचायत का Online Entry में समस्या आ रही है।

4.12 **धनबाद** – SAGY अंतर्गत टुंडी, मैंरानवाटांड एवं रतनपुर ग्राम पंचायत का Baseline Survey को संशोधित कर 10 अगस्त तक पूर्ण ODF किया जाए।

(अनु॰: SAGY अंतर्गत ग्राम पंचायतसें से सम्बंधित सभी कार्यपालक अभियंता/राज्य समन्वयक, SBM(G))

5) अन्य Issues

5.1 निदेश दिया गया कि प्रखण्ड मुख्यालय ग्राम पंचायत को अबतक ODF नही किये जाने पर सम्बंधित AE/JE/BDO को कारण पृच्छा की जाए।

कृ॰पृ॰उ॰

5.2 निदेश दिया गया कि पूर्व में किसी कारण से हटाए गए अनुबन्धित कर्मियों को पुनः नहीं रखा जाएगा।

5.3 दिनांक 15 अगस्त, 2016 तक Photo Uploading का कार्य 80% तक नहीं किये जाने पर सम्बंधित पदाधिकारी/कर्मचारी से कारण पृच्छा की जायेगी।

– निदेश दिया गया कि सभी जिला/प्रमण्डल अपने–अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्ययोजना के आधार पर कार्य प्रगति सुनिश्चित करें।

05/8/16

(राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक : VideoConference-180/10(Part-II)-758/SBM(G) दिनांक : 05-08-16

प्रतिलिपि : सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड/सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड/सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन प्रकल्प, झारखण्ड/राज्य समन्वयक, SBM(G)/परामर्शी (IEC), SBM(G) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/8/16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक : VideoConf.-180/10(Part-II)-758/SBM(G), दिनांक : 05-08-16.

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

05/8/16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

कार्यालय, निदेशक

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची

डोरंडा बाजार पानी टंकी परिसर, प्रथम तल, डोरंडा बाजार, राँची–834002 फोन नं.–0651–2482876 फैक्स नं.–0651–2481593 Email-sbmg.jhar@gmail.com

पत्र संख्याः SBM(G)/State Level Workshop-51/2016 – 1140 / SBM-G, दिनांक : 10/10/2016

प्रेषक: **राजेश कुमार शर्मा,** भा०प्र०से०
निदेशक, SBM(G)
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति
झारखण्ड।

विषयः **दिनांक–07.10.2016 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में देय निर्देश के संबंध में।**

महाशय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक बैठक व पत्र के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक–07.10.2016 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में देय निर्देश के आलोक में यह निर्देशित किया जाता है कि –

1 प्रत्येक जिले को इस वित्तीय वर्ष 2016–17 में न्यूनतम 5000 IHHL का निर्माण महात्मा गाँधी नरेगा के अंतर्गत करना है। इन शौचालयों के निर्माण में निम्न प्रकार से प्राथमिकताएँ तय की गई हैं :–

I वे ग्राम पंचायतें जिन में मात्र क्षतिग्रस्त शौचालयों तथा अन्य सुयोग्य लाभुक जो BLS में नहीं है का निर्माण शेष है, उन ग्राम पंचायतों में IHHL का निर्माण

II उन ग्राम पंचायतों में जहाँ पर JSPL के VOs कार्यरत है, उन ग्राम पंचायतों में शौचालयों का निर्माण।

III इन्दिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को, जो SBM-G में पूर्व से आच्छादित नहीं है, उन्हें आच्छादित किया जाय।

IV इस वित्तीय वर्ष में लक्षित प्रखण्डों के क्षतिग्रस्त शौचालयों को अच्छादित किया जाय।

इस योजना का कार्यान्वयन महात्मा गाँधी नरेगा तथा SBM(G) के मानक के अनुरूप होगा। इस संबंध में प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग तथा प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, के संयुक्त हस्ताक्षर से विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किए जा रहे है।

महात्मा गाँधी नरेगा के तहत 5000 IHHL की स्वीकृति 25.10.2016 के पूर्व करते हुए निदेशालय को सूचना दी जाए।

2. इस वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए ODF हेतु लक्षित 23 प्रखण्डों में जहाँ JSPL के VOs कार्यरत है इनमें SBM(G) के सम्पूर्ण कार्य VOs को सौंप दिया जाए तथा शौचालय निर्माण से VWSC को मुक्त करते हुए उन्हे प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण के कार्य में लगाया जाए।

3. BPMU एवं DPMU के तहत कर्मियों/परामर्शियो के अनुबंध आधारित नियुक्ति हेतु, निदेश विभागीय संकल्प संख्या क्रमशः 1109 एवं 1110 दिनांक 28.09.2016 द्वारा निर्गत है। निदेशित किया जाता है 15.10.2016 के पूर्व सभी पदो के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित करा ली जाए एवं 30.10.2016 के पूर्व नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शंका/संशय के समाधान हेतु निदेशालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते है।

4. Village Sanitation Index/SLWM Index के लिए प्रत्येक गाँव में ग्राम सभा करा कर भारत सरकार से प्राप्त निदेशानुसार इन दोनों INDEX के संबंध में सूचनाएँ SBM(G) के Portal पर Upload कराएँ।

5 ODF हेतु लक्षित Phase-I के सभी जिलों के सभी प्रमाण्डलों को प्रति माह कम से कम 3500 शौचालय तथा शेष प्रमण्डलों के लिए 3000 IHHL का निर्माण कराया जाय ताकि लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

6 मनरेगा के तहत पूर्व में बने सभी शौचालय की इंट्री SBM(G) के Portal पर भी करावें। नरेगा एवं SBM(G) के Portal को देखने से स्पष्ट होता है कि नरेगा के तहत बने तीन चौथाई से अधिक शौचालयों को SBM(G) के Portal पर Upload नहीं कराया गया है।

उपरोक्त सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित की जाए।

विश्वासभाजन,
10/10/16

(राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्याः SBM(G)/State Level Workshop-51/2016-1140 SBM(G) दिनांक : 10/10/2016

प्रतिलिपि : सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड/सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन "प्रकल्प" झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया जाता है कि वे उपायुक्त से सम्पर्क कर शीघ DWSC से निर्णय करावें तथा निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) को अवगत करावें।

अनु.–यथोपरि।

10/10/16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक SBM(G)/State Level Workshop-51/2016 – 1140 /SBM(G) दिनांकः– 10/10/2016

प्रतिलिपि–मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

10/10/16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक SBM(G)/State Level Workshop-51/2016 –1140 /SBM(G) दिनांकः– 10/10/2016

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

10/10/16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्रांक–
झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

प्रेषक,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त–सह–जिला जल स्वच्छता समिति,
सभी उप विकास आयुक्त,
सभी कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल,
झारखंड।

रांची, दि0–

विषयः– **माननीय मुख्य मंत्री की अध्ययक्षता में दिनांक 18.09.16 को उप विकास आयुक्त एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों की बैठक में दिए गए निर्देश जो स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) एवं पेयजल स्वच्छता विभाग से संबंधित हैं, उसके कार्यान्वयन के संबंध में।**

प्रसंग :– ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, रांची का ज्ञापांक–6163, दिनांक–17.10.16.

महाशय,

उक्त के कम में पूर्व में भी प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग और अधोहस्ताक्षरी के स्तर से भी संयुक्त रूप से पत्र निर्गत किए गए हैं। माननीय मुख्य मंत्री की बैठक में निम्न निर्देश दिए गए हैं, जिनका प्राथमिकता पर अनुपालन करना है :–

(1) जिन इंदिरा आवासों में स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण से शौचालय स्वीकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें मनरेगा से स्वीकृत करना सुनिश्चित किया जाय।

(2) **प्रधान मंत्री आवास योजना**–ग्रामीण में मनरेगा के साथ अभिसरण करते हुए रू0 15000.00 तक का लाभ सुनिश्चित किया जाय।

(3) **प्रखंड मुख्यालय**– पंचायत आगामी 15 दिनों में प्रखंड मुख्यालय को IHHL से आच्छादित करने एवं ODF घोषित किया जाय तथा MIS पर प्रविष्टि अंकित की जाय।

(4) **सभी प्रकार की आवास योजना**– इंदिरा आवास योजना, मछुवा आवास योजना, बिरसा आवास योजना, बुनियादी आवास योजना का लाभुकों को 15 अक्टूबर तक शौचालय स्वीकृत किया जाय।

(5) सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत चयनित पंचायतों में SBM (G) के तहत ODF पंचायत हेतु कार्रवाई की जाय।

(6) प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना एवं आदर्श ग्राम योजना में यदि ग्राम छोटा है, जिसमें सिर्फ 100–1500 IHHL बनया जाना है उसे मनरेगा योजना से बनवाया जाय अथवा

ग्राम बड़ा होने की स्थिति में उसे SBM (G) से IHHL बनवाया जाय। वर्ष, 1018 तक सभी ग्राम पंचायतों को ODF किया जाना है।

(7) मनरेगा के तहत स्वीकृत शौचालय का इंट्री स्वच्छ भारत मिशन के पोर्टल पर भी किया जाय ताकि Duplication की संभावना न हो।

(8) सभी प्रखंड मुख्यालय में सामुदायिक शौचालय तथा सौर ऊर्जा आधारित पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। इसमें मनरेगा का भी उपयोग किया जाय।

उक्त के अनुपालन की प्रथम समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिंग से दिनांक 03.11.16 को की जायेगी। मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 05.11.16 को समीक्षा की जायेगी।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 365/P.sec रांची, दिनांक– 20/10/16

प्रतिलिपि :–निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। दिनांक 03.11.16 को एक वीडियो कांफ्रेंस कर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

20/10/16
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

दिनांक 15.10.2016 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित SBM (G) संबंधित विषय पर उपायुक्तों एवं कार्यपालक अभियन्ता DWSDs की वीडियो कॉफ्रेसिंग द्वारा समीक्षा की कार्यवाही ।

मुख्य सचिव द्वारा निम्न निर्देश दिए गए:–

(1) सभी उपायुक्त/सह अध्यक्ष DWSC, DPMU/BPMU हेतु स्वीकृत मानव संशाधन का चयन 25 अक्टूबर 2016 तक करना सुनिश्चित करे।

(2) कंडिका 1 के अतिरिक्त विभाग द्वारा जारी निर्देश के आलोक में लक्षित ग्राम पंचायतों में **स्वच्छताग्राहियों/नेचुरल** लीडर का चयन शीघ्र करें। उक्त चयन Walk-in-Interview द्वारा भी किया जा सकता है।

(3) **पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक कर्मी,** स्वच्छताग्राही को भी नेचुरल लीडर के रूप में भी कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है।

(4) पंचायत /ग्राम स्तर पर पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक/कर्मी को भी जोड़ा जाय।

(5) **प्रत्येक लक्षित G.P./राजस्व** ग्रामवार Nodal Person नियुक्त करें।

(6) प्रत्येक जिला SBM-G के लिए **एक कन्ट्रोल रूम व्यवस्थित** रूप से स्थापित करें। कन्ट्रोल रूम के लिए पदाधिकारी नियत करें; उसके दूरभाष न0 सभी जगह प्रचारित करें तथा राज्य स्तर पर वह सम्पर्क व समन्वय में रहें।

(7) **उपायुक्त ग्राम पंचायतवार रिव्यू– प्रतिदिन न्यूनतम 10** मिनट कन्ट्रोल रूम के माध्यम से SBM-G का अवश्य करें। **सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों** का दायित्व तय करें।

(8) आन्तरिक लक्ष्य निर्धारण एवं चयनित प्रखण्ड में परिवर्तन उपायुक्त द्वारा करना:–

i) विभाग द्वारा पूर्व में आवंटित लक्ष्य न्यूनतम है; उपायुक्त अपने स्तर से वार्षिक लक्ष्य बढ़ा सकते है।

ii) ऐसा जिला जहाँ दो विभागीय प्रमंडल हैं, वहाँ उपायुक्त प्रगति देखकर लक्ष्य एक प्रमंडल से दूसरे प्रमंडल में हस्तान्तरण कर सकते हैं।

iii) चिन्हित प्रखण्ड के बजाय दूसरे प्रखण्ड का चयन कर सकते है।

iv) जिलों को आवंटित न्यूनतम लक्ष्य हर हाल में पूर्ण करना है।

v) इसके अतिरिक्त निम्न जिलों के लक्ष्य संशोधित किए गए:–

a) पश्चिमी सिंहभूम इस वर्ष न्यूनतम 50,000 IHHL का निर्माण का लक्ष्य रखें तथा चाईबासा कार्य प्रमण्डल के प्रखण्डों को प्राथमिकता पर ODF करें।

b) पाकुड़ इस वर्ष न्यूनतम 30000 IHHL निर्माण का लक्ष्य रखें।

c) सरायकेला 60000 IHHL का न्यूनतम लक्ष्य रखें।

d) सभी प्रमंडल पूर्व निर्देश के आलोक में प्रतिमाह न्यूनतम 3500 तथा लक्षित जिला न्यूनतम 6000 IHHL निर्माण आवश्यक रूप से करें।

e) दुमका 35–40 हजार तथा दुमका प्रखण्ड मुख्यालय को आच्छादित करें।

f) सभी जिला, जिला मुख्यालय प्रखण्ड का मार्च 17 तक ODF करें।

(9) i) इस वर्ष **प्रथम चरण में ODF हेतु लक्षित 7 जिलों** यथा खूँटी, लोहरदगा, कोडरमा, रामगढ़, हजारीबाग, साहेबगंज, जामताड़ा है। प्रगति संतोषजनक नहीं है। मात्र रामगढ़/साहेबगंज में आच्छादन > 40% है।

ii) सभी प्रखण्डों के सभी ग्राम पंचायतों मे कार्य शुरू करें।

iii) प्रतिदिन प्रत्येक ग्राम पंचायत/ग्रामवार IHHL का लक्ष्य निर्धारित करें।

iv) कंडिका 6 का अनुपालन हो।

v) Mason, Materials की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

vi) प्रतिदिन 300 IHHL का निर्माण सुनिश्चित प्रत्येक जिले में हो।

vii) खूँटी /साहेबगंज की प्रगति अद्यतन काफी चिन्ताजनक है, एवं clear road map & action plan का भी अभाव है।

(10) जिलों में नियुक्त प्रशिक्षु IAS अधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों को उपायुक्त अपने स्तर से एक–एक प्रखण्ड पूर्ण ODF करने की जिम्मेवारी सौंप दें; उक्त अधिकारी आवंटित प्रखण्ड के ODF करने हेतु जिम्मेवार होंगे। मुख्य सचिव के Video Conference से संबंधित पदाधिकारी अवश्य भाग लें।

(11) यदि जिले में विभाग के पदस्थापित कार्यपालक अभियंता, उपायुक्त/DWSC की नजर में कार्य को जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं हैं, तो उपायुक्त सदस्य सचिव के रूप में कार्यपालक अभियंता को प्रदत सभी शाक्तियों–वितीय, प्रशासनिक, वापस लेकर, जिले के किसी अन्य सक्षम वरीय पदाधिकारी को कार्यहित में यह कार्य सौंप सकते हैं। दोषी कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भी दें।

(12) विभिन्न जिलों के नये प्रयोग एवं प्रयासों का आकलन कर, एक दूसरे से सीखा जा सकता है, Exchange के रूप में Visit कर कार्य देखा जा सकता है। निम्न प्रयास अच्छे प्रतीत हो रहे थे एवं अनुकरण किया जा सकता है।

i) लोहरदगा उपायुक्त द्वारा ग्रामस्तर पर 10 महिलाओं की गुलाबी गैंग टीम, 9 पुरूषों की नवरत्न टीम छोटा सिपाही टीम इत्यादि का गठन कर, ग्राम/पंचायत स्तर पर स्वच्छताग्राहियों की उपलब्धता सुनिश्चित की है।

ii) कोडरमा में फेरों सीमेंट के building blocks द्वारा IHHL को गति दिया।

iii) लोहरदगा/दुमका/ हजारीबाग द्वारा building materials ईंट/सीमेंट/ बालू की सस्ते दर पर उपलब्धता एवं ग्रामीण स्वच्छता आदि के रूप में PDS को जोड़ने का प्रयास किया है।

V

iv) पलामू द्वारा दस (10) हजार IHHL- MNREGA के तहत स्वीकृत एवं कार्यान्वित है। यह MNREGA के राशि से ग्रामीण विकास विभाग तथा 18.09.16 को CM के DDCs/BDOs conference में दिए निदेर्शो के अनुपालन का प्रयास है।

v) रामगढ़ / चतरा / देवघर / धनबाद द्वारा DMFT की Tagging की गई है।

vi) सरायकेला Slip Back –मनरेगा एवं बोकारो / चाईबासा DMFT से slip back का समाधान कर रहे है।

vii) जामताड़ा slip Bank 14th FC से समाधान कर रहे हैं।

(13) निदेशक, SBM(G) गोड्डा व गढ़वा जिले का भ्रमण कर वहाँ प्रगति की समीक्षा करें। इन जिलों में कार्य को Speed-up किया जाए।

(14) i) सभी उपायुक्त slip back/क्षतिग्रस्त शौचालयों हेतु निर्धारित प्रपत्र में राज्य स्तर पर प्रस्ताव भेजें। ऐसे जिला जहाँ DMFT फण्ड उपलब्ध है, वहाँ इस मद से क्षतिग्रस्त शौचालय ODF-GP / प्रखण्ड में प्राथमिकता address करें ताकि ODF सत्यापन स्थापित प्रोटोकाल के अनुरूप हो सके।

ii) जो DMFTN/MNREGA/14th FC/ MLA, क्षेत्रीय विकास योजना संभव नहीं है। इसे राज्य सरकार से संशाधन माँगे।

iii) सचिव उद्योग, खान एवं संसाधन भूत्तव ने स्पष्ट किया कि Non Core area में पूरा जिला आच्छादित है।

iv) गुमला में एक गॉव में slip back विषय को रू० 10,000 / इकाई address किया गया। IHHL के साथ स्नानगृह भी बना है। समुदाय द्वारा कार्य प्रथम पूर्ण किया गया, राशि MLA/NND से बाद में दिया गया। अनुकरणीय उदाहरण है।

v) गुमला के प्रयास का स्थल देखकर, slip back GP/ Village के प्रमुख लोगों को दिखा कर, यह model adopt दिया जा सकता है।

(15) i) UNICEF, पाकुड़ तथा चतरा जिलें में जनवरी 2017 से सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करें।

ii) चाईबासा को भी सहयोग करें।

iii) जामताड़ को Unicef अभी से सहयोग करें।

(16) i) सभी जिला अन्तर्गत ODF घोषित ग्राम पंचायतों/ग्रामों का बेसलाईन प्रविष्टि अद्यतन कर एवं सुधार कर एवं शीघ्र ODF प्रोटोकॉल के अनुरूप सत्यापन करा कर, online करें।

ii) वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015 –16 में ली गई GP को true sense में ODF – 15 Nov. 2016 तक करना सुनिश्चित हो। 30.11.2016 तक community verification एवं 31 दिसम्बर तक District Level ODF verification सुनिश्चित किया जाय। वर्त्तमान स्थिति असंतोषजनक है। 18 –30 माह तक एक GP को ODF न होना, पूर्णतः unacceptable स्थिति है।

iii) कंडिका 12 में अंकित उदाहरण पर विचार करें।

iv) Village Sanitation index की कार्यवाही कर ब्यौरा online किया जाय।

v) Block ODF पर विशेष ध्यान दे।

(17) सभी जिलों को सूचित किया जाता है कि आगामी समीक्षा संलग्न चेक स्लिप के द्वारा की जाएगी।

(18) विभिन्न जिलों द्वारा **कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता** की अनुपलब्धता का Issue उठाया यथा गढ़वा /चतरा/पलामू, इत्यादि **अभियन्ता प्रमुख** DWSD इसे Address करें।

(19) i) उपायुक्त बोकारो ने चास, जरीडीह क्रमशः कार्यपालक अभियन्ता/कनीय अभियन्ता के लापरवाही का विषय उठाया। उपायुक्त प्रतिवेदन भेजें। सम्बन्धित पदाधिकारी/कर्मी को निलम्बित किया जाय।

ii) चक्रधरपुर के कार्यपालक अभियन्ता/ साहेबगंज के कार्य विरूद्ध शिथिलता स्पष्ट दिखती है, कार्रवाई की जाय।

iii) धनबाद DC ने GSF के द्वारा दिए manpower द्वारा कार्य नहीं करने का मामला उठाया गया। GSF इसे address करें।

(20) सभी जिला 10 दिनों के अन्दर निम्न कार्य अवश्य करें :–

(i) इस वर्ष **लक्षित ग्राम पंचायतों** में राजस्व ग्रामवार **Nodal Person तथा क्रियान्वयन एजेन्सी** तय करें; अब तक मात्र कुछ जिलों द्वारा ही इस पर कार्य किया गया है।

(ii) शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित करें तथा इसमें जिला में स्थित कन्ट्रोल रूम द्वारा SMS/Call भी करें।

(iii) प्रखण्ड /पंचायत /ग्रामवार Resource Mapping यथा SBM(G), MNREGA DMFT, MLA/UND, 14th FC से New Coverage का ब्यौरा दें।

(iv) Slip Back का True Sense ODF का action plan –DMFT, MNEREGA 14th FC,MLA /UND, राज्य योजना का क्या प्रस्ताव है, स्पष्ट करें।

(v) राज्य योजना से slip Back का प्रस्ताव प्रेषित करें, मुख्यतः Non DMFT जिला यथा दुमका/साहेबगंज, पाकुड़, कोडरमा, गिरिडीह, सरायकेला, पलामू, सिमडेगा, गढ़वा, खूँटी लेकिन MLA/ UND/ MNREGA से Map के बाद एक कोष से GP Cover करें।

(vi) ODF प्रोटोकाल के अनुरूप ODF घोषित कर Online प्रवृष्टि की जाय।

(vii) सभी जिला कम से कम निम्न प्रकार प्रखण्ड ODF करें।

क) 15 नवम्बर 16 –17 (एक)

(ख) 31 दिसम्बर 16 – (दो)

(ग) 31 मार्च 17 – (तीन) तथा verified ODF 31 दिसम्बर तक (एक) फरवरी 17 तक (दो) तथा मार्च तक (तीन) ।

(21) (i) Self Financed Toilet की कम प्रगति निराशाजनक है, अभी तक **16 जिलों** द्वारा शून्य प्रगति दर्ज है। इस पर रामगढ़/धनबाद/ बोकारो/ कोडरमा/ जमशेदपुर/ हजारीबाग/देवघर/ राँची विशेष ध्यान दें।

(ii) विभाग द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप सरकारी सेवकों/संविदाकर्मियों/ PDF डीलर/अन्य कॉरपोरेट कर्मी/जन प्रतिनिधि आदि को विभागवार ट्रैक सिस्टम बना कर पहचान करना। यह कार्य 31 अक्टूबर 2016 तक कर 30 नवम्बर 2016 तक सक्षम व्यक्ति का self Financing अन्तर्गत 100% आच्छादन हो।

(iii) जलसहिया जन प्रतिनिधि एवं भारत सरकार के कर्मी/संस्थान को self financed में प्राथमिकता से शामिल करें।

(iv) Self Construction को प्रोत्साहित किया जाय।

(v) VOs/ SHG को प्रोसाहित करें।

(vi) गुणवत्ता पूर्ण RCC roof को प्रोसाहित करें। गुमला /पाकुड़ गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें।

viii) प्रत्येक GP में 25 मेंशन सेट अवश्य कार्य करें।

ix) वेस लाइन सर्वे का सतत शुद्धि करणा कर मात्र योग्य की अनुदान दें।

x) गिरिडीह वेस लाइन update करने में Specific information Collect कर रहे हैं सभी जिले ऐसा करें। यथा सरकारी कर्मी की सं०/संविदा कर्मी/सेवानिवृत/ PDS /डीलर/चार चक्का वाहन/ट्रैक्टर/ट्रक /बस मालिक / सक्षम कृषक /प्राइवेट नौकरी करने वाले, इत्यादि।

आगामी समीक्षा बैठक इन्हीं बिन्दुओं के आधार पर की जाएगी उपायुक्त उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

अनु0 यथोपरि।

24/10/16
सरकार के प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्या: Video Conference-180/10(P-II)-1162/SBM(G) दिनांक : 24-10-16
प्रतिलिपि : Unicef/GSF/Water Aid/WSP/ Tata Trust/ UNDP/ Pradan को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 यथोपरि।

24/10/16
सरकार के प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्या: Video Conference-180/10(P-II)-1162/SBM(G) दिनांक : 24-10-16
प्रतिलिपि : सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड/सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड/सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन प्रकल्प, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 यथोपरि।

24/10/16
सरकार के प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्या: Video Conference-180/10(P-II)- 1162 /SBM(G) दिनांक : 24-10-16
प्रतिलिपि : मनरेगा आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0 यथोपरि।

24/10/16
सरकार के प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत जिलों से समीक्षा हेतु 'चेक स्लीप'

जिला का नाम :......................

क्र०सं०	समीक्षा बिन्दु	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	अभियुक्ति
1.	जिला स्तर पर मानव बल				
	प्रखण्ड स्तर पर मानव बल				
	पंचायत स्वच्छता हेतु मानव बल				
2.	i) ODF हेतु चयनित प्रखण्ड की सं०				
	ii) GP "				
	iii) RV "				
3.	i) ODF हेतु चयनित प्रखण्ड में eligible IHHL as BLS 2012				
	ii) After verification eligible /suitable IHHL की सं०				
	iii) Non eligible House hold without Toilet as BLS 2012				
	• जलसहिया				
	• PRI सदस्य				
	• प्राईवेट कंपनी कर्मी इत्यादि।				
	• Rich कृषक / पक्का घर मालिक / ट्रैक्टर / कार मालिक				
	iv) Govt. servant / संविदा / सेवानिवृत without Toilet as BLS 2012				
	• राज्य (संख्या)				
	• केन्द्र (संख्या)				
	• केन्दीय उपक्रम (संख्या)				
	v) PDS Dealer (संख्या)				
4.	मैशन की आवश्यकता 25 / per G.P. • संख्या				
5.	ग्राम स्तर तक पर क्रियान्वयन एजेंसी का चयन				
	• VWSC				
	• VOs				
	• SHG				

6.	क्षतिग्रस्त शौचालयों पर रणनीति (Rs. 10,000/ (अधिकतम) ODF प्रस्तावित क्षेत्र				
	• IHHL सं॰				
	• राशि की आवश्यकता				
	• राशि उपलब्धता				
	• प्रस्तावित GP under DMFT की सं॰				
	• GP सं॰ MNREGA				
	• GP सं॰ 14th FC				
	• GP सं॰ MLA				
	• GP सं॰ State fund				
	• आवश्यक राशि				
7.	कन्ट्रोल रूम की स्थापना				
	• फोन नं॰				
	• कार्यरत कर्मी की सं॰				
	• प्रभारी पदा॰ का नाम/ पदनाम				
	• प्रखण्ड का वाटस ग्रुप की सं॰				
8.	सामग्री की व्यवस्था की स्थिति				
	• सीमेन्ट				
	• बालू				
	• ईट				
	• शौचालय पिट कवर				
	• छत				
9.	ODF GP की स्थिति का चयनित				
	2014 - 15				
	2015 - 16				
10.	ग्रामीण स्वच्छता सूचकांक की Online की स्थिति				

दिनांक 18.11.2016 को सम्पन्न स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन।

उपस्थिति : यथा पंजी।

दिनांक 18.11.2016 को धुर्वा स्थित NIC में आयोजित Video Conferencing में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा विभागीय प्रधान सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। जिसमें धनबाद / देवघर / बोकारो / गिरिडीह / सिमडेगा / जमशेदपुर / चाईबासा / लातेहार / दुमका जिलों के कार्यपालक अभियंता तथा नोडल पदाधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उपस्थित थे।

Video Conferencing में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए निदेश दिया गया :–

1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से सम्बंधित वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला / प्रमंडलवार शौचालय निर्माण की गति की समीक्षा की गई जिसमें प्रायः सभी जिलों में शौचालय निर्माण की प्रगति को असंतोषजनक पाया गया तथा सिमडेगा, लातेहार के पास कोई कार्य योजना ही नहीं है। प्रधान सचिव द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई । सभी जिलों / प्रमंडलों को शौचालय निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी कार्ययोजना को पुनरीक्षित कर प्रत्येक माह कम से कम 3,500 शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित कराने के लक्ष्य दिये गये। साथ ही साथ प्रतिदिन के सूचित लक्ष्य हेतु भी कार्य योजना तैयार कर, कार्यान्वयन किया जाय। प्रत्येक माह ODF community यथा GP/Village बनाया जाय। जन सहभागिता सुनिश्चित हो।

   (अनु0 उपस्थित सभी कार्यपालक अभियंता एवं नोडल पदाधिकारी)

2. IMIS में Baseline को ठीक करने के लिए जो Duplicate Entry को हटाने की भी समीक्षा की गई तथा सभी जिलों द्वारा हटाई गई Duplicate Entry को भी बोकारो छोड़कर असंतोषजनक पाया गया तथा इसे यथा शीघ्र ठीक करने के निदेश दिये गये। सभी एक बार Electoral Roll में जिस तरह deletion होता है। NIC से समन्वय कर प्रक्रिया देखकर करें। पूर्णतः संतुष्ट हो ताकि GOI द्वारा आपत्ति का मौका न मिले।

Particulars	No. deleted during de-duplication exercise
Bokaro	18831
Dumka	1998
Giridih 1	3524
Giridih 2	929
Khunti	3216
Latehar	16
Lohardaga	1259
Pakur	4221
Chaibasa	3983
Ramgarh	850
Ranchi West	4475
Simdega	573
TOTAL	**43875**

(अनु0 उपस्थित सभी कार्यपालक अभियंता एवं नोडल पदाधिकारी)

3. DPMU तथा BPMU की चयन प्रक्रिया की समीक्षा की गई तथा सभी उपस्थित कार्यपालक अभियंताओं को चयन प्रक्रिया दिनांक 30 नवम्बर 2016 तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। इस लापरवाही हेतु स्पष्टीकरण पूछा जाय। यह पूर्णतः अनुचित है। निदेशक, SBM(G) इसे expedite कराये।

(अनु0 निदेशक, SBM(G) / उपस्थित सभी कार्यपालक अभियंता एवं नोडल पदाधिकारी)

4. धनबाद–1 (i) DMFT Fund का उपयोग करते हुए 3500 शौचालय निर्माण प्रतिमाह प्रति प्रमंडल करने के निर्देश दिये गये।

(ii) गोबिन्दपुर प्रखण्ड में पुनः सर्वेक्षण कर बेसलाईन डाटा को ठीक करते हुए, ODF किया जाय। शौचालयमुक्त हाऊस का Self financed में Entry की जाय।

(iii) मुख्य सचिव द्वारा दिये गये प्रतिदिन के लक्ष्य को पूर्ण किया जाय।

(iv) धनबाद–II का अनुकरण करे तथा सीखे।

(iv) कनीय अभियंता / सहायक अभियंता / VWSCs को idea एवं learning exchange हेतु धनबाद–2 में भेजे।

5. दुमका–1 प्रमंडल में निम्न कार्य में प्रगति ठीक नहीं है –

(i) कार्यपालक अभियंता को DPM – JSLPS के साथ आवश्यक समन्वय कर शौचालय निर्माण की गति को तेज करने के निदेश दिये गये।

(ii) फोटो अपलोड की स्थिति राज्य में सबसे खराब है, इस पर असंतोष व्यक्त किया गया।

(iii) 15 दिन में स्थिति सुधारें।

(iv) प्रखण्ड ODF True Sense में किया जाय।

(v) ग्राम पंचायत - ODF की संख्या बढ़ाये तथा declared ODF करें।

(अनु0 उपस्थित कार्यपालक अभियंता दुमका–1)

6. (i) बोकारो प्रमंडल के नोडल पदाधिकारी द्वारा यह कहा गया कि उन्होंने रणनीति बनाकर प्रत्येक ग्रामपंचायत में 25–25 राजमिस्त्रीयों का दल बनाकर लगभग 500 शौचालय प्रतिदिन निर्माण का लक्ष्य बनाया है।

(ii) बोकारो के दोनों प्रमंडलों को शौचालय निर्माण के कार्यो में गति लाने के निर्देश दिये गये।

(iii) प्रधान सचिव द्वारा निदेशित किया गया कि DMFT से प्राप्त 150 करोड़ की राशि का अधिकतम उपयोग स्वच्छ भारत मिशन के कार्यो के लिए किया जाय।

(iv) सचिव, उद्योग एवं खान द्वारा 23.10.16 को DCs को दिए निर्देश का पालन किया जाय।

(v) बोकारो के प्रयास के समानुपातिक result नहीं है।

(vi) मुख्य सचिव द्वारा निर्धारित प्रतिदिन के लक्ष्य को प्राप्त करें।

7. (i) गिरिडीह–1 को भी उनके लक्ष्यों के अनुरूप अपने कार्य की गति को बढ़ाना आवश्यक है।

(ii) गिरिडीह जिला को स्वतः शौचालय निर्माण को प्रमुखतः से कार्यान्वित करने के निर्देश दिये गये।

(iii) गिरिडीह–1 में beneficiary से निर्माण पर रोक सम्बन्धित पत्र Mail करने का निर्देश दिया गया।

(निदेशक / उपायुक्त, गिरिडीह समीक्षा करें)

8. (i) आदित्यपुर प्रमंडल को DMFT राशि का उपयोग करते हुए लगभग छः हजार Slip Back शौचालयों के निर्माण को यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये गये।

(ii) True ODF किया जाय।

(iii) ODF Verification पर विशेष ध्यान दें।

(iv) मुख्य सचिव के निर्देशों का पालन करें।

(v) उपायुक्त के साथ विमर्श कर प्रशिक्षण एवं अध्ययन भ्रमण राज्य के अन्दर एवं बाहर का पदाधिकारी/कर्मचारी/VOs/VWSC/SHG का चयन कर इसे मूर्तरूप दें।

9. IHHL निर्माण की प्रगति –

As on 18-11-2016

Sr. No.	District Name	Divison Name	Minimum Target FY 2016-17	Physical Progress Online as on 18-11-2016	Physical Achievement in percentage (%)
1	BOKARO	TENUGHAT	40703	7031	17.27
2	DEOGHAR	MADHUPUR	25200	5810	23.06
3	DHANBAD	DHANBAD-1	54367	4752	8.74
4	DUMKA	DUMKA-I	11642	5784	49.68
5	GIRIDIH	GIRIDIH-I	46441	7487	16.12
6	LATEHAR	LATEHAR	20634	4583	22.21
7	PASCHIM SINGHBHUM	CHAKRADHARPUR	19743	2665	13.50
8	PURBI SINGHBHUM	ADITIYAPUR	20000	5905	29.53
9	SIMDEGA	SIMDEGA	24362	5234	21.48
Total :-			263092	49251	18.72

उक्त से सम्बन्धित जिला स्वतः मूल्यांकन 7 माह बीतने के बाद करें। दुमका–1 कम लक्ष्य के कारण उपलब्धि प्रतिशत अधिक है वास्तविक में काफी कम है।

10. सिमडेगा/लातेहार/चक्रधरपुर की स्थिति दयनीय है। प्रपत्र 'क' गठित कर उपसचिव (आरोप) को भेजे ताकि प्रभावी कार्रवाई की जाय।

11. अभियंता प्रमुख का ध्यान कनीय अभियंता के पदस्थापन पर आकृष्ट किया जाय। कनीय अभियंता के Transfer की विसंगतियाँ दूर हो। कई कार्यपालक अभियंता ने कनीय अभियंताओं की कमी पर प्रश्न उठाया है।

12. कार्यपालक अभियंता सिमडेगा ने अपने खराब Performance के लिए कनीय अभियंता की कमी बताया जबकि 3 कनीय अभियंता/2 सहायक अभियंता है एवं मात्र 3 प्रखण्ड ODF Targeted है। कनीय अभियंता/सहायक अभियंता में से एक को सहायक प्रखण्ड स्वच्छता पदाधिकारी बनाना है। यह कार्य कार्यपालक अभियंता को ही करना है। इस तरह कार्यपालक अभियंता पूर्णतः अक्षम है।

13. लातेहार के पास कोई प्रभावी कार्य योजना नहीं थी, multiplicity of implementing agencies यथा आँगनबाड़ी सेविका, VWSC, SHG, VOs है। कार्यपालक अभियंता का कोई Control एवं Monitoring System नहीं है। इनका उतर पूर्णतः असन्तोषजनक है।

14. अधोहस्ताक्षरी के स्तर से उपायुक्त सिमडेगा/लातेहार का ध्यान आकृष्ट किया जाय कि उनके जिले की प्रगति काफी खराब है। व्यक्तिगत रूचि एवं विशेष ध्यान दें।

15. गोड्डा/गुमला/चक्रधरपुर से वार्त्ता नहीं की गई है।

16. मधुपुर की कार्य योजना प्रभावी प्रतीत हो रही थी 15 दिसम्बर तक execution कर 5000 IHHL का लक्ष्य 15 नवम्बर से 15 दिसम्बर में प्राप्त करें। 8340 की Entry शीघ्र करने की सूचना दी गई।

17. VOs का पूर्ण इस्तेमाल प्रारम्भ नहीं किया गया है।

25/11/16

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :Video Conference – 180/10 (Part-II) - 1258 /SBM(G) दिनांक : 28-11-16

प्रतिलिपि : उपस्थित सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन प्रकल्प, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक : Video Conference – 180/10 (Part-II) - 1258 /SBM(G) दिनांक : 28-11-16

प्रतिलिपि : निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/11/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

दिनांक 22.11.2016 को सम्पन्न स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की Video Conferencing की कार्यवाही प्रतिवेदन।

दिनांक 22.11.2016 को नेपाल हाऊस स्थित NIC में आयोजित Video Conferencing में JSLPS के ग्राम संगठनों/स्वयं सहायता समूहों के द्वारा IHHL निर्माण तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। जिसमें निम्न पदाधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :–

1. **अमरेन्द्र प्रताप सिंह, I.A.S**
   प्रधान सचिव
   पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची।
2. **श्री परितोष उपाध्याय, I.F.S**
   मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
   Jharkhand State Livelihood Promotion Society,
   ग्रामीण विकास विभाग
   झारखण्ड सरकार।
3. **दिनेश कुमार सिंह**
   संयुक्त सचिव–सह–संयुक्त निदेशक
   स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0)
   पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड।
4. **श्री विष्णु परिदा**
   Chief Operating Officer
   Jharkhand State Livelihood Promotion Society,
   ग्रामीण विकास विभाग
   झारखण्ड सरकार।

जिसमें निम्न जिलें दुमका/गिरिडीह/गोड्डा/गुमला/खूँटी/लातेहार/लोहरदगा/पाकुड़/पलामू/पश्चिम सिंहभूम/राँची/सिमडेगा/बोकारो/रामगढ़ जिलों के कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, DPM JSLPS तथा नोडल पदाधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उपस्थित थे।

Video Conferencing में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए निदेश दिया गया :–

1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ग्राम संगठनों / SHGs के माध्यम से जो शौचालय निर्माण किये जा रहे है वह काफी कम है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा यह सूचित किया जा चुका है कि शौचालय निर्माण के कार्यों में ग्राम संगठनों को प्राथमिकता दी जानी है किन्तु बहुत से जिलों में अभी भी ग्राम संगठनों को शौचालय निर्माण के लिए काफी कम राशि उपलब्ध करायी जा रही है। SHGs को जारी किये जाने वाली राशि की उच्चतम सीमा 1 लाख रुपये है जबकि VOs को VWSCs के समतुल्य दर्जा प्राप्त है। VOs कई SHG का समूह है, राज्य मुख्यालय से CEO-DPM ने कम से कम 100 शौचालयों के लिए राशि की आवश्यकता स्पष्ट किया। इस विषय पर प्रधान सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा सभी उपस्थित जिलों को निर्देशित किया गया कि :–

   (i) सभी सक्रिय ग्राम संगठनों को प्राथमिकता के आधार पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन अवश्य में जोड़ा जाय। मुख्य सचिव के Video Conferencing के निर्देशो का प्रभावी अनुपालन किया जाय।

   (ii) सभी ग्राम संगठनों को 100 शौचालय निर्माण के लिए राशि कार्यपालक अभियंता द्वारा एक बार में DPM की अनुशंसा पर जारी की जा सकती है। VO से शौचालय निर्माण के फण्ड का Review तथा Allocation का निर्णय जिला स्तरीय (DWSCs) सप्ताहिक समीक्षा की बैठकों में लिया जाय।

   (iii) ऐसे जिला जहाँ DMFT फण्ड से शौचालय निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, वहाँ भी जिन ग्राम पंचायतों में VO उपलब्ध है, उन ग्राम पंचायतों में VOs के माध्यम से शौचालय निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता दी जाय। इसे अवश्य जोड़ा जाय।

   (iv) MGNREGA से जो शौचालय निर्माण किये जाने है तथा Slip Back को address किया जाना है उन स्थानों पर भी VOs को शौचालय निर्माण के कार्य में लगाया जाना है।

   (v) ऐसी ग्राम पंचायतें जो ODF हो चुकी है। उन्हें True Sense ODF बनाने के लिए VOs के माध्यम से मनरेगा / 14th / FC /MLA Fund/DMFT etc. से address किये जाने वाले Slip Back को भी VOs के माध्यम से कार्य कराया जाय।

(vi) जहाँ पूर्व में VWSC कार्यरत है, वहाँ Target के अनुरूप VOs को भी शौचालय निर्माण के लिए अवश्य सम्बद्ध किया जाय। इस संबंध में समन्वय से सम्बंधित आवश्यक मुद्दों को जिला स्तरीय (DWSC) सप्ताहिक समीक्षा की बैठकों में लिया जाय। VWSC & VOs / SHG एक दूसरे के पूरक (Complementary) है, न कि विरोधी।

(अनु0 DC/DWSC/EE/DPM)

(vii) ऐसी ग्राम पंचायत जो ODF है, उसे Declared ODF का कार्य पूर्ण किया जाय।

(viii) Post ODF में VOs / SHG / स्वच्छता दूत / VWSC का role काफी बढ़ जाता है जो सतत् Monitoring कर, ग्राम सभा एवं Motivation से sustain करें।

(ix) Declared ODF में SLWM/Water Security Plan/ village Sanitation index पर प्राथमिकता से कार्य किया जाय।

(x) Declared ODF में VWSCs/VOs/SHG अन्य स्कीम Food Security, उज्जवला, Water source testing, अन्य Govt. Schemes की benefit सुनिश्चित हो।

2. यह पाया गया कि दुमका, गिरिडीह, गुमला, लातेहार, सिमडेगा, पाकुड़, पलामू, पश्चिम सिंहभूम, राँची, बोकारो तथा रामगढ़ जिलों में VOs को शौचालय निर्माण के लिए कम राशि दी गई है तथा सभी VOs को अब तक कार्य आवंटित नहीं किया गया है। प्रधान सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा सभी को निर्देशित किया गया कि सभी VOs से डिमांड लेकर एक बार में राशि जारी की जाय। सभी को engage करें / DPM सुनिश्चित करें।

(i) गिरिडीह जिलें को निदेशित किया गया कि डुमरी तथा बैंगाबाद प्रखण्ड के क्रमशः 45 तथा 56 VOs शौचालय निर्माण के कार्यों से यथाशीघ्र जोड़ा जाय। कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, VOs द्वारा दी गई डिमांड को sbmg.jhar@gmail.com पर भेंजे। सभी VOs को नहीं जोड़ना लापरवाही है।

(ii) दुमका जिलें के काठीकुण्ड प्रखण्ड के सभी 51 VOs का खाता तथा डिमांड लेकर DPM JSLPS यथा शीघ्र कार्यपालक अभियंता को दे। कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, शिकारीपाड़ा प्रखण्ड से संबंधित VOs द्वारा दी गई डिमांड को sbmg.jhar@gmail.com पर भेंजे।

(iii) गोड्डा जिलें के कार्यपालक अभियंता को यह निदेशित किया गया कि DMFT से जो राशि मांगी गई है उससे संबंधित पत्र प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड के कार्यालय को भेंजे ताकि ससमय उन्हें राशि उपलब्धता के बारे में सचिव उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग से समन्वय किया जा सके। पोरैयाहाट तथा पत्थरगामा प्रखण्ड से क्रमशः लगभग 39000 तथा 20000 IHHL के निर्माण को DMFT फण्ड से किया जाना है। इन कार्यों में भी सभी 113 VOs को जोड़ा जाना है। कार्य काफी धीमा है।

(iv) गुमला जिलें के कार्यपालक अभियंता तथा DPM JSLPS को यह निदेशित किया गया कि जिलें के सभी VOs को प्रशिक्षित किया जाय। मनरेगा से address किये जाने वाले Slip Back Cases तथा मनरेगा से Sanctioned सभी शौचालय के निर्माण कार्य को VOs के माध्यम से कराया जाय।

(v) खूँटी जिलें में कार्य काफी धीमा है। प्रधान सचिव द्वारा यह निदेशित किया गया कि JSLPS के सभी VOs को जिलें के सभी प्रखण्डों में SBM(G) के कार्यों से जोड़ा जाय। तोरपा में 74, रनिया में 18, मुरहू में 24, जूरी में 8 VOs है। सभी कार्य कर रहे है। पूर्णतः कार्य में शामिल किया जाय।

(vi) लातेहार जिलें के कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि VOs को शौचालय निर्माण के कार्यों के लिए राशि मुहैया कराने में विलम्ब ना किया जाय तथा एक बार में 100 शौचालयों की राशि प्रत्येक VOs को दी जाय। काफी शिथिलता बरती जा रही है।

(vii) लोहरदगा जिलें के कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि सभी प्रखण्ड में उपलब्ध VOs को लक्ष्य के अनुरूप राशि दी जाय। अभी काफी कम VOs engage है, जबकि 94 VOs कार्यरत है।

(viii) पाकुड़ जिलें के कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि महेशपुर, लिट्टीपाड़ा एवं पाकुड़िया के सभी VOs को 3 दिनों के भीतर स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों से जोड़ा जाय। समन्वय संबंधी सभी मुद्दों को जिला स्तरीय सप्ताहिक समीक्षा की बैठकों में लिया जाय। यहाँ लगभग 64 VOs लिट्टीपाड़ा में है एवं पकुड़िया में 82 है। महेशपुर में 114 है जिसे MGNREGA इत्यादि से जोड़ा जाय।

(ix) पलामू जिलें के कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि हाल ही में ODF हुए पड़वा प्रखण्ड में VOs को पड़वा प्रखण्ड को True Sense ODF में परिवर्तित करने के कार्यों से जोड़ा जाय तथा सभी मनरेगा से Sanctioned शौचालयों का निर्माण VOs के माध्यम से करवाया जाय। छत्तरपुर में 72, मेदनीनगर 127 तथा सतबरवा में 35 VOs है। मेदिनीनगर को SBM में 2016–17 में जोड़ने से अनुरोध पर इसे स्वीकृत दी गई।

(x) पश्चिम सिंहभूम जिलें के कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि Fund Release की प्रक्रिया में BDO की भूमिका को मुख्य सचिव महोदया से प्राप्त निर्देशों के अनुसार अब समाप्त किया जा चुका है। अतः DWSCs / कार्यपालक अभियंता सीधे VOs/VWSC/SHG को राशि जारी करने के लिए अधिकृत है। अनावश्यक Stage बढ़ा कर विलम्ब न हो। सीधे DWSC A/c से implementing agencies के A/c में RIGS/NEFT करें। सर्वाधिक Slip Back के Cases इस जिलें में व्याप्त है। ऐसे सभी Cases को address करने के लिए DMFT तथा MGNREGA Fund का उपयोग किया जाय एवं VOs को इस कार्य से यथाशीघ्र जोड़ा जाय। True sense ODF सदर/तातनगर को प्राप्त किया जाय।

(xi) सिमडेगा जिलें के कार्यपालक अभियंता तथा DPM JSLPS को निदेशित किया गया कि सिमडेगा जिलें के लिए ठेठईटांगर एवं कोलेबिरा प्रखण्ड का प्लान 7 दिनों के भीतर बनाकर VOs के माध्यम से कार्य शुरू किया जाय। मनरेगा से Sanctioned शौचालय निर्माण के कार्यो में VOs को आवश्यक रूप से जोड़ा जाय।

(xii) बोकारो जिलें के कार्यपालक अभियंता तथा नोडल ऑफिसर SBM(G) को निदेशित किया गया कि चंदनकियारी तथा कसमार प्रखण्ड के क्रमशः 12 एवं 47 सभी VOs को शौचालय निर्माण एवं इस्तेमाल के कार्यों में जोड़ा जाय। प्रधान सचिव स्वयं अगले 15 दिनों के भीतर बोकारो भ्रमण के दौरान इसकी समीक्षा करेंगे।

(xiii) रामगढ़ जिलें के कार्यपालक अभियंता तथा नोडल ऑफिसर SBM(G) को निदेशित किया गया कि गोला प्रखण्ड में सभी VOs को स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों में लगाया जाय। रामगढ़ जिलें के द्वारा DMFT Fund का उपयोग स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों के लिए किया जाना है। रामगढ़ जिलें के

पदाधिकारियों का एक दल Learning exchange के लिए धनबाद जाकर शौचालय निर्माण की गति को बढ़ाने का अवलोकन करें। प्रधान सचिव द्वारा अगले सप्ताह रामगढ़ जिलें के भ्रमण के दौरान इन सभी मुद्दों की समीक्षा की जायेगी।

(अनु0 उपायुक्त / DWSCs/कार्यपालक अभियंता, DWSD / DPM)

3. विशेष सचिव–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, CEO-JSLPS एवं COO सतत् monitoring कर issues को address कराये तथा कतिपय DPM द्वारा कार्य की शिथिलता हेतु स्पष्टीकरण पूछकर कारवाई करें एवं CS के निर्देशों के अनुपालन कराये। DPM लातेहार एवं पाकुड़ इत्यादि ने सभी map कर अधियाचना भी नहीं भेजा है।

4. DPM सभी मुख्य सचिव तथा विभागीय Video Conferencing में भी भाग ले तथा 2.0 लाख व्यक्तिगत शौचालय 2016–17 में पूर्ण करने की कार्य योजना DWSC के साथ तैयार कर दें। मुख्य सचिव के निर्देशों का पालन हो।

5. कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, DPM JSLPS तथा नोडल पदाधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के साथ अगली समीक्षात्मक Video Conferencing दिनांक 03.12.2016 को आयोजित की जायेगी, जिसका एजेण्डा एवं समय पृथक से सूचित किया जायेगा।

(अनु0 सभी कार्यपालक अभियंता / DPM-JSLPS)

Ap 25/11/16

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक : SHG Federation –96/2016 - 1259 /SBM(G) दिनांक : 29-11-16

प्रतिलिपि : उपस्थित सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन प्रकल्प, झारखण्ड / DPM-JSLPS को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ap 29/11/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक : SHG Federation –96/2016 - 1259 /SBM(G) दिनांक : 28-11-16.
प्रतिलिपि : उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, दुमका/गिरिडीह/गोड्डा/गुमला/खूँटी/लातेहार/लोहरदगा/पाकुड़/पलामू/पश्चिम सिंहभूम/राँची/सिमडेगा/बोकारो/रामगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक : SHG Federation –96/2016 - 1259 /SBM(G) दिनांक : 28-11-16
प्रतिलिपि : श्री परितोष उपाध्याय, CEO, JSLPS, / श्री विष्णु परिदा, Chief Operating Officer, JSLPS झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक : SHG Federation –96/2016 - 1259 /SBM(G) दिनांक : 28-11-16
प्रतिलिपि : निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

Video Confrencing with EE, DW&SD , DPM JSLPS & District Nodal officers on 22/11/2016

Sl. No.	District	Total VO in District	Total no of VO in Block	Number of VOs / members Trained on SBM-G	Status of VOs in implementation at panchayat level	No. of VOs received Fund (Panchayat wise)	Constructio of Tolets by VOs (Panchayat wise)	Recommendation & Remarks by PS, DWSD
1	Dumka	51	Kathikund -51	11	Prepared list for IIHL & sent to Dept.	account no. from VO not received	3 GP identified	i) All VO must be engaged on priority basis . ii) One time fund for 100 IHHL construction to be provided to VO and upper limit for SHG is Rs. One lakh iii) Information relted to Shikaripada must be mail to sbmg.jhar @gmail.com iv) All GP where VOs exist must be engaged. v) DPM must take proactive role.
2	Giridih	101	Bengabad- 56 Dumri -45	24	113 toilets constructed & 136 under process	21,60,000/- (by 18 VOs)	113 toilets constructed & 136 under process	i) All VO must be engaged on priority basis in Dumri & bengabad Block . ii) Information relted to demand created by VO must be mail to sbmg.jhar @gmail.com iii) All GP where VOs exist must be engaged. iv) DPM must take proactive role.
3	Godda	113	Poraiyahat -65 Patthargama-48	113	Construction is on progress of 28 Toilet	336000	28	i) EE will send Information related to request from DMFT to sbmg.jhar@gmail.com so we can follow with Secretary Industries & Mines . ii) 39000 IHHL in Poraiyahat & 20000 IHHL in Patthargama must be addressed from DMFT fund and construction will be done through VO's . iii) Areas under DMFT must be identified and acted promptly

जिसमें निम्न जिलें हमका (...

Sl. No.	District	Total VO in District	Total no of VO in Block	Number of VOs / members Trained on SBM-G	Status of VOs in implementation at panchayat level	No. of VOs received Fund (Panchayat wise)	Constructio of Tolets by VOs (Panchayat wise)	Recommendation & Remarks by PS, DWSD
4	Gumla	250	Raidih -29 Palkot -45 Ghagra-50 Gumla 60	22	Construction is on progress of 224 Toilets and 89 toilets completed	7 VOs (35 lakhs)	Construction is on progress of 224 Toilets and 89 toilets completed	i) Capacity building of all VO's must be ensured. ii) All VO's should engaged in toilet construction through MGNREGA iii) District needs to be improve quality of IHHL iv) Minimum 5000 toilet will be sanctioned through MGNREGA, it may go upto10,000, so before June 2017 all must be completed.
5	Khunti	124	Torpa -74 Rania-18 Murhu -24 Khunti- 8	84		10,56,000/- to 11 VOs	Construction is in progress 420 toilets in 11 VOs	i) All VO must be engaged on priority basis in all blocks of Khunti District
6	Latehar	145	Latehar Sadar -60 Mahuwatand- 11 Barwadih -30 Manika -11	60		10 VOs submitted requisition for fund but not yet recd.	Toilet constructed -8	i) Fund flow to VO not to be delayed. Fund allocation must be discussed in Wekly review and release accordingly without creating any hinderances. ii) Funds to VO's must be released for at leats 100 toilet per VO at a time. iii) DPM, JSLPM & EE, DW&SD must interact more proactively.
7	Lohardagga	95	Senha- 32 Kudu -22 Kisko -35 Bhandra 06	190	293 Toilets completed	13,32,000	480 Toilets is on work in progress	i) Make full and best use of Vos.

Sl. No.	District	Total VO in District	Total no of VO in Block	Number of VOs / members Trained on SBM-G	Status of VOs in implementation at panchayat level	No. of VOs received Fund (Panchayat wise)	Constructio of Tolets by VOs (Panchayat wise)	Recommendation & Remarks by PS, DWSD
8	Pakur	309	Maheshpur -114 Littipara-64 Pakudiya -82	192	59 toilets is on work in progress by 10 VOs	10 lakhs (10 VOs)	59 toilets is on work in progress by 10 VOs	i) All VOs, must be engaged on within three days on priority basis and coordination amongst VWSO and VO should be ensured ii) Quality of IHHL must be ensured as complaints regarding quality issues are coming from Pakur. iii) Role of VO should be shifted in GP's which are near to saturation.
9	PALAMAU	127	Satbarwa -22 Chatarpur -72 Medni Nagar -20	67	22 VOs submitted fund requesition	0		i) Engage VO's to convert recently declared ODF Block Padwa in true sense ODF Block . ii) VO's must be engage in IHHL construction through MGNREGA iii) VOs must be engaged in post ODF sustainability activites.
10	West Singhbhum	239	Tant Nagar -97 Khutpani -11 Manoharpur -96 Chakradhapur 35	154	254 toilets is on work in progress and Requisition of Fund submitted by 35 VOs	22,28,000 by 13 VOs	Completed toilets - 100	i) As per instruction from Chief Secretary madam now there is no role of BDO in process of fund release to VO's & VWSC/implementing agency so this must be ensured . ii) Release funds to all VO's on priority basis and review fund release on weekly review meeting at District level. iii) As district has highest number of Slip back cases. it has been suggested to utilize DMFT fund and MGNREGA funds for adressing slip back cases through V.O's. etc.

जिसमें निम्न जिले दुमका / गिरिडीह / गोड्डा / गुमला / खूँटी / लातेहार / लोहरदगा /

Sl. No.	District	Total VO in District	Total no of VO in Block	Number of VOs / members Trained on SBM-G	Status of VOs in implementation at panchayat level	No. of VOs received Fund (Panchayat wise)	Constructio of Tolets by VOs (Panchayat wise)	Recommendation & Remarks by PS, DWSD
11	Ranchi	311	Angada-93 Ormanjhi -10 Namkum -90 Bundu -55 Bedo -40	33	113 IHHL is on work in progress	15 Lakhs (7 VOs)	Completed IHHL - 15 and 113 IHHL is on work in progress	i) All VO must be engaged on priority basis . ii) One time fund for 100 IHHL construction to be provided to Vos as DPM requested.
12	Simdega	110	Bano -12 Kolibira -48 Thethardangar -30	90	1 VO has submited for fund request & Fund recd. By 1 VO	1 lakh	Construction is in progress	i) It has been suggested to Simdega EE & DPM Simdega to prepare a plan to cover Thethertangar , Kolebira through VO's in 7 days . ii) Toilet sanctioned from MGNREGA will be constructed through VO's also.
13	Bokaro	59	Chandan Kyari -12 Karmatand-12	59	8 toilets completed & 30 Toilets is on Progress by 6 VOs	6 Lakhs	8 toilets completed & 30 Toilets is on Progress	i) One time fund for 100 IHHL construction to be provided to VO in Kasmar & Chandankyari Block .
14	Ramgarh	40	Gola -40	128	19 toilets have been completed & 25 toilets is in progress	13 VOs Submitted but not yet recd.	19 toilets have been completed & 25 toilets is in progress	i) It has been suggested that Ramgarh must utilized DMFT funds and in Gola Block all VO's will be provided funds from DMFT . ii) Team of officials from Ramgarh must visit to Dhanbad to observe how they are managing more than 300 toilet construction in one day . iii) Issues related to fund relocation must be reviewd in Weekly meetings and funds released to VO & implementing agency on priority basis . Principal Secretary will visit Ramgarh in next week for further review of implementation strategies .

Sl. No.	District	Total VO in District	Total no of VO in Block	Number of VOs / members Trained on SBM-G	Status of VOs in implementation at panchayat level	No. of VOs received Fund (Panchayat wise)	Constructio of Tolets by VOs (Panchayat wise)	Recommendation & Remarks by PS, DWSD
				1227		1.38 crore	1877 constructed & work in progress	

Office of the Director

Sawachh Bharat Mission (Gramin)

Drinking Water & Sanitation Department, Jharkhand

Doranda Bazar (Water Tower Compound, First Floor), Ranchi – 834002, Jharkhand,

Fax/Ph: 0651-2481593, Email: sbmg.jhar@gmial.com

Letter No. : SBM(G)/State Level Workshop-51/16-427, Dated: 22-04-16

From: **Rajesh Kumar Sharma,** ***I.A.S.***
Director
Swachh Bharat Mission (Gramin)
Drinking Water and Sanitation Department, Jharkhand

To,

All Deputy Commissioners,
Jharkhand

Subject: - Identification of natural leaders for training on triggering techniques to promote community approach under Swachh Bharat Mission(G) program.

Sir,

This is to bring to your knowledge that Drinking Water and Sanitation Department, GoJ has targeted to achieve 119 ODF blocks (Details attached in Annexure) of Jharkhand in this FY 2016-17 under SBM[G] program.

In order to achieve this target, DWSD has decided to build a pool of resource persons in each block who will directly engage with community at panchayat level and trigger them to ensure demand generation and use of IHHLs constructed with the support of INGOs. Initially it has been thought to select **10 natural leaders** from each **targeted ODF block** and build their capacity on triggering skills to accelerate our ongoing SBM work in the field. The selection of Natural leaders will be done by concerned Executive Engineers & partner INGOs working in the district. A five day residential training will be organized at district level in the month of May where all the cost of training will borne under HRD Component of SBM [G] program except resource person cost. The INGOs will facilitate resource person and borne the related expenditure for this training program.

It is hereby requested to start identification process (10 person/block) of the natural leaders and submit a list along with the training date, venue and full address of participants of the same to the undersigned by 30th April 2016. DWSCs are requested to extend full support in terms of making the program a success.

Yours Faithfully

21/4/16

(Rajesh Kumar Sharma)
Director, SBM

Memo No: SBM(G)/State Level Workshop-51/16-427, Date: 22-04-16

Copy to all Executive Engineers, DWSD for information and necessary action.

(RajeshKumarSharma)
Director, SBM

Memo No: S.B.M(G)/State Level Workshop-51/16-427, Date: 22-04-16

Copy to Kumar Premchand (WASH Specialist, UNICEF), Sumantro Mukherjee (WaterAId), Sanjeev Jha (GSF) and WSP for information and necessary action.

(Rajesh Kumar Sharma)
Director, SBM

Memo No: S.B.M(G)/State Level Workshop-51/16-427, Date: 22-04-16.

Copy to Principal Secretary, DWSD for information.

(Rajesh Kumar Sharma)
Director, SBM

LIST OF TARGETED ODF BLOCKS IN 2016-17

Sl.	District	Division	Targeted Block	Targeted Households
1	Bokaro	Chas	Bermo	12369
2	Bokaro	Chas	Chas	31323
3	Bokaro	Tenughat	Chandankiyari	22677
4	Bokaro	Tenughat	Peterwar	15038
5	Chatra	Chatra	Chatra	22793
6	Chatra	Chatra	Simaria	10018
7	Deoghar	Deoghar	Sonaraithadi	6583
8	Deoghar	Madhupur	Margomunda	4907
9	Dhanbad	Dhanbad - I	Govindpur	45006
10	Dhanbad	DHanbad - II	Baghmara	53925
11	Dhanbad	Dhanbad - II	Dhanbad Sadar	6462
12	Dhanbad	Dhanbad - II	Kaliyasol	19379
13	Dhanbad	DHanbad - II	Purbi Tundi	8739
14	Dumka	Dumka - I	Kathikund	3995
15	Dumka	Dumka - II	Jama	9427
16	Dumka	Dumka - II	Masaliya	9862
17	Garhwa	Garhwa	Bardiha	5970
18	Garhwa	Garhwa	Bishunpura	5039
19	Garhwa	Garhwa	Meral	21636
20	Giridih	Giridih - I	Bengabad	14802
21	Giridih	Giridih - I	Devri	16331
22	Giridih	Giridih - I	Dumri	18096
23	Giridih	Giridih - II	Bagodar	15761
24	Giridih	Giridih - II	Gawan	6893
25	Giridih	Giridih - II	Giridih	20998
26	Godda	Gooda	Mahagama	32823
27	Godda	Gooda	Poreyahat	37574
28	Godda	Gooda	Thakurgangati	13440
29	Gumla	Gumla	Albert Ekka (Jari)	3422
30	Gumla	Gumla	Bishunpur	10334
31	Gumla	Gumla	Sisai	14591
32	Hazaribagh	Hazaribagh	Barhi	8855
33	Hazaribagh	Hazaribagh	Barkagaon	16424
34	Hazaribagh	Hazaribagh	Barkatha	11460
35	Hazaribagh	Hazaribagh	Bishnugarh	17358
36	Hazaribagh	Hazaribagh	Chalkusha	4153
37	Hazaribagh	Hazaribagh	Chouparan	21423
38	Hazaribagh	Hazaribagh	Churchu	4618
39	Hazaribagh	Hazaribagh	Dadi	4284
40	Hazaribagh	Hazaribagh	Daru	4835

Sl.	District	Division	Targeted Block	Targeted Households
41	Hazaribagh	Hazaribagh	Ichak	13497
42	Hazaribagh	Hazaribagh	Katkamdag	2313
43	Hazaribagh	Hazaribagh	Katkamsandi	13718
44	Hazaribagh	Hazaribagh	Keredari	8590
45	Hazaribagh	Hazaribagh	Padma	6106
46	Hazaribagh	Hazaribagh	Sadar	6644
47	Hazaribagh	Hazaribagh	Tatijhariya	3841
48	Jamtara	Jamtara	Fatehpur	9048
49	Jamtara	Jamtara	Jamtara	15423
50	Jamtara	Jamtara	Karmatanr Vidyasaga	6889
51	Jamtara	Jamtara	Kundhit	11083
52	Jamtara	Jamtara	Nala	21104
53	Jamtara	Jamtara	Narayanpur	17381
54	Khunti	Khunti	Arki	14512
55	Khunti	Khunti	Karra	19640
56	Khunti	Khunti	Khunti	14007
57	Khunti	Khunti	Murhu	15020
58	Khunti	Khunti	Rania	6097
59	Khunti	Khunti	Torpa	8317
60	Koderma	Koderma	Chandwara	10292
61	Koderma	Koderma	Domchanch	12500
62	Koderma	Koderma	Jainagar	13999
63	Koderma	Koderma	Koderma	8643
64	Koderma	Koderma	Markacho	8795
65	Koderma	Koderma	Satgawan	13519
66	Latehar	Latehar	Latehar	10100
67	Latehar	Latehar	Mahuadanr	10534
68	Lohardaga	Lohardaga	Bhandra	5477
69	Lohardaga	Lohardaga	Kairo	2019
70	Lohardaga	Lohardaga	Kisko	7840
71	Lohardaga	Lohardaga	Kuru	13081
72	Lohardaga	Lohardaga	Lohardaga	10306
73	Lohardaga	Lohardaga	Pesrar	7829
74	Lohardaga	Lohardaga	Senha	10916
75	Pakur	Pakur	Littipara	14738
76	Pakur	Pakur	Pakuriya	13372
77	Palamu	Palamu	Manatu	18182
78	Palamu	Palamu	Nawa Bazar	8274
79	Palamu	Palamu	Parwa	4999
80	Palamu	Palamu	Pipra	4652
81	Palamu	Palamu	Satbarwa	9976

Sl.	District	Division	Targeted Block	Targeted Households
82	Paschimi Singhbhum	Chaibasa	Chaibasa	4118
83	Paschimi Singhbhum	Chaibasa	Noamundi	8426
84	Paschimi Singhbhum	Chaibasa	Tantnagar	4582
85	Paschimi Singhbhum	Chakradharpur	Anandpur	5242
86	Paschimi Singhbhum	Chakradharpur	Chakradharpur	10906
87	Paschimi Singhbhum	Chakradharpur	Sonua	6212
88	Purbi Singhbhum	Adityapur	Boram	3393
89	Purbi Singhbhum	Adityapur	Patamda	3501
90	Purbi Singhbhum	Adityapur	Potka	13183
91	Purbi Singhbhum	Jamshedpur	Bahragora	11842
92	Purbi Singhbhum	Jamshedpur	Jamshedpur	18080
93	Purbi Singhbhum	Jamshedpur	Musabani	3423
94	Ramgarh	Ramgarh	Chitarpur	6001
95	Ramgarh	Ramgarh	Dulmi	695
96	Ramgarh	Ramgarh	Gola	15984
97	Ramgarh	Ramgarh	Mandu	25519
98	Ramgarh	Ramgarh	Patratu	18050
99	Ramgarh	Ramgarh	Ramgarh	3349
100	Ranchi	Ranchi (East)	Angara	31743
101	Ranchi	Ranchi (East)	Ormanjhi	9336
102	Ranchi	Ranchi (West)	Itki	5060
103	Ranchi	Ranchi (West)	Khalari	6917
104	Ranchi	Ranchi (West)	Nagri	6580
105	Sahibganj	Sahibganj	Barhait	4165
106	Sahibganj	Sahibganj	Barharwa	7614
107	Sahibganj	Sahibganj	Borio	5242
108	Sahibganj	Sahibganj	Mandro	1832
109	Sahibganj	Sahibganj	Pathna	1098
110	Sahibganj	Sahibganj	Rajmahal	9254
111	Sahibganj	Sahibganj	Sahibganj	5273
112	Sahibganj	Sahibganj	Taljhari	4626
113	Sahibganj	Sahibganj	Udhwa	9486
114	Saraikela-Kharsawan	Saraikela	Chandil	22561
115	Saraikela-Kharsawan	Saraikela	Kharsawan	12645
116	Saraikela-Kharsawan	Saraikela	Saraikela	16155
117	Simdega	Simdega	Bano	16824
118	Simdega	Simdega	Bansjor	3449
119	Simdega	Simdega	Kersai	4089
TOTAL				1393351

Office of the Director
Swachh Bharat Mission (Gramin)
Drinking Water & Sanitation Department, Jharkhand, Ranchi
Doranda Bazar (Water Tower Compound, 1st Floor), Doranda, Ranchi-834002
Fax/Ph. No. 0651-2481593, Email: sbmg.jhar@gmail.com

Letter No: SBM(G)/State Level Workshop-51/16-494/SBM(G) Dated: 16.05-16

From: Dinesh Kumar Singh
Joint Secretary –cum- Joint Director, SBM (G)
Drinking Water & Sanitation Department,
Jharkhand, Ranchi

To,

Deputy Commissioner-cum- Chairman
DWSC, Jamtara and Sahibganj.

Subject: Regarding CLTS training for village level motivators

This is in continuation to the letter (Ref. SBM(G)/State Level Workshop-51/16-427, dated 22.04.16) in which it was proposed to have 5 days residential CLTS training for a batch of around 40 selected village level motivators for working in the ODF targeted blocks. WaterAid India is providing technical support through their CLTS resource team for organizing the training effectively in both the districts. Based on the availability of the resource team, we request you to organize this 5 days residential training in your respective districts as per the following dates:

- **Jamtara: 3rd to 7th June**
- **Sahibganj: 9th to 13th June**

In the above context we would request you to instruct the DWSM team to ensure appropriate arrangements for the training.

1. A list of materials required for the training is attached along with this letter as **Annexure 1**. Please ensure that these things are made available to the trainers.
2. Day 2 to 5 will be devoted field exercise on triggering exercise. DWSM in consultation with the INGOs and its partners should select 8 villages for the practical triggering exercises. Out of them 4 villages should be such that there are 60% or more toilet coverage and the other 4 villages should be such where the toilet construction work is just started or will start soon. It would be advisable to have homogeneous villages and not to select too far-off villages to save travel time during the training. Make sure that CLTS triggering exercises have not been done before in these 8 villages.
3. Please find a format of village profile as **Annexure 2** along with this letter for basic information about the villages. DWSM representatives (District Co-ordinators) must ensure that this format is filled for all the 8 villages (mentioned above) before the start of the training.

The DWSM team should work in collaboration with WaterAid and its partners for necessary logistical and training arrangements. This is to reiterate the fact that all logistical arrangements will be done by DWSM from the IEC funds of SBM(G) whereas the expenses on the resource persons (like their consultancy, boarding, lodging and outstation travel) will be taken care off by WaterAid India.

Yours faithfully,

16.5.16

(Dinesh Kumar Singh)
Joint Secretary-cum- Joint Director, SBM (G)
Drinking Water & Sanitation Department

Memo No. SBM(G) State Level Worksh-51/16-94/SBM(G) Date : 16-05-16.

Copy to : Sri Sumantro Mukherjee, Water Aid, Jharkhand / Executive Engineer-Cum-Member Secretary, District Water and Sanitation Mission, Jamtara and Sahibganj for kind information.

16.5.16

Joint Secretary-cum- Joint Director, SBM (G)
Drinking Water & Sanitation Department

Materials for CLTS training

Items	Quantity	Remarks
Banner	2	The title of the training needs to be mentioned in the banner.
Video camera, with all accessories, including enough batteries and the connecting cord direct from the camera to the multi-media or TV, and a set of speakers that are loud enough	1 set	Optional
Sound System for the training hall (with mixer arrangements)	1 set	5 days
LCD Projector, Big screen and multimedia (should be able to make Power Point presentation)	1 set	5 days
2 Cordless microphones + 1 Collar mike	3 set	
Standby generator for addressing power failures	1	
Flip chart paper	At least 100 sheets	
Flip chart stands	1	
Coloured chart paper/drawing sheet (White, Pink, Yellow and sky blue)	100	
Coloured chisel markers - Black, Blue, red, green (for writing on chart paper)	2 boxes of each type	
White board and/ or soft boards with pins	2	
White markers-Black and Blue	1 box of each type	
Sketch Pen	20 set	
Colour cards of post card size (white, yellow, green, pink, red)	200 of each type	
Writing Pad and Pen	As per the number of participants	
Folders		
Masking Tape/ Paper tape (that is often used by carpenters)	5 reels	
Stapler	2	
Paper Clips	5	
White board Clips	6	
Scissors	2	
Scale (2 feet)	1	
Register (50 Pages)	1	
Stapler pins	2 packets	
Gloves	5 pairs	
Coloured Powder/Rangoli (cheap quality yellow and white)	5-6 kg each colour	The powder should be arranged in 1 KG packs.

Items	Quantity	Remarks
H2S Vials (for testing of bacteriological contamination of water)	20	
Cotton / Jute Bags for carrying triggering material	5	
Khurpi/ Kanni	5	
Plastics Glass (Transparent)	20	
Soap (for Handwashing)	20	
Wall Clock	1	
Plastic Folders	10	
Candles	50	
Vehicle for Filed visit (@ 7 people in one vehicle)	For day 2 to 5	Arrange according to Participants and Facilitators
Certificate of participation in the workshop (signed by DC and ZP Adhyaksha)	As per the number of the participants	To be given only after the participant has worked on the field and achieved some result

Annexure 2
Village Profile Template

गाँव की रूपरेखा

जिला का नाम	विकासखंड का नाम	गाँव का नाम	विकासखंड से गाँव की दूरी	गाँव तक पहुंच मार्ग का रास्ता	
सरपंच का नाम	सरपंच का मोबाइल न.	सचिव का नाम	मोबाइल न.		
गाँव में कुल घर	गाँव की कुल जनसंख्या	महिला	पुरुष	बच्चे	
गाँव में घरो की स्थिति (अनुमानित संख्या लिखे)					
पक्का घर	कच्चा एवं पक्का घर	कच्चा घर	अन्य		
गाँव का जातिगत विवरण (यदि वास्तविक आकडे उपलब्ध न हो तो अनुमानित संख्या लिखे)					
सामान्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अल्पसंख्यक	
गाँव के लोगो का मुख्य व्यवसाय (अनुमानित संख्या लिखे)					
कृषि	मजदूरी	नौकरी	अन्य		
गाँव में सरकारी मैदानी कार्यकर्ताओं का विवरण					

आंगनबाड़ी का नाम	आशा का नाम	ए.एन.एम का नाम	रोजगार सहायक का नाम	अध्यापक का नाम	पी डी एस दुकान संचालक का नाम
गाँव में सरकारी भवन/संस्थान					
पंचायत भवन	विद्यालय (प्राथमिक जूनियर/हाई स्कूल) उल्लेख करें	आंगनबाड़ी भवन	उपकेन्द्र स्वास्थ्य	पोस्ट ऑफिस	अन्य
हाँ /नहीं		हाँ /नहीं	हाँ /नहीं	हाँ /नहीं	
गाँव में धार्मिक स्थल					
मंदिर	मस्जिद	गुरुद्वारा	चर्च	शिवालय	अन्य
हाँ /नहीं	हाँ /नहीं	हाँ /नहीं	हाँ /नहीं	हाँ /नहीं	
गाँव में शौचालय की उपलब्धता एवं उपयोग					
गाँव में शौचालय उपयोगकर्ता परिवार की संख्या	गाँव में निष्क्रिय शौचालय की संख्या	अर्ध निर्मित शौचालय की संख्या	गाँव के किस टोले में सर्वाधिक शौचालय निर्मित है	गाँव में ऐसे स्थान जहाँ लोग खुले में शौच जाते हैं (उल्लेख करें)	
गाँव में पानी के स्रोत का विवरण					
हैंडपंप	नल जल योजना	कुआं	तालाब	नदी	अन्य

हाँ / नही यदि हाँ तो कितने हैंडपंप	हाँ / नही	हाँ / नही	हाँ / नही	हाँ / नही	
गाँव में बैठक हेतु कोई खुला सार्वजनिक स्थान उपलब्ध है यदि हाँ तो उल्लेख करें.					
गाँव के लोगो के साथ बैठक करने का उपयुक्त समय का उल्लेख करें					

कार्यालय, निदेशक

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची

पत्र संख्या: SBM(G)/State Level Workshop-51/2016 – 1149 / SBM-G, दिनांक 17-10-16

प्रेषक **राजेश कुमार शर्मा,** भा०प्र०से०
निदेशक, SBM(G)
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति
झारखण्ड।

विषय: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के तहत लक्षित प्रखण्ड व ग्राम पंचायतों में नियुक्त नेचुरल लीडर/स्वच्छताग्राहियों को ODF करने हेतु देय प्रोत्साहन राशि के सम्बंध में।

प्रसंग: 1. इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक-SBM(G) State Level workshop-51/16-427 दिनांक 22.04.2016

2. पेयजल एवं स्वच्छता मन्त्रालय, भारत सरकार का पत्रांक S-18011/24/2015-SBM दिनांक 15.02.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं कार्यालय के पूर्व प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको इस वित्तीय वर्ष में लक्षित प्रखण्डों में नेचुरल लीडर्स/स्वच्छताग्राहियों की नियुक्ति करने एवं सहयोगी संस्थाओं (UNICEF/WATER-Aid/WSP/GSF/Tata Trust) आदि के सहयोग से उन्हे प्रशिक्षित भी किया गया है।

उक्त स्वच्छताग्राहियों/नेचुरल लिडर्स को कार्य परिणाम आधारित प्रोत्साहन देने प्रस्तावित है। इस सम्बंध में मध्यप्रदेश के हरदा जिले में एक बहेतरीन उदाहरण दिया है। जिस पर निदेशक स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा.), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का प्रासंगिक पत्राक द्वारा अन्य राज्यों को अपनाने हेतु सुझावित किया गया है।

आपको पेयजल एवं स्वच्छता मन्त्रालय के पत्र की मूल प्रति तथा हरदा जिले द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि –

1. भारत सरकार के इस पत्र के आलोक में नेचुरल लिडर्स/स्वच्छताग्राहियों के कार्य परिणाम आधारित प्रोत्साहन राशि पर DWSC द्वारा निर्णय लिया जाए।
2. DWSC हरदा वाली प्रक्रिया तथा मन्त्रालय के पत्र में आवश्यकता आधारित परिवर्तन शर्तों/प्रक्रिया में कर सकती है; परन्तु पत्र की मूल भावना प्रभावित न हो।
3. DWSC इसमें Monitoring Parameters तय करें तथा स्वच्छताग्राहियों से परिणाम हेतु कार्य लेवें।
4. एक ग्राम पंचायत को ODF करने की अधिकतम प्रोत्साहन राशि 15000/– हो तथा स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता देंवे समस्त व्यय SBM(G) के IEC मद पर भारित होगा।
5. ODF की परिभाषा ODF सत्यापन के संकल्प के अनुसार ही मान्य होगी। तथा प्रोत्साहन राशि पंचायत के ODF सत्यापन (जिला स्तर पर) के पश्चात् ही देय होगी।

क्र.पृ.उ.

S.k Oct. 4

अब नही तो कब?

ज्ञात रहे SBM(G) की सफलता में उपायुक्त की पूर्ण सहभागिता एवं समर्पण आवश्यक है। आपका प्रेरक नेतृत्व ही इसे उचित दिशा की ओर ले जायेगा।
अनु.–यथोपरि।

विश्वासभाजन,

(राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक– SBM(G)/State Level Workshop-51/2016 - 1149 /SBM(G) दिनांक: 17-10-16
प्रतिलिपि–समस्त सहयोगी संस्थाए UNICEF/WATER-Aid/WSP/GSF/Tata Trust / UNDP/प्रदान, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु.–यथोपरि।

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्या: SBM(G)/State Level Workshop-51/2016– 1149 / SBM(G) दिनांक : 17-10-16
प्रतिलिपि : सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड / सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन ''प्रकल्प'' झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया जाता है कि वे उपायुक्त से सम्पर्क कर शीघ DWSC से निर्णय करावें तथा निदेशालय, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) को अवगत करावें।
अनु.–यथोपरि।

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

प्राप्ति शाखा
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड, राँची
डायरी संख्या:– 2550
दिनांक:– 4.3.16

S-18011/24/2015-SBM
Government of India
Ministry of Drinking Water and Sanitation
Swachh Bharat Mission (Gramin)

12th Floor, Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi – 110003
Dated 15.02.2016

To,
The Principal Secretary/Secretary,
In-charge Rural Sanitation,
All States/UTs

Subject: - Regarding engagement of Motivators (Swachhata Doots).

Madam /Sir,

A motivator is a critical link in the institutional structure of Swachh Bharat Mission (Gramin). He/she is the one who actually interacts with the villagers and triggers their behavioural change. A motivator should be passionate, patriotic, hard working and have an aptitude for communicating with people. These skills should be further polished, and motivators trained in 'community approaches to sanitation' before they actually visit the villages.

2. I am attaching herewith, for perusal, details of how Harda district in Madhya Pradesh selected their motivators and also built an incentive mechanism linked to outcome of ODF achievement.

Encl: As above

Yours faithfully,

(Dr. Nipun Vinayak)
Director (SBM-G)

Selection of motivators for Operation Malyuddh Harda and their incentive system – The science and rationale behind

Open defecation is a traditional practice amongst villagers going on unstopped for centuries. Hence to put an end to the habit ingrown since someone's childhood, strong community mobilization is needed at the local level. Sensitizing a community to the ill effects of open defecation and exposing it to the raw truth about oral fecal cycle is an extremely challenging task, given the fact that sanitation, especially open defecation is an avoided discussion topic in rural and urban settings alike. Motivators who could do this on field ought to receive an incentive for this. There were no special funds earmarked for motivators honorarium, hence it was decided to fund them out of the IEC Component of the SBM (R) because motivators are real life, mobile IEC modes more effective than any pamphlet, poster or wall-painting.

Now, neither can ODF be achieved by all communities with the same readiness and ease, nor are there sure-shot mechanisms for ODF attainment by behavioral change, paying the motivators on a regular or monthly basis has a risk of employing them for eternity with funds being wasted without end results. Hence it was decided that the ODF incentive and daily allowance was calculated and payable only after a GP is verified as ODF by the district level team. All travel, logistical, subsistence expenditure has to be borne by the motivators till ODF verification is successful.

Daily allowance was limited to 90 days maximum; it was based on CLTS research finding that 90 days is the optimal duration to follow-up and sustain the momentum created by triggering an open-defecating community. ODF Incentive and daily allowance were calculated based upon the total number of toilets remaining to be constructed in the entire district and the IEC component arising thereof. This result based incentive system, where result is ODF's successful verification, is the specialty of Operation Malyuddh and this gives the government kitty a foolproof shield from wasteful expenses and a mission mode with time-limits. All this risk was clearly agreed by the motivators in a mutual agreement with the District Water and Sanitation Mission. One peculiar condition that was part of agreement was that 5000/- (amount spent on training the motivator) could be recovered from them if they dropped out after registering for training without working for Malyuddh.

Though the result-based incentive system was criticized for being prone to a very high attrition rate as there is no job security or income assurance, it ensured that we depended only upon efficient and enthusiastic motivators for Operation Malyuddh and a war against shit (Mal-yuddh) needed such warriors willing to risk their time and money for a social cause, and not those who want to make this their permanent means of livelihood. The motivators, according to Harda District Water and Sanitation Mission's opinion, needed communication skills enough to convince the toughest arguing open defecator, attitude needed to enlighten the community and the leadership skills enough to streamline the positive energies of an empowered vigilant committee into transforming the open defecating

society into an ODF village. The applications were invited for being hired through advertisements in newspapers and flyers.

The large number of candidates applications received put us at a greater responsibility to select only the really talented and dedicated ones and not get misled by the enthusiastic candidates who would accept all our incentive conditions just to be part of government recruitment. Motivators in Harda were selected in a unique three step elimination process, steps being formulated on a scientific basis, after approval from the District Water and Sanitation Mission. Our selection dates clashed with that of the MP-PSC exams and our candidate turn-out percentage was higher. However, our selection process was not lesser in its complexity than the UPSC exam itself.

The tools and techniques of CLTS and triggering were going to be part of their training, hence during selection procedures, only their openness, readiness to ideas, willingness to talk upon the topic, self-confidence, communication skills were assessed. In addition to all the above qualities, a motivator must be available full time and have ample time to spare for the daily follow-ups, so part-timers, NGO associates and students were not preferred as they were engaged elsewhere. No age or educational qualifications were specified as vocal skills were primary to the job at hand.

The first step was a group discussion, wherein the least vocal candidates were eliminated by the panel. The second step was an interview. Here the soft skills of the candidate, willingness to work full-time and consent to our financial risk conditions were assessed. The third and final surprise step was to call the willing candidates for a fitness test at 4.30 am the next day to the local stadium. The last step was to evaluate their punctuality and their general physical fitness. The candidates were given the task to walk a distance of 7 kilometers in 60 minutes. Only completion was counted as sufficient, no advantage was given to those who covered them earlier by jogging or running. After successful 7 km walk, the motivators were handed out the sample agreement which they had to sign for perusal of the terms and conditions and instructed them to come on a specific date for start of work.

Out of total candidates, a little over 50% were filtered out in group discussion and interview. 20% of those selected in interview dropped out by themselves or were late for fitness test and hence not selected. That left us with 140 motivators ready to be trained for Operation Malyuddh. Harda model of recruitment and incentive has already been emulated by many districts till now and adapted according to their own local requirements.

-Shanmuga Priya Mishra, Chief Executive Officer, Zila Panchayat, Harda, Madhya Pradesh.

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।
संकल्प

विषय :– विधायक योजना/मुख्यमंत्री विकास योजना अन्तर्गत शौचालय निर्माण, दो विधान सभा के कार्यकाल के समावेश (overlap) की स्थिति में योजना की अनुशंसा एवं निधि की आवंटन के संबंध में दिशा निर्देश।

झारखण्ड राज्य में प्रति वित्तीय वर्ष प्रति विधायक को वर्तमान में विधायक योजना में दो करोड़ एवं मुख्यमंत्री विकास योजना में एक करोड़ आवंटित किये जाने का प्रावधान है। माननीय विधायक द्वारा विधायक योजना की अनुशंसा संबंधित उप विकास आयुक्त को एवं मुख्यमंत्री विकास योजना की अनुशंसा संबंधित उपायुक्त को भेजी जाती है, जो इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी है।

2. माननीय प्रधानमंत्री के "स्वच्छ भारत अभियान" को धरातल पर लाने हेतु शौचालय निर्माण पर जोर दिया गया है। यद्यपि विधायक योजना/मुख्यमंत्री विकास योजना की मार्गदर्शिका में माननीय विधायकों की अनुशंसा पर ली जाने वाली विकास योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की दृष्टांत सूची के क्रमांक – 12 में "शहरों, कस्बों तथा गांवों की गन्दी बस्ती वाली क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सदस्यों के निवास क्षेत्रों में बिजली, पानी, पथ, सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानागार आदि जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था" का प्रावधान है, किन्तु शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि व्यय की जाय इसका कोई उल्लेख नहीं है।

इस संदर्भ में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री विकास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधायक अपने विधान सभा क्षेत्र में एक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करायी जाने वाली राशि में से 50% अर्थात् ₹ 50.00 लाख (पचास लाख) रूपये मात्र का व्यय शौचालय निर्माण में करने की अनुशंसा अनिवार्य रूप से करेंगे।

3. विधायक योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका– 3.7 (ग) में प्रावधान है कि "यदि माननीय पूर्व विधायक की अवशेष राशि के विरूद्ध अनुशंसित योजना अनुशंसा प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों से अधिक बीत जाने पर भी प्रशासनिक कारणों से लम्बित पड़ी हो तो उसे भी पूरा किया जायगा बशर्ते कि वह मार्गदर्शिका के अनुरूप हो और अनुशंसा जिस वित्तीय वर्ष में की गयी हो, उसमें अनुशंसा के अनुरूप राशि उपलब्ध हो"।

उक्त प्रावधान के आलोक में किसी वित्तीय वर्ष में दो विधान सभा के कार्यकाल के समावेश (Overlap) की स्थिति में पूर्व विधायक की अनुशंसा के आलोक में योजनाओं की तकनीकि एवं प्रशासनिक स्वीकृति के बावजूद कार्य प्रारम्भ नहीं होने पर उक्त अनुशंसा को लागू करने से नवनिर्वाचित विधायकों से वर्णित योजना की संभाव्यता, व्यवहार्यता इत्यादि के बारे में वैचारिक मतभेद उत्पन्न होता है जिससे विकास कार्यों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अतएव मार्गदर्शिका की कंडिका– 3.7 (ग) को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है :–

"यदि पूर्व विधायक की अवशेष राशि के विरूद्ध अनुशंसित योजना की अनुशंसा प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों से अधिक बीत जाने पर भी प्रशासनिक कारणों से लंबित पड़ी हो अथवा योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया हो तो उस योजना का कार्यान्वयन नहीं कराया जायगा। इसके लिए माननीय नवनिर्वाचित विधायक की अनुशंसा/सहमति अनिवार्य होगी। अर्थात् नवनिर्वाचित विधायक अपने क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं की अनुशंसा नये सिरे से करने के लिए स्वतंत्र होंगे।"

(158) (152)

4. विभागीय संकल्प संख्या– 4767 दिनांक 12.08.2014 द्वारा विधायक योजना की कंडिका– 3.9 में यह प्रावधान किया गया था कि किसी वित्तीय वर्ष में दो विधान सभा के कार्यकाल के समावेश (Overlap) की स्थिति में माननीय विधायकों का कार्यकाल के लिए आवंटन की पात्रता निम्न प्रकार निर्धारित रहेगी :–

वित्तीय वर्ष में विधायक के रूप में अवधि	पात्रता
3 माह से कम	शून्य
9 माह तक	वार्षिक आवंटन का 50%
9 माह से अधिक	वार्षिक आवंटन का 100%

सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 4767 दिनांक 12.08.2014 में निहित प्रावधान जो विधायक निधि की कंडिका– 3.9 में अंकित है को विलोपित करने का निर्णय लिया गया है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(एन0 एन0 सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 09 (वि0यो0)– 12/2015/ 943 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक – 11·03·15

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 09 (वि0यो0)– 12/2015/ 943 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक – 11·03·15

प्रतिलिपि:– अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 09 (वि0यो0)– 12/2015/ 943 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक – 11·03·15

प्रतिलिपि:– सचिव, विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 09 (वि0यो0)– 12/2015/ 943 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक – 11·03·15

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 09 (वि0यो0)– 12/2015/ 943 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक – 11·03·15

प्रतिलिपि:– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त/उप विकास आयुक्त/कोषागार पदाधिकारी झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 09 (वि0यो0)– 12/2015/ 943 /ग्रा0वि0, राँची, दिनांक – 11·03·15

प्रतिलिपि:– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

<u>संकल्प</u>

विषयः—स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की नवीन मार्गदर्शिका के अनुसार State Level Scheme Sanctioning Committee (SLSSC) के पुर्नगठन के संबंध में।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) – (SBM-G) की नवीन मार्गदर्शिका 2014 के अनुसार, इस कार्यक्रम में ली जाने वाली योजनाओं का State Level Scheme Sanctioning Committee (SLSSC) अथवा राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति का अनुमोदन आवश्यक है। यह समिति राज्य स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को सहायता तथा परामर्श देने वाली शीर्षस्थ समिति के रूप में है। राज्य में पूर्व में निर्मल भारत अभियान (अब स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)) के तहत, राज्य योजना स्वीकृति समिति (State Scheme Sanctioning Committee - SSSC) का गठन झारखंड सरकार के संकल्प, ज्ञापांक – TSC-98/09-22/SWSM दिनांक 04.01.2013 के द्वारा किया गया था।

चूँकि अब निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के रूप में परिवर्तित हो गया है व पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के पत्रांक [illegible]1013/16/2004 –SBM (G) दिनांक 18.12.2014 से नवीन दिशा–निर्देश जारी कर उसके अंतर्गत प्रावधानों को लागू कर दिया गया है। मार्गदर्शिका के कंडिका 7.3 के आलोक में, राज्य योजना स्वीकृति समिति (State Scheme Sanctioning Committee - SSSC) का नाम राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (State Level Scheme Sanctioning Committee - SLSSC) के रूप में परिवर्तित किया गया है एवं इसके स्वरूप में संशोधन किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित इस शीर्षस्थ समिति, राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (State Level Scheme Sanctioning Committee - SLSSC) का होगा, जिसमें मुख्य सचिव के अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्य भी नामित होंगेः–

1. मुख्य सचिव, झारखंड सरकार – अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड – सदस्य
3. प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण एवं बाल विकास विभाग, झारखंड – सदस्य
4. प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, झारखंड – सदस्य

Archana

5. प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास एवं विभाग, झारखंड – सदस्य

6. प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग एवं नेशनल रूरल इम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, झारखंड – सदस्य

7. प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड – सदस्य

8. प्रधान सचिव/सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड – सदस्य

9. प्रधान सचिव/सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड – सदस्य

10. भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के प्रतिनिधि – सदस्य

11. विशेष सचिव–सह–निदेशक, विश्व बैंक संपोषित, पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम, DWSD, झारखंड – सदस्य

12. अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड – सदस्य

13. मुख्य अभियंता–सह–कार्यकारी निदेशक, SPMU, झारखंड – सदस्य सचिव

14. यूनिसेफ, झारखंड के प्रतिनिधि – सदस्य

15. स्वच्छता क्षेत्र के विशेषज्ञ (Hydrogeology/IEC/MIS/Media /NGOs) – विशेष आमंत्रित सदस्य

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा–निर्देश के कंडिका 7.3 के अनुसार किये जाने वाले कार्य निम्नवत् हैं:–

1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु गठित SLSSC राज्य में परियोजना जिलों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण, संबंधित विभागों के बीच तालमेल व समन्वय स्थापित करना है।
2. वित्तीय वर्ष के पूर्व राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का Annual Implementation Plan (AIP) तैयार करना तथा आगामी वित्तीय वर्ष में ग्राम/ग्राम पंचायत/जिलावार प्लान बनाकर उसे क्रियान्वित किया जाना।
3. राज्य द्वारा निर्मित Annual Implementation Plan (AIP) को वित्तीय वर्ष के पूर्व, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदन करवाना। मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के पश्चात् उसे SLSSC की बैठक में पारित करवाना। तत्पश्चात् स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के IMIS पर लक्ष्यों की ऑनलाईन इंट्री की जाती है। इस इंट्री के

अनुरूप जिलों द्वारा वर्ष भर कार्य कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की निर्धारित फॉर्मेट में ऑनलाईन इंट्री करना।

4. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु गठित SLSSC समेकित AIP के अनुरूप , पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय/राष्ट्रीय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के साथ विचार–विमर्श, केन्द्र से अनुदान सहायता प्राप्त करना और आवश्यकतानुसार जिलों को संवितरण करेगी।

5. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों की पारिश्रमिक राशि को राज्य द्वारा एवं परामर्शियों की पारिश्रमिक राशि, मिशन के प्रशासनिक मद से भारित होगी।

6. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए गठित SLSSC, राज्य स्तर पर इसकी शीर्षस्थ समिति है जो राज्य स्तर पर जिला परियोजनाओं व अन्य प्रस्तावों की जाँच करने, अनुमोदित करने एवं राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों को क्रियान्वयन करवाने का कार्य भी करेगी।

7. वर्ष में कम–से–कम दो बार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु गठित SLSSC की बैठक आहूत होनी चाहिए। बैठक में पूर्व में स्वीकृत योजनाओं की अवयववार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिए। आवश्यकतानुसार त्रैमासिक बैठक का आयोजन भी किया जा सकता है।

8. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु गठित SLSSC बैठक को आयोजित करवाने, निर्णयों को त्वरित व प्रभावी रूप से क्रियान्वित करवाने का उत्तरदायित्व सदस्य सचिव का होगा।

प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव का अनुमोदन क्रमशः दिनांक 18.5.15 एवं 15.5.15 को प्राप्त है।

(हस्ताक्षर) 19/05/15
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड

ज्ञापांकः SSSC गठन-213/11-819/SWSM दिनांक 19.5.15
प्रतिलिपिः– उपरोक्त सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 19/5/15
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड

Archana

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्रांक : स्वच्छ भारत मिशन Mob. App. – 1099/14– 1632 /SWSM, दिनांकः 23/9/15

प्रेषकः **अमरेन्द्र प्रताप सिंह,**
सरकार के सचिव,

सेवा में,

1. सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
   जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखंड

Email

2. सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव,
   जिला जल एवं स्वच्छता मिशन प्रकल्प, झारखण्ड।

विषयः– स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), झारखंड के अंतर्गत जलसहिया/स्वच्छता दूत/प्रेरक को शौचालय निर्माण करवाने एवं उपयोग हेतु लाभार्थी को प्रेरित /प्रकृति परिवर्तन करने के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में बढ़ोत्तरी करते हुए 150/– रू॰ प्रति मामले विभिन्न घटकवार कार्यो – निर्माण/ उपयोग/ प्रकृति परिवर्तन इत्यादि कार्य तथा शौचालय के फोटो अपलोड करने के सम्बंध में।

प्रसंगः–भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छ भारत मिशन की नवीन मार्गदर्शिका के पैरा 5.2.3 एवं 7.7.1 एवं भारत सरकार के पत्रांक सं॰ W-11019/02/2014-SBM(G) दिनांक 17 नवम्बर, 2014 एवं No.S-18011/50/2015-SBM-G दिनांक 06.08.2015 तथा दिनांक 22.01.2015 को नई दिल्ली में केन्द्रीय विभागीय मंत्री व केन्द्रीय सचिव के साथ आयोजित बैठक की कार्यवाही।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उल्लेख है कि झारखंड में स्वच्छता दूत के रूप में प्रत्येक ग्राम में 'जलसहिया' की नियुक्ति की गयी है, जिन्हें विभाग के पूर्व पत्रांक TSC-98/09-691/SWSM दिनांक 13.07.2012 के आलोक में शौचालय का निर्माण एवं व्यवहार के लिए 75 रूपये मात्र प्रति शौचालय की दर से प्रोत्साहन राशि, आई॰ई॰सी॰ के मद से निम्न प्रकार दी जा रही हैः–

(क) शौचालय हेतु Demand Generation एवं निर्माण के उपरांत – 45.00 प्रति शौचालय।

(ख) एक माह तक संपूर्ण परिवार द्वारा लगातार उपयोग होने पर – 30.00 प्रति शौचालय।

2. (i) भारत सरकार द्वारा जारी नवीन दिशा–निर्देश के पैरा 5.2.3 के अनुसार स्वच्छता संबंधी संचार के लिए पूर्णकालिक जिम्मेवार स्थानीय प्रेरक को आई॰ई॰सी॰ निधि से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निधि दी जा सकती है।

कृ॰ पृ॰ उ॰

(ii) भारत सरकार की मार्गदर्शिका 7.7.1 के अनुसार "स्वच्छता दूतों' सहित किसी भी व्यक्ति, जो शौचालयों का निर्माण करने के लिए परिवारों को प्रेरित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप में खुले में शौच की प्रकृति में बदलाव आता है को प्रति मामले 150/– रू० की प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है। तथापि राज्य अपनी आवश्यकतानुसार उपर्युक्त निर्णय ले सकता है। इसके अलावा, स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए निर्माण पश्चात् मानदेय के प्रावधान की भी व्यवस्था की जानी चाहिए"।

3. (i) भारत सरकार के पत्रांक W-11019/02/2014-SBM(G) दिनांक 17 नवम्बर, 2014 के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध व्यक्तिगत मोबाईल फोन से फोटो खींचकर अपलोड किये जा सकते हैं।

(ii) वर्तमान में भारत सरकार के पत्रांक S-18011/50/2015-SBM-G दिनांक 06.08.2015 द्वारा IHHL अंतर्गत 01.04.2014 के बाद NBA/SBM (G) के तहत बने सभी शौचालय का फोटो अपलोड करना है।

(iii) दिनांक 22.01.2015 को भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा राज्यों के विभागीय मंत्री व सचिवों के साथ आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि "राज्यों का दायित्व है कि वे ये सुनिश्चित करें कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत बने समस्त व्यक्तिगत शौचालयों के फोटोग्राफ mSBM application के द्वारा मंत्रालय की वेबसाईट पर अपलोड करें। इस हेतु SBM (G) के प्रशासनिक मद से न्यूनतम आवश्कतानुरूप मोबाईल खरीदें जा सकते हैं"।

4. (i) भारत सरकार द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में Agreed Actionable Points के अनुसार न्यूनतम मोबाईल स्वच्छ भारत मिशन के प्रशासनिक मद से खरीदे जा सकते हैं। यह प्रत्येक प्रखंडवार एक मोबाईल क्रय किया जा सकता है।

(ii) इस सुविधा प्राप्त करने वाले सहायक प्रखंड स्वच्छता पदाधिकारी कम से कम 100 फोटो प्रतिमाह अवश्य अपलोड करें।

(iii) उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति की सहमति से क्रय किया जायेगा तथा उपयोग करने वाले पदाधिकारी को नामित किया जायेगा। विहित प्रक्रिया के तहत मोबाईल फोन का निबंधन अवश्य किया जायेगा।

5. अतएव कार्य की सुविधा हेतु सरकार सम्यक विचारोपरांत स्वच्छता दूत/प्रेरक/जलसहिया को देय प्रोत्साहन राशि में निम्न प्रकार व्यय किया जायः–

(i) शौचालय हेतु डिमांड जेनरेशन एवं निर्माण के बाद देय प्रोत्साहन राशि – रू॰ 75/– प्रति शौचालय।

(ii) एक वर्ष तक संपूर्ण परिवार द्वारा इस्तेमाल करने पर रू॰ 25/– प्रति शौचालय।

(iii) तीन वर्ष तक उपयोग तथा रख–रखाव हेतु प्रेरित करने पर रू॰ 25/– प्रति शौचालय।

(iv) निर्माण के बाद फोटो अपलोड करने पर रू॰ 25/– प्रति शौचालय।

(v) स्वच्छता दूत/प्रेरक/जलसहिया स्वतः फोटो अपलोड में सक्षम न हो तो अन्य द्वारा कार्य करने पर रू॰ 25/– प्रति शौचालय संबंधित रजिस्टर्ड मोबाईल से फोटो अपलोड करने वाले को देय होगा।

(vi) सरकारी मोबाईल प्राप्त तथा सरकारी सेवक एवं रू॰ 20000/– माह से अधिक सरकारी मानदेय प्राप्त करने वाले कर्मी द्वारा यह कार्य करने पर यह राशि देय नहीं होगी।

(vii) रू॰ 25/– फोटो अपलोड करने के मानदेय में अन्य कोई TA/DA इत्यादि नहीं देय होगा।

(viii) यह राशि आई॰ई॰सी॰ मद से देय होगी।

6. यह निर्देश 2.10.2014 से प्रभावी होगा।

प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु॰: यथोपरि।

AP 23/09/15
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः स्वच्छ भारत मिशन Mob. App. – 1099/14–1632 /SWSM, दिनांकः 23/9/15

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रक्षेत्र, दुमका/राँची/ सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखंड/सभी राज्य समन्वयक/मेंटर/नोडल ऑफिसर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। Email

अनु॰: यथोपरि।

AP 23/09/15
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः स्वच्छ भारत मिशन Mob. App. – 1099/14–1632 /SWSM, दिनांकः 23/9/15

प्रतिलिपिः–श्री रवीन्द्र बोहरा, राज्य समन्वयक (SBM-G)/श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT) राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, झारखंड, राँची को अनुलग्नक के साथ प्रेषित। अतः निदेशित किया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड कराना सुनिश्चित करें। Email

अनु॰: यथोपरि।

AP 23/09/15
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक: स्वच्छ भारत मिशन Mob. App. – 1099/14–1682 /SWSM, दिनांक: 23/9/15

Email प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव / डॉ॰ निपुन विनायक, उपसचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, ईमेल : vinayaknipun@gmail.com को सूचनार्थ समर्पित।

23/09/15

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के सचिव

सरस्वती प्रसाद, आइ.ए.एस
संयुक्त सचिव
Saraswati Prasad, I.A.S
Joint Secretary

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
Government of India
Ministry of Drinking Water and Sanitation
12th Floor, Paryavaran Bhavan, C.G.O. Complex
Lodhi Road, New Delhi - 110 003
Tel. No. : 24362705 Fax : 24361062
E-mail : js.tsc@nic.in

No.W-11019/02/2014-SBM(G) **17th November, 2014**

To
Principal Secretary / Secretary
i/c of Rural sanitation
All States / UTs

Sub: Use of Mobile based Application for uploading Photographs and Coordinates of Toilet constructed and under Swachh Bharat Mission (Gramin).

Sir,

1. In a major initiative to strengthen the Monitoring system under the Swachh Bharat Abhiyan the NIC cell of this Ministry has developed a mobile based monitoring system, through which Photographs and Coordinates of IHHLs constructed under NBA/SBM(G) can be uploaded on the SBM(G)-MIS.

2. An instruction sheet explaining the process is enclosed.

3. Photograph of all IHHLs along with the Beneficiary that have been constructed and reported from 1.4.2014 under NBA and after 2.10.2014 under SBM(G) shall have to be taken and uploaded on the SBM(G) - MIS.

4. The uploading of the photograph should ideally be done along with the reporting of each IHHL during data entry of progress every month. Backlog entry of IHHLs reported constructed on the MIS from 1.4.2014 till October 2014, may also be taken up in war footing immediately.

5. For the present, private mobiles available with individuals may be used for this activity. Mobile data usage charge for the purpose may be met from administrative expenses admissible with SBM(G).

6. It is requested that this activity be monitored regularly at the level of Principal Secretary/Secretary i/c Rural sanitation.

Yours faithfully,

(Saraswati Prasad)

Copy to : All State SBM(G) Coordinators
PPS to Secretary MDWS

सभी के लिए स्वच्छता
और स्थायी पेयजल आपूर्ति

Sustainable Sanitation and
Drinking Watersupply for all.

Instructions for and use under Swachh Bharat Mission (Gramin).

1. Mobile OS should be Android version 3.2 or higher
2. Register users for using mobile apps using SBM MIS through district/state login in http://tsc.gov.in. After the registration process is successfully completed - Login ID and password will be created and same will be communicated to the surveyor data collector for uploading the photographs.
3. Allocation of GP/ Villages level Household data to surveyor or data collector using SBM MIS through district/state login will done after step 2 is complete
4. Download mobile App from ministry's websites (mdws.gov.in or tsc.gov.in)
5. Install the APK on mobile device
6. Enable GPS for capturing Latitude & longitude through mobile device
7. Login through mSBM App
8. After successfully login in choose option HHS Toilet Photo & follow all the steps.
9. Choose Usage of toilet to capture parameters of usages of toilet.
10. State District MIS users will approve the uploaded photographs before showing on the ministry's website.
11. Uploaded Photographs of toilets can be seen/viewed in the report Format 28 of SBM MIS
12. For technical help contact Shri Pramod Kumar, MDWS - NIC 011-24366372.

कार्यालय निदेशक

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची

डोरंडा बाजार पानी टंकी परिसर, प्रथम तल, डोरंडा बाजार, राँची–834002 फैक्स नं.–0651–2481593 Email-sbm.jhar@gmail.com

पत्र संख्याः DWSC खाता संचालन -46/2016 - 260 / SBM-G, दिनांक : 17-02-16

प्रेषकः

राजेश कुमार शर्मा, भा.प्र.से.
निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा)
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

1. **सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष**
   जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड।
2. **सभी अधीक्षण अभियंता**
   पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड।
3. **सभी कार्यपालक अभियंता**
   पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, झारखण्ड।

विषयः जिला जल एवं स्वच्छता समिति के खाता संचालन के सम्बंध में।

प्रसंगः इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक TSC/CO/124/11-158/SWSM दिनांक 22.03.2011

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निदेशित किया जाता है कि प्रासंगिक पत्रानुसार पूर्व में स्वच्छ भारत मिशन, पूर्व नाम सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत एक जिला में एक ही बैंक खाता होगा, तथा जिन जिलों में दो कार्यपालक अभियंता (असैनिक) कार्यरत है, वहाँ दोनों कार्यपालक अभियंता सह सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगें।

उक्त में संसोधन करते हुए 1 अप्रैल, 2016 से यह व्यवस्था प्रभावी होगी :–

1. जिन जिलों में दो कार्यपालक अभियंता(असैनिक) कार्यरत है (अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में दो विभागीय प्रमण्डल है वहाँ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा॰) के कार्य दो अलग बैंक खाता संचालित होगा।
2. शेष सभी जिलों में एक ही बैंक खाता संचालित होगा।
3. कार्यपालक अभियंता कैश बुक व लेखा संधारण करेंगे।
4. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा॰) मार्गदर्शिका व समय–समय पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देय निदेशों के अनुरूपव्यय किया जाएगा।
5. व्यय सम्बन्धी प्रतिवेदन तैयार करने, ऑन लाईन इन्ट्री व लेखा परीक्षा की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता की होगी।
6. अन्तर जिला निधि हस्तांतरण के लिए निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा॰) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकृत होंगे।

7. यह व्यवस्था आगामी वित्तिय वर्ष 2016–17 से अर्थात 01.04.2016 से प्रभावी होंगी।

8. अप्रैल, 2016 के प्रथम सप्ताह में उपायुक्त द्वारा दो कार्यपालक अभियंता (असैनिक) वाले जिलों (यथा– बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, प० सिंहभूम, गिरिडीह, राँची, देवघर, दुमका) के दोनों कार्यपालक अभियंताओं के साथ बैठक कर राशि (बैंक खाता व असमायोजित अग्रीम) के सम्बंध में लक्ष्य व प्रगति के आधार पर निर्णय लिया जाएगा व नये खाता की सूचना निदेशक को उपलब्ध करा दी जाए।

यह सूनिश्चित किया जाए कि 10 अप्रैल, 2016 के पश्चात उक्त जिलों में SBM-G के तहत दो अलग–अलग बैंक खाता व कैशबुक संधारित होंगा। इसके अतिरिक्त SBM-G से सम्बन्धित किसी प्रकार के खाते का व्यवहार नहीं होगी यदि किसी Division अथवा जिलें में इस प्रकार के खातें है तो उन्हे मार्च, 2016 से पूर्व बन्द कर दिया जाए।

माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन दिनांक 16.02.2016 से प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

17/2/16

(राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्या: DWSC खाता संचालन - 46/2016 - 260 /SBM-G दिनांक: 17.02.16

प्रतिलिपिः अभियंता प्रमुख /सभी मुख्य अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड/ निदेशक, वर्ल्ड बैंक परियोजना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्या: DWSC खाता संचालन - 46/2016 - 260 /SBM-G दिनांक: 17.02.16

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ समर्पित।

17/2/16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्या: DWSC खाता संचालन - 46/2016 - 260 /SBM-G दिनांक: 17.02.16

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ समर्पित।

17/2/16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्र संख्याः SBM(G)-98/2009 ((Part-II)- 585 / SBM-G, दिनांक : 22-06-16

प्रेषकः **अमरेन्द्र प्रताप सिंह,** (भा०प्र०से०)
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

सेवा में,

Email/Fax

1. सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
 जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड।
2. सभी कार्यपालक अभियंता–सदस्य सचिव
 जिला जल एवं स्वच्छता मिशन प्रकल्प, झारखण्ड।

विषयः **IHHL के निर्माण एवं राशि हस्तांतरण के सम्बंध में।**

प्रसंग : **इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक NBA(TSC)-98/09(Part-I)1651/SWSM दिनांक 30.09.2015**

महाशय,

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत पत्रांक NBA(TSC)-98/09 (Part-I)1651/SWSM **दिनांक 30.09.2015** की कण्डिका 3(i) तथा (iv) में उपायुक्त एवं कार्यपालक अभियंता को निर्देश है कि इसकी सूचना सभी प्रखण्ड स्वच्छता पदाधिकारी तथा सहायक प्रखण्ड स्वच्छता पदाधिकारी को भी दी जाय/सभी प्रशिक्षण में स्पष्ट की जाय। कतिपय सुधार का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी एवं निदेशक SBM(G) द्वारा विभिन्न जिलों के भ्रमण तथा DC/DDM/नवार्ड/NRLM तथा SHG ग्रुप/NGO पदाधिकारी के साथ हुए विमर्श में प्राप्त हुआ था। सम्बंधित पदाधिकारी द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि नई मार्गदर्शिका के तहत् SHG को ग्रेड नहीं किया जाता है, "पंचसूत्र" के आधार पर पहचान किया जाता है। वर्तमान स्थापित व्यवस्था एवं समय–समय पर ग्रामीण विकास विभाग/नवार्ड द्वारा निर्धारित मानक यथावत लागू रहेंगे। इसी तरह स्वनिर्मित एवं Uses वाले मामलों में भुगतान में विलम्ब की सूचना देवघर, मधुपुर एवं अन्य जगह से प्राप्त थी। इसी कम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

(A) कंडिका 3(i) में SHG के graded होने की बाध्यता को समाप्त किया जाता है तथा यह निदेश दिया जाता है कि NRLM के तहत पंचसूत्र का पालन करने वाले SHG को ही निर्माण कार्यों से जोड़ा जाए।

(B) कंडिका 3(iv) के अनुरूप पूर्व में निर्माण पूर्ण होने तथा फोटो IMIS पर upload होने पर ही राशि देने का प्रावधान था। सम्यक विचारोपरान्त अब निर्माण पूर्ण होने एवं uses का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रति शौचालय 10,000/– (दस हजार रुपये) तथा IMIS पर फोटो upload होने पर शेष 2,000/– (दो हजार रुपये) लाभुक के खाते में e-transfer किया जायेगा।

(C) यह प्रयास किया जाय कि लाभुक द्वारा स्वतः निर्माण प्रारम्भ होने के साथ ही फोटो अपलोड का दायित्व सम्बंधित प्रेरक/पदाधिकारी को आवंटित कर दिया जाय ताकि निर्माण पूर्ण तथा Uses के बाद पूरी राशि रू० 12000/–(बारह हजार) एक मुश्त स्थानान्तरित हो। इस हेतु विशेष प्रयास किया जाय। उपायुक्त/DWSC/EE/प्रखण्ड स्वच्छता पदाधिकारी एवं सहायक प्रखण्ड स्वच्छता पदाधिकारी सुनिश्चित करें।

शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

विश्वासभाजन,

22/06/16

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान सचिव
पेयजल एवंस्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्याः SBM(G)-98/2009 ((Part-II)- 585 / SBM-G, दिनांक : 22-06-16.

Email/Fax प्रतिलिपि : UNICEF/Water-Aid/GSF/WSP-SA/BRC, Jharkhand / सभी मुख्य अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड / सभी जिला के विभागीय नोडल पदाधिकारी / सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्याः SBM(G)-98/2009 ((Part-II)- 585 / SBM-G, दिनांक : 22-06-16

Email/Fax प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ समर्पित।

प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्र संख्या: / SBM-G दिनांक :

प्रेषक: **अमरेन्द्र प्रताप सिंह**
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

सेवा में,
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची–834002

विषय: **SBM(G) के वित्तीय कार्यों में प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारियों की सहभागिता के संबंध में।**

महाशय,

विदित है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) भारत सरकार की एक अग्रणी तथा महत्वाकांक्षी Flagship योजना है। यह योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के 60:40 प्रतिशत के अनुपात की राशि से कार्यान्वित हो रही है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिनांक 2 अक्टुबर 2014 से लागू होने के पूर्व यह कार्यक्रम वर्ष 1999 से 31.03.2012 तक सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC) तथा 01.04.2012 से 30 सितम्बर, 2014 तक निर्मल भारत अभियान (NBA) के नाम से चल रहा था। यह योजना केन्द्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त योजना है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिनांक 02.10.2014 से लागू होने के पश्चात इस कार्यक्रम की प्रगति में काफी गति आयी है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार का लक्ष्य है कि झारखण्ड राज्य को वर्ष 2019 तक खुले में शौच से मुक्त (ODF) कर दिया जाना है। यह राज्य इस ओर तेजी से अग्रसर है। प्रमंडलों में आपके अधीनस्थ DAO प्रति नियुक्ति पर पदस्थापित है। मा0 प्रधानमंत्री ने योजना का शुभारम्भ 2 अक्टूबर 2014 को किया तथा अन्तिम समय सीमा 2 अक्टूबर 2019 तय किया है। प्रायः मा0 प्रधानमंत्री के मन की बात episode में स्वच्छता का जिक्र सतत् रहता है। इससे सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है।

प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारियों द्वारा SBM(G) से संबंधित लेखाओं के संधारण में भागीदारी कई प्रमंडलों में नहीं हो रही है। जबकि भारत सरकार के ही अन्य राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के लेखा संबंधी कार्य में वह भागीदार रहते हैं। भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा निर्देश की धारा 7.3.6 में यह प्रावधान किया गया है कि **''एस.बी.एम.(जी.) के**

कृ०पृ०उ०......

लिये लेखा व्यवस्था एस.डब्लू.एस.एम. के लिये मौजूदा व्यवस्था और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर किये गये संशोधन के अनुसार होगी।" राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत चलने वाले NRDWP के कार्यक्रम के लेखा व्यवस्था में प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी भागीदार रहते हैं।

अतः अनुरोध है कि DWSD के कार्य प्रमंडलों के सभी लेखा व्यवस्था में प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसे में आप सभी DAOs को स्पष्ट निर्देश देना चाहेंगे कि केन्द्र प्रायोजित फ्लैगशीप स्कीम NRDWP, SBM(G) एवं NNP के कार्यों में पूर्ण भागीदारी DAOs सुनिश्चित करें ताकि गुणवत्ता पूर्ण लेखा संधारण रहें।

अनु0 यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक : राँची-07/ग्रा०स्व०-102/03(Part-I)-1301/SBM(G), दिनांकः 07-12-16
प्रतिलिपि : सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड/सभी कार्यपालक अभियंता, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन प्रकल्प झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/12/16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक : राँची-07/ग्रा०स्व०-102/03(Part-I)-1301/SBM(G), दिनांकः 07-12-16
प्रतिलिपि : सभी उपायुक्त –सह–अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड/अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड/मुख्य अभियंता–सह–कार्यकारी निदेशक, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/12/16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक : राँची-07/ग्रा०स्व०-102/03(Part-I)-1301/SBM(G) दिनांकः 07-12-16
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव योजना–सह–वित्त विभाग से सादर अनुरोध है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में प्रतिनियुक्त प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारियों को NRDWP के साथ–साथ SBM(G) का लेखा संधारण हेतु अपने स्तर से प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड को अनुरोध किया जाय।

7/12/16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्र संख्याः NBA(TSC)-98/2009 (Part-I) – 1213/SWSM दिनांक : 23.7.15

प्रेषकः **अमरेन्द्र प्रताप सिंह**
सरकार के सचिव।

सेवा में,

Email

सभी अधीक्षण अभियंता,
पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड।
सभी कार्यपालक अभियंता,
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, झारखण्ड।

विषयः **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम में सहायक अभियंता/कनीय अभियंताओं की भूमिका तथा दायित्व के सम्बंध में।**

प्रसंग : **विभागीय पत्रांक 1190 दिनांक 10.07.15**

महाशय,

विदित है कि उपर्युक्त विषयान्तर्गत क्षेत्रीय कार्याशालाओं का आयोजन किया गया था, जिसमें सहायक अभियंता/कनीय अभियंता की भूमिका तथा दायित्व पर चर्चा की गई थी। इन कार्यशालाओं में सभी सहायक अभियंता/कनीय अभियंता को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में शौचालय निर्माण सम्बंधी जानकारी दी गई तथा उनकी निर्दिष्ट भूमिका की चर्चा की गई। इस संबंध में निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1. सभी कार्यपालक अभियंता अपने प्रमंडल के एक प्रखण्ड का दायित्व सम्बंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंताओं को विभागीय पत्रांक 1190 दिनांक 10.07.2015 के कंडिका 7(ii) के अनुसार करेंगे। पंचायतों के लिए किसी एक सहायक अभियंता या कनीय अभियंता को सम्बंधित प्रखण्ड की संपूर्ण जिम्मेदारी दी जाय। उपायुक्त /कार्यपालक अभियंता संयुक्त रूप से आदेश निर्गत करेंगे।

2. ग्राम सभा/पंचायत स्तर पर बैठक में सम्बन्धित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता अपने लक्षित पंचायतों की बैठकों में भाग लेंगे तथा ग्रामीणों को तकनीकी जानकारी देंगे।

3. सम्बन्धित सहायक प्रखण्ड स्वच्छता पदाधिकारी कंडिका–8 से 11 तक पर विभागीय पत्रांक 1190 दिनांक 10.07.15 का पालन करेंगे। सघन पर्यवेक्षण करें तथा तकनीकी सहयोग करेंगे।

4. सहायक अभियंता/कनीय अभियंता VWSC को रोकड़ बही/कैश बुक की इन्ट्री पर विशेष ध्यान देने में/संधारण में आवश्यक मार्ग दर्शन देंगे। पूरे ग्राम का शौचालय

बन जाने तक अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ रोकड़ बही/कैश बुक की कार्बन कॉपी या जेरोक्स कॉपी देने में मदद करेंगे। इसका साधारण प्रमंडल स्तर पर प्रकल्प में किया जाए।

5. IMIS Entry / Base line Survey की Entry पर विशेष ध्यान देकर सुयोग्य लाभुक चयन में भूमिका निभाये।

6. सहायक अभियंता/कनीय अभियंता अपने लक्षित पंचायतों में कम से कम प्रत्येक सप्ताह भ्रमण करेंगे तथा VWSC की बैठकों का कार्यवाही बनाना सुनिश्चित करेंगे।

7. सहायक अभियंता/कनीय अभियंता राज मिस्त्री प्रशिक्षण के दौरान मौजूद रहेगें तथा सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण के दौरान कम से कम एक शौचालय जरूर बने तथा सभी ग्रामीण इसे देखें/उनकी सहभागिता रहे। राजमिस्त्री प्रशिक्षण के दौरान सहायक अभियंता/कनीय अभियंता तकनीकी पहलुओं पर ध्यान देंगे तथा राजमिस्त्री को लीच पिट मॉडल के फायदे को जरूर बतायें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षित मिस्त्री ही शौचालय निर्माण में भाग लेंगे।

8. यूनिसेफ द्वारा विकसित शौचालय चेकलिस्ट को प्रयोग में लाते हुए सहायक अभियंता/कनीय अभियंता तकनीकी गुणवत्तापूर्ण शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करेंगे। लाभुक परिवार की सहभागिता सुनिश्चित करायें।

9. सम्बन्धित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता अपने लक्षित पंचायतों में हो रहे शौचालय निर्माण के उपरान्त फोटो लेकर आई एम.आई.एस. (IMIS) में इसकी इन्ट्री सुनिश्चित करेंगे।

10. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के सहयोग से मनरेगा द्वारा बन रहे शौचालयों की एम. आई.एस इन्ट्री भी सुनिश्चित करेंगे।

11. लाभुक स्वतः शौचालय निर्माण करे, इसको बढ़ावा दें। ग्राम सभा में इसके महत्व को बताए। ऐसे लाभुक की एक अलग सूची बने। उन्हें तकनीकी सहयोग दिया जाय। राशि निर्माण पूर्ण होने पर तथा IMIS प्रवृष्टि होने के बाद ही, RTGS से खाते में लाभुक को भुगतान किया जाय।

12. सरकारी कर्मियों/धनी/सक्षम की तथा पूर्व से शौचालय युक्त घरों की सूची बनाकर baseline तथा IMIS को Update करें।

13. सरकारी कर्मी/सक्षम परिवार को प्रेरित कर शौचालय स्व व्यय पर घर के अन्दर निर्माण को Technical सहयोग से पूर्ण कराये। ऐसे परिवार को उपायुक्त द्वारा प्रशंसा पत्र भेजा जाय।

14. आगनबाड़ी सेविका / सहायिका / जलसहिया एवं अन्य समतुल्य को RF के तहत मार्गदर्शिका के तहत आच्छादित किया जाय। उनके DDO की सहमति प्राप्त की जाय ताकि राशि की recovery किस्तों में हो। इसका व्यौरा विधिवत संधारित हो।

15. क्षेत्र भ्रमण हेतु DWSC से प्रशासनिक मद की राशि से पर्यवेक्षण हेतु वाहन आवश्यकता आधारित स्वीकृति प्राप्त कर किया जाय।

उपरोक्त बिन्दुओं पर ध्यान देते हुए अपने लक्षित पंचायतों में दिसम्बर 2015 तक 75% तथा फरवरी 2016 तक 100% शौचालय निर्माण सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन,

22/07/15
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या : NBA(TSC)-98/2009 (Part-I) – 1213/SWSM दिनांक 23-7-15
प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता–सह–कार्यकारी निदेशक, पी0एम0यू0 / सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/07/15
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या : NBA(TSC)-98/2009 (Part-I) – 1213/SWSM दिनांक : 23-7-15
Email प्रतिलिपि : यूनिसेफ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशक है कि प्रत्येक प्रमंडल के लिए IHHL Check List की ~~5,000 प्रति~~ पर्याप्त प्रति मुद्रण की जाये।

22/07/15
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव

प्रतिलिपि : श्री नितिन – PMU विभागीय website पर upload करें।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

एवं

ग्रामीण विकास (पंचायती राज) विभाग, झारखण्ड सरकार

पत्रांक Convergence कैम्प-1186/15- 1628/SWSM दिनांक 23.9.15

सेवा में,

सभी उपायुक्त, झारखण्ड
सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी, झारखण्ड
सभी कार्यपालक अभियन्ता , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

विषय – 2 अक्टुबर 2015 को ग्राम सभा का आयोजन तथा ''स्वच्छता'' विषय पर विशेष चर्चा करने के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत है कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टुबर को ग्राम सभा का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारम्भ 2 अक्टुबर 2014 को किया गया है। इसके तहत राज्य में MNREGA/SBM (G) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में IHHL का निर्माण विशेष रूप से किया जा रहा है। इसका व्यापक असर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवहार परिवर्तन में देखा जा रहा है। आप अवगत है कि राष्ट्रपिता के 150 जन्मदिवस 2 अक्टुबर 2019 को सम्पूर्ण राज्य को स्वच्छ झारखण्ड घोषित करना है।

राज्य सरकार द्वारा गत एक वर्ष में स्कूलों में 100 प्रतिशत स्वच्छता/शौचालयों का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। लगभग दो लाख परिवार व्यक्तिगत रूप से IIHL योजना के तहत आच्छादित हो चुके है। प्रयास जारी है इस वर्ष के अन्त तक लगभग 600 पंचायत को स्वच्छता के तहत आच्छादित करना है। ग्रामीण विकास विभाग एवं पेयजल स्वच्छता विभाग सतत् आपके सहयोग एवं जन भागीदारी से इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। गुणवता पूर्ण शौचालय निर्माण एवं इसके सतत एवं सपरिवार उपयोग में जन सहभागिता आवश्यक है। इस विषय पर ग्राम सभा में विशेष चर्चा से जन सहभागिता बढेगी एवं स्वस्थ माहौल बनेगा।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने **25 सितम्बर से 11 अक्टुबर 2015** तक **राष्ट्रीय स्वच्छता जागरूकता पखवाड़ा** आयोजन करने का निर्णय लिया है। राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के उपरान्त पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की योजनाओं के समुचित कियान्वयन एवं निगरानी में निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा समुदाय का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। इस कार्यकम का कार्यान्वयन DWSM, DWSC तथा VWSC द्वारा ही किया जा रहा है। इन प्रयासो को सुव्यवस्थित करने हेतु **2 अक्टुबर 2015 को राज्य की सभी पंचायतों में स्वच्छता पर ग्राम सभा** में विशेष चर्चा करना प्रस्तावित है । इन ग्राम सभाओं में आंगनबाड़ी, स्कूलों तथा व्यक्तिगत स्वच्छता पर चर्चा की जानी चाहिए। इस चर्चा तथा निर्णय को ग्राम सभा के कार्यवाही का विशेष अंग बनाया जाय।

उक्त आलोक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से एक संक्षिप्त मार्गदर्शिका तैयार की गई है। स्वच्छता पर विशेष चर्चा में अंकित बिन्दुओं के आलोक में चर्चा करना सार्थक होगा। स्थानीय स्तर पर गुणवत्ता सत्यापन में चेक लिस्ट काफी प्रभावी रहेगी।

अनुरोध है कि 2 अक्टुबर 2015 को राज्य की सभी पंचायतो को इस दिशा में प्रेरित करते हुए ग्राम सभा में विशेष चर्चा स्वच्छता पर आयोजित करने में ग्राम सभा से अनुरोध करना चाहेगे एवं पंचायत सेवक के अतिरिक्त सभी जल सहिया/आंगनबाड़ी सेविका/ सरस्वती वाहिनी/VEC के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाय। कृप्या ग्राम सभा आयोजित कराना सुनिश्चित किया जाय ।

संलग्नः स्वच्छता पर विशेष ग्राम सभा का प्रारूप।

23/09/15

सचिव
ग्रामीण विकास (पंचायती राज) विभाग
झारखण्ड सरकार

सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड सरकार

हमारा काम

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा पंचायती राज विभाग, झारखंड सरकार का आग्रह

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा पंचायती राज विभाग, झारखंड सरकार ने 02अक्टूबर 2015 को राज्य की विभिन्न पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर विशेष ग्राम सभा करने का आग्रह किया है।

इसमें पंचायत प्रतिनिधियों एवं जनसमुदाय के साथ ही ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति के सभी सदस्यों, पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी सभी कर्मियों, आंगनबाड़ी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी कर्मियों को शामिल होना है।

आइए, हम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर विशेष ग्राम सभा का महत्व समझें, इसके तरीके जानें और इस मिशन को सफल बनाने का संकल्प लें।

ग्राम सभा बुलाने का दायित्व मुखिया का है। इसलिएस्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पर विशेष ग्राम सभा बुलाने की सूचना मुखिया द्वारा जारी की जायेगी।

सामान्य क्षेत्र में मुखिया इसकी अध्यक्षता करेंगे। पेसा क्षेत्र में ग्राम प्रधान इस विशेष ग्राम सभा की अध्यक्षता करेंगे।

इसमें सभी ग्रामीणों के साथ ही पेयजल एवं स्वच्छता, आंगनबाड़ी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं इत्यादि से जुड़े सभी कर्मियों को भी बुलाएं।

unicef

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, झारखंड
डोरण्डा, रांची

एजेंडा नंबर एक

स्वच्छता का महत्व –10 मिनट

- स्वच्छता ही जीवन है। स्वच्छ तन में ही स्वच्छ मन बसता है। अस्वच्छ होने से बीमारियां होती हैं।
- कई बार हम अस्वच्छता को समझ नहीं पाते। पुरानी आदतों के कारण हमें कोई अस्वच्छता दिखाई नहीं पड़ती।
- कभी–कभी हमें अपने पेयजल में अस्वच्छता नहीं दिखती। कुछ लोगों को खुले में शौच जाना एक सामान्य बात लगती है। बहुते से लोगों को भोजन से पहले हाथ धोने की आदत नहीं।
- गंदगी के कारण वातावरण दूषित होता है। हमारे भोजन और मुंह के माध्यम से किटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं।
- अस्वच्छता एवं शारीरिक अस्वस्थता के कारण हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है।
- स्वच्छता होने से हमारा शरीर, हमारा घर और हमारा गांव, हर चीज अच्छा रहता है।

एजेंडा नंबर दो

खुले शौच एवं अशुद्ध जल से नुकसान –10 मिनट

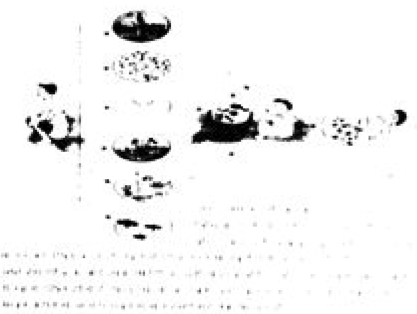

- जिन गांवों में खुले में शौच होता है, वहां का वातावरण दूषित होता है। सड़क किनारे या खेत में किया गया मल विभिन्न तरीकों से हमारे भोजन और हमारे शरीर में प्रवेश करता है।
- ऐसे गांवों में तरह–तरह के किटाणुओं के कारण अनगिनत रोग होते है।
- खुला में शौच के कारण मानव मल पर मक्खियां बैठती हैं। उन मक्खियों के पैर में मानव मल का अंश चिपक जाता है। इसके बाद वही मक्खियां दुकानों, होटल और हमारे घरों में आकर खाद्य पदार्थों पर बैठती हैं।
- इस तरह हमारा भोजन अशुद्ध होता है और हम अनजाने में मानव मल के अंशों को अपने शरीर में प्रवेश करने की घिनौना गलती करते हैं।
- खुला में शौच के कारण हमारा जल भी अशुद्ध होता है।
- स्वच्छ पेयजल का महत्व नहीं समझने के कारण बहुत से लोग अशुद्ध जल का उपयोग भोजन बनाने और पीने के लिए करते हैं। इसके कारण उन्हें तरह–तरह की बीमारी होती है।
- खुले में शौच के कारण हमारी प्रतिष्ठा कम होती है। खासकर महिलाओं को अपमानित होना पड़ता है। बहू–बेटियां शर्म से मुंह नहीं उठा पातीं। मेहमानों के आने पर हमारी इज्जत गिरती है।

एजेंडा नंबर तीन

हमारी पंचायत में स्वच्छता की स्थिति –10 मिनट

- अपनी पंचायत के प्रत्येक गांव में स्वच्छता एवं पेयजल की क्या स्थिति है, इस पर खुलकर चर्चा करें।
- किस गांव के कितने घरों में शौचालय है? जिन घरों में शौचालय है, उन घरों के सारे लोग शौचालय में ही जाते हैं या कि उनमें से भी कुछ लोग बाहर जाते हैं?
- जिन घरों में शौचालय नहीं है, वे लोग कहां जाते हैं?
- खात तौर पर उन घरों की महिलाओं को कहां जाना पड़ता है? अगर किसी महिला को दिन में जरूरत हो तो क्या परेशानी आती है?
- गांव में कोई मेहमान या शहर में रहने वाले लोग आते हैं तो क्या परेशानी आती है?
- पंचायत के किस–किस गांव में किसी योजना के तहत शौचालय बनाये गये? उनकी स्थिति क्या है?
- अपनी पंचायत के प्रत्येक गांव में पेयजल की क्या स्थिति है? क्या पीने और भोजन के लिए उपयोग में लाया जा रहा पानी शुद्ध है?
- अपनी पंचायत की हर आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य उपकेंद्र, पंचायत भवन इत्यादि में स्वच्छता एवं पेयजल की क्या स्थिति है?

एजेंडा नंबर चार

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) क्या है –20 मिनट

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) क्यों शुरू किया गया है और इसके तहत क्या किया जाता है?
- स्वच्छ ग्राम का क्या मतलब है? क्या आपके आसपास किसी पंचायत में ऐसा स्वच्छ ग्राम बना है?
- इस योजना के तहत जागरूकता और प्रचार–प्रसार संबंधी काम किस तरह होते हैं?
- व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय और पेयजल संबंधी योजना के प्रमुख नियम क्या हैं?
- आपके प्रखंड एवं पंचायत में इन योजनाओं के तहत क्या काम हो रहा है।

एजेंडा नंबर पांच

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की संरचना– 10 मिनट

- आपकी पंचायत के गांवों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के कौन कौन सदस्य हैं?
- इस समिति के प्रमुख काम क्या हैं? अब तक इसके द्वारा क्या काम किये गये? अब तक इसे किस किस मद में कितनी राशि मिली है?
- जलसहिया मुख्य तौर पर क्या–क्या काम करती है? वह अपना काम सही तरीके से कर रही है या नहीं? समिति के अन्य सदस्य इसमें क्या मदद करते हैं?
- आपकी पंचायत के हम गांव को स्वच्छ ग्राम बनाने की दिशा में ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।
- ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति को किसी प्रकार की परशानी आ रही हो तो उस पर भी चर्चा करें।

एजेंडा नंबर छह

पंचायत का दायित्व –15 मिनट

- झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने पंचायतों को क्या अधिकार एवं दायित्व सौंपे हैं?
- आपकी पंचायत द्वारा पंचायत के प्रत्येक गांव में पेयजल एवं स्वच्छता के संबंध में अब तक क्या प्रयास किये गये हैं?
- स्वच्छ ग्राम बनाने तथा पेयजल योजना लागू करने में पंचायत प्रतिनिधियों की क्या भूमिका है।
- क्या आप किसी ऐसी पंचायत के बारे में जानते हैं जहां के प्रतिनिधियों ने पेयजल एवं स्वच्छता के मामले में अच्छा काम किया है?
- आपकी पंचायत में अब तक पेयजल एवं स्वच्छता के संबंध में कौन से अच्छे काम हुए हैं?

एजेंडा नंबर सात

कैसे बनाएं स्वच्छ ग्राम –15 मिनट

- आपकी पंचायत के किस किस गांव को स्वच्छ ग्राम बनाना संभव है? जिस गांव में ऐसा करना है, वहां के निवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा जागरूकता कैसी है? क्या सभी लोग इसके लिए तैयार होंगे?
- पहले अपनी पंचायत के किसी एक गांव को ही स्वच्छ गांव बनाने के लिए चुनें। इसके अनुभव के बाद अन्य गांवों को भी स्वच्छ ग्राम बना सकते हैं।
- जिस गांव को चुना जाये, वहां के निवासियों से चर्चा करके इसके संबंध में पूरी प्रकिया को अच्छी तरह से समझना होगा। इसके लिए आवश्यक फार्म भरकर जमा करना होगा। इसमें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कर्मियों की मदद मिलेगी।

एजेंडा नंबर आठ

खुली चर्चा, कार्ययोजना एवं संकल्प–30 मिनट

- इतनी बात के बाद हर विषय पर खुली चर्चा हो। ग्रामसभा के सदस्यों को खुलकर अपनी बात रखने का अवसर मिले। स्वच्छ ग्राम बनाना जरूरी है या नहीं, ऐसा करना संभव है या नहीं, इस पर बोलने का अवसर दें। अगर कोई अपनी परेशानी बताये या इन योजनाओं को बेकार कहे तो उन्हें भी सुनें क्योंकि अगर अभी उस पर बात नहीं करेंगे तो उनके मन में गलत धारणा बैठी रह जायेगी। ऐसे में आपका मिशन सफल होने में बाधा आयेगी।
- खुली चर्चा के बाद स्वच्छ ग्राम की कार्ययोजना कैसे बनेगी, यह तय कर सकते हैं और अपनी पंचायत के किसी एक गांव को स्वच्छ ग्राम बनाने का संकल्प ले सकते हैं।

सामान्य जानकारी

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)का लक्ष्य एवं कार्य

- सूचना, शिक्षा, और संचार द्वारा स्वच्छता की आदत विकसित करना।
- देश के हर पंचायत में स्वच्छता लाकर 2019 तक स्वच्छ भारत बनाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय और आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वच्छता की व्यवस्था करना
- छात्र–छात्राओं में स्वास्थ्य शिक्षा और साफ–सफाई की आदत बढ़ाना।
- स्वच्छता कार्यक्रम में किफायती एवं सार्थक तकनीक को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता के लिए ठोस और तरल कचरा प्रबंधन करना।
- व्यक्गितगत एवं सामुदायिक शौचालय का निर्माण

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का संस्थागत ढांचा

जिला स्तर पर–जिला जल एंव स्वच्छता मिशन। इसके अध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं।
जिला जल एंव स्वच्छता समिति– इसके अध्यक्ष जिला के उपायुक्त होते हैं। सदस्य सचिव कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता विभाग होते हैं। अन्य जिला स्तर के पदाधिकारीगण समिति के सदस्य हैं।

प्रखंड स्तर पर –प्रखंड संसाधन केन्द्र (BRC)
हर जिले में एक एनजीओ का चयन होता है।वह प्रखंड संसाधन केन्द्र का संचालन करता है। हर प्रखंड में एक समन्वयक तथा एक या दो संकुल समन्वयक होते हैं। इनके द्वारा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सहयोग किया जाता है।

ग्राम स्तर पर–ग्रामीण जल एंव स्वच्छता समितिः
हर गांव में एक ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति बनायी गयी है।यह समिति स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चलाती है।
इसका अध्यक्ष मुखिया होते हैं। जल सहिया कोषाध्यक्ष है। समिति के खाते में उपलब्ध राशि की निकासी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाना है।

व्यक्तिगत शौचालय का निर्माणः

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत चयनित ग्राम पंचायतों में12000रू. की प्रोत्साहन राशि मिल सकती है।
- मनरेगा अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों में भी 12000रू. की राशि से शौचालय का निर्माण कराया जा सकता है।

किन्हें मिलेगा व्यक्तिगत शौचालय?

- **अनुसूचित जाति**
- **अनुसूचित जनजाति**
- **वासभूमि के साथ भूमिहीन मजदूर**
- **छोटे व सीमांत किसान**
- **शारीरिक रूप से विकलांग परिवार**
- **महिला प्रमुख परिवार**
- **सभी बीपीएल परिवार**

खुला शौच मुक्त ग्राम बनाने की प्रकिया

- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से ग्राम स्तर पर बैठक करना।
- बैठक की अध्यक्षता मुखिया करेंगे।
- बैठक में चर्चा हो कि गांव को खुला शौच मुक्त कैसे बनाया जाये और हरेक घर में शौचालय का निर्माण कैसे हो।
- सभी परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए राजी करना।
- बैठक में शौचालय निर्माण एवं तकनीक पर चर्चा कर सबकी सहमति लेना।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के रजिस्टर में बैठक की कार्यवाही लिखा जाना है।
- इसके बाद ग्राम का सर्वे करके सभी लाभार्थी की सूची तैयार करें।
- अब हर घर में शौचालय बनाने का प्रस्ताव तैयार करना है। इसके लिए पराक्रमी राशि या अग्रिम राशि की मांग करना है।
- प्रस्ताव की प्रति जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के कार्यालय में जमा होगी।
- मनरेगा अन्तर्गत चयनित पंचायतों के प्रस्ताव की एक प्रति प्रखंड कार्यालय में मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी के पास जमा करके मनरेगा के तहत सहयोग की मांग करें।

जय स्वच्छता **जय झारखण्ड**

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, झारखंड
डोरंडा, रांची
अधिक जानकारी के विभाग से सम्पर्क करें:
टोल फी न0 18003456502 एवं 18003456516

कार्यालय निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची

डोरंडा बाजार पानी टंकी परिसर, प्रथम तल, डोरंडा, राँची.834002 फैक्स/नं. 0651-2481593, Email-sbmg.jhar@gmail.com

पत्र संख्याः SBM(G)/शिकायत (बोकारो)–61/16 – 470 /SBM(G) दिनांक : 05.05.16

प्रेषकः राजेश कुमार शर्मा
निदेशक, SBM-G
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

सेवा में,

Email

1. **सभी उपायुक्त–सह– अध्यक्ष**
   जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड (बोकारो को छोड़कर)।
2. **सभी अधीक्षण अभियंता,**
   पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड।
3. **सभी कार्यपालक अभियंता**
   पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, झारखण्ड।

विषयः **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा निर्देशिका पर क्रियान्व्यन के सम्बंध में।**
प्रसंग : **सरकार के प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का ज्ञापांक–87/ P. Sec., दिनांक 03.03.2016**

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक प्रधान सचिव के पत्र का अवलोकन किया जाय। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) केन्द्र प्रायोजित महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक है, जिसके लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि हेतु क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। किन्तु श्रीमती चिंता देवी, जिला परिषद सदस्या–07, बोकारो द्वारा की गयी शिकायत अत्यंत गम्भीर है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा निर्देशिका में लाभुक द्वारा स्वयं या ग्रामीण एजेंसी (VWSC) के सहयोग से घरेलु व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है, जैसे – "SBM(G) Guidelines para – 5.4.3. Construction of Individual Household Latrines – Ideally the construction activities should be taken up by the individual beneficiaries themselves with support from/or through agencies in the village". VWSC द्वारा औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से ठेका देकर किसी व्यक्ति विशेष को भुगतान कर IHHL का निर्माण कराया जाना बिल्कुल गलत है। यह दिशा निर्देशिका में निहित नहीं है। विदित हो कि विभाग की भी ऐसी मंशा नहीं है। शौचालय निर्माण में लाभुकों की सहभागिता शत्प्रतिशत होनी चाहिए। ऐसे VWSC के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाय।

अतः निदेशित किया जाता है कि यथा सम्भव सम्बंधित लाभुकों को प्रेरित किया जाय कि वे स्वयं IHHL का निर्माण करें। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर IMIS में फोटो अपलोडिंग होने पर ही लाभुकों के बैंक खाता में RTGS के माध्यम से भुगतान किया जाय। पंचायत स्तर पर अवैध वसूली करने करने वाले एवं कमीशन लेने वाले पर कार्रवाई की जाय। प्रखण्ड सहायक स्वच्छता पदाधिकारी, जल सहिया, जिला समन्वयक अगर दोषी हों तो उन्हें भी चिन्हित कर उनके विरूद्ध समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

अनु0ः यथोपरि।

(राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्या : SBM(G)/शिकायत (बोकारो)–61/16 – 470 /SBM(G) दिनांक : 05-05-16.
प्रतिलिपि : सरकार के प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

5.3 Capacity Building

5.3.1 This component is for building capacities of stakeholders and sanitation workers, the Swachhata Doots/Sena, members of PRIs, VWSCs, functionaries of BPMU, DWSM, ASHA, Anganwadi workers, SHG members, masons, CSOs/NGOs etc. The training is to be on various approaches of IEC promoting Behavioural change including Triggering (CLTS), SLTS, IPC and House to House communication etc., masonry work, plumbing, as well as for construction and maintenance of toilets and for Solid and Liquid Waste Management works.

Central and State level Training Institutes ,Resource Centers /Key Resource Centers (KRCs), District Resource Centers, and empanelled NGOs/CBOs and agencies with experience in capacity building should be engaged for such trainings.

5.3.2 The Annual Action Plan of each district shall have details of the annual Capacity Building Action plan covering every GP in the district, with identification of the training institute/agency, training components and of the intended trainees, with definite timelines. The Capacity building exercise shall be monitored by district authorities, Swachhata mission of the States and at the District and State levels.

5.3.3 Funding for the Capacity Building Action plan will be from the IEC budget of upto 0.75% of each Districts total project cost, out of which 0.25% can be spent at the State level. The sharing pattern of expenditure will be in the ratio of 75:25 between GOI and the State Government.

5.4 Construction of Individual Household Latrines

5.4.1 A duly completed household sanitary latrine **shall comprise of a Toilet Unit including a substructure which is sanitary** (that safely confines human feaces and eliminates the need of human handling before it is fully decomposed), a super structure, with water facility and hand wash unit for cleaning and handwashing. The Mission aims to ensure that all rural families have access to toilets. There are various models of toilets available based on safe sanitation technologies like the Twin Pit, Septic tank, Bio toilets amongst others. The Ministry encourages the development of other safe technologies, and States shall disseminate information about available technologies and their costs to the beneficiary to enable him to make an informed choice. States can also consider the construction of 'Row' toilets and Complexes for a group of families, mainly where it is not possible to construct IHHLs. It should be ensured that the toilets constructed for Individual households meet the minimum design specifications to ensure their sustainability. Care shall be taken to ensure that these toilets are not over designed and over constructed. I.e. building extra large pits which are not required, to keep them affordable and also to prevent problems like contamination of drinking water. States have to ensure through effective communication that such tendencies are restricted. Appropriate information has to be provided to the beneficiary regarding the maintenance of the toilets provided. **The Toilets must have a superstructure acceptable to the beneficiaries,** as the poor quality of toilets constructed has been one of the main complaints against earlier sanitation programmes. Various options for the Superstructure should be explored and information about the options available provided to the beneficiary for him to choose from.

For optional design specifications of some of the onsite technologies of toilets, a Handbook on Technical Options for on-site Sanitation, issued by the Ministry may be referred at http://www.mdws.gov.in/sites/upload_files/ddws/files/pdfs/Final%20Handbook.pdf. This publication shall be updated from time to time.

5.4.2 Incentive as provided under the Mission for the construction of Individual House Hold Latrines (IHHL) shall be available for all Below Poverty Line (BPL) Households and Above Poverty Line (APL) Households restricted to SCs/STs, small and marginal farmers, landless labourers with homestead, physically handicapped and women headed households.

5.4.3 The Incentive amount provided under SBM(G) to Below Poverty Line (BPL) /identified APLs households shall be up to Rs.12,000 for construction of one unit of IHHL and provide for water availability, including for storing for hand-washing and cleaning of the toilet.

Central Share of this Incentive for IHHLs shall be Rs.9,000/- (75%) from Swachh Bharat Mission (Gramin). The State share will be Rs.3,000/-(25%). For North Eastern State, and Special category States, the Central share will be 10,800/- and the State hare Rs.1,200/- (90%: 10%). The Beneficiary is to be encouraged to additionally contribute in the construction of his IHHL to promote ownership. State Governments have the flexibility to provide higher incentive for a household toilet, for higher unit costs from sources other than SBM(G). However this additional funding cannot be from the Central share of any other Centrally Sponsored Scheme.

Special category states are those States declared as such by the Government of India from time to time, with the objective to bring these States on a par with the development levels of other states. In addition to the NE States including Sikkim, currently Uttarakhand, J&K and Himachal Pradesh are special category states.

Ideally the construction activities should be taken up by the individual beneficiaries themselves with support from/or through agencies in the village.

States shall have the flexibility to decide on the implementation mechanism to be followed in the state. The construction of household toilets may be undertaken by the individual beneficiaries themselves with support from/or through agencies in the village. *States may also decide to give the Incentives to the Individuals,* or where the community model is necessarily adopted to trigger the demand in GPs/Blocks/Districts, to Communities or to the Gram Panchayats on the achievement of community objectives.

Payment of Incentives may be either in cash or in the form of construction materials or credit vouchers for such materials. In case of Individuals being paid the incentive, if required, States may decide to provide Incentives to households in two phases, one at the pre-construction stage and the other on completion of construction and usage. However, the Community/GP incentive, if any, can only be released after the village unit is open defecation free for a significant length of time. Both of these outcomes to be measured through a robust follow up monitoring system.

Any Incentive for the IHHL, provided to the Community/GP, if given, shall be used only for sanitation activities in that area. The ultimate objective is to ensure behavior change and wean people away from open defecation.

5.4.4. All houses constructed with the central or/and state assistance should invariably have suitable sanitation facility as an integral part. Provision will be separately included in the Indira Awas Yojana Programme for provision of functional toilets for IAY houses. Till such provision is made in existing IAY arrangement for funding will be continued from the Swachh Bharat Mission (Gramin).

5.4.5 APL families not covered by the above incentives will be motivated and triggered to take up construction of the household latrines on their own. The IEC activities focusing on behaviour change

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्र संख्याः SBM(W)-98/2009(Part-II)- 742 / SBM-G,दिनांक : 01-08-16

प्रेषकः

अमरेन्द्र प्रताप सिंह, भा०प्र०से०
सरकार के प्रधान सचिव,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

Email

सभी उपायुक्त–सह– अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड।

विषयः **वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यक्तिगत शौचालयों के लक्ष्य में संशोधन एवं कार्य गति बढ़ाने के संबंध में।**

प्रसंगः **1) इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक NBA(TSC)-98/2009(Part-II)-490/SBM(G) दिनांक 13.05.2016**

2) दिनांक 26.05.2016 को मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में देय निर्देश।

महाशय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में उल्लेखित है कि पूर्व में राज्य में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए न्यूनतम लक्ष्य निम्न प्रकार रखा गया था :–

1. व्यक्तिगत शौचालय का लक्ष्य – 9,46,573
2. ODF हेतु लक्षित जिले – 7 जिला

दिनांक 26.05.2016 को मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में व्यक्तिगत् शौचालयों का न्यूनतम लक्ष्य बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया है, तद्नुरूप राज्य का संशोधित लक्ष्य 14,46,537 किया जाता है (जिलावार ODF लक्षित प्रखण्डों का लक्ष्य संलग्न)।

2. इस संबंध में जिन जिलों में दो विभागीय (प्रमण्डल) है वहाँ जिले का न्यूनतम लक्ष्य बराबर रूप से बटेगा।
3. मुख्य सचिव के निर्देशानुसार इस वर्ष ODF हेतु लक्षित जिले प्रतिमाह न्यूनतम 5000 व्यक्तिगत शौचालयों एवं शेष अन्य प्रमण्डलों, न्यूनतम 3000 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करा कर IMIS पर इन्ट्री सुनिश्चित करेंगे। जिन जिलों में दो विभागीय प्रमण्डल है वे दोनों 3000–3000 का लक्ष्य होगा।
4. IMIS पर इन्ट्री प्रत्येक महिने की दिनांक 11 से आगामी माह की दिनांक 10 तक होगी। प्रत्येक माह की दिनांक 10 को सांय 5:00 बजे जिला स्तरीय Approval भी सुनिश्चित किया जाए।
5. गत् वर्ष राज्य ने बीते वर्षों की अपेक्षा बेहतरीन प्रगति दर्ज की थी व फोटो अपलोड में देश में प्रथम रहा था; परन्तु इस वर्ष प्रथम तिमाही बित जाने पर भी अच्छे परिणाम नहीं आ पाए व फोटो अपलोड में भी हम प्रथम स्थान बरकरार नहीं रख पाए है जबकि हमें गत वर्ष की अपेक्षा चार गुणा गति से कार्य करना होगा।

कृ०पृ०उ०

6. आप INGOs जहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अथवा प्रभावी सहयोग नहीं हो पा रहा है; इसके बारे में निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (गा॰) को अवगत करावें, यदि आवश्यकता हो तो Extra Man Power hire करें जब तक प्रखण्ड/जिला स्तर पर नियमित चयन नहीं होता है, रू॰ 5000/– प्रतिमाह की दर से प्रत्येक ODF प्रखण्ड हेतु दो एवं जिला स्तर पर (जिला समन्वयक नहीं रहने पर)हेतु रू॰ 20–25 हजार पर एक व्यक्ति की सेवा ले सकते; इस कार्य हेतु उपायुक्त सक्षम होंगे।

7. मुख्य सचिव के निर्देशानुसार 18 अगस्त के पूर्व सभी लक्षित परिवारों (जिन्हें इस वर्ष शौचालय सुविधा से जोड़ना है) से स्वैच्छा से शौचालय निर्माण हेतु आवेदन भरवा कर निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा॰) को अवगत् करावें' इस हेतु पंचायत वार कैम्प का आयोजन किया जाए।

8. शौचालय निर्माण में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से मध्यस्थ/बिचौलियों की भूमिका का प्रतिबन्धित है (विभागीय पत्रांक SBM-G/IHHL स्वतः निर्माण–114/16–712/SBM-G दिनांक 25.07.2016 का पालन सुनिश्चित किया जाए अथवा मध्यस्थों को रोकने के लिए स्वतः निर्माण को अधिकाधिक प्रोत्साहित करें व शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज करावें।

9. सरकारी कर्मी/पदाधिकारी (सेवा निवृत्त सहित) राज्य/केन्द्र/राज्य के सरकारी उपक्रम तथा संविदा इत्यादि पर विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत का बिना सरकारी अनुदान के स्वतः अपने संशाधन से पूर्व निर्मित/निर्माण कराकर 15 Aug 2016, 2 Oct. 2016, 15 Nov. 2016 तक अभियान चलाकर क्रमशः चयनित ODF प्रखण्ड/सम्पूर्ण राज्य का पूर्ण कराकर, data base में प्रवृष्ठि कराकर update किया जाय एवं सम्मानित किया जाय तथा प्रमाण पत्र/शपथ पत्र दिया जाय।

10. गैर सरकारी यथा मुखिया/जलसहिया/PDS डीलर/मत्स्य मित्र/रेशम दूत/सम्पन्न कृषक/व्यापारी/ग्रामीण परिवार इत्यादि को प्रेरित कर स्व निर्माण कराया जाय एवं कंडिका–9 के अनुरूप कारवाई की जाय।

आपसे अपेक्षा है कि आप वित्तीय वर्ष 2016 के उक्त न्यूनतम लक्ष्य (संलग्न) को पूर्ण करने हेतु प्रखण्ड व ग्राम पंचायतवार योजना बना कर कार्य करेंगे। किसी प्रकार के विभागीय सहयोग हेतु आप निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा॰) अथवा राज्य समन्वयक, SBM-G (मो॰ न॰– 9608614325) से सम्पर्क कर सकते है।

आपके प्रेरक नेतृत्व से ही झारखण्ड खुले में शौच की परिपाटी से मुक्त हो सकता है।

विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु॰: यथोपरि।

विश्वासभाजन,

01/08/16

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

कृ०पृ०उ०

ज्ञाप संख्याः SBM(G)- 98/2009 (Part-II) - 742 /SBM(G) दिनांक : 01-08-16
प्रतिलिपि : सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एंव स्वच्छता अंचल,झारखण्ड/सभी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/08/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्याः SBM(G)- 98/2009 (Part-II) - 742 /SBM(G) दिनांक : 01-08-16
प्रतिलिपि : संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/राज्य समन्वयक/सभी परामर्शी/सभी INGOs (Unicef / GSF / Water Aid / WSP झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

01/08/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्याः SBM(G)- 98/2009 (Part-II)- 742 /SBM(G) दिनांक 01-08-16
प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

01/08/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्याः SBM(G)- 98/2009 (Part-II) - 742 /SBM(G) दिनांक 01-08-16
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास (पंचायती राज) विभाग, झारखण्ड सरकार/मनरेगा आयुक्त झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

01/08/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्याः SBM(G) - 98/2009 (Part-II) - 742 /SBM(G) दिनांक : 01-08-16
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार, झारखण्ड को सूचनार्थ समर्पित।

01/08/16
प्रधान सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

LIST OF TARGETED ODF BLOCKS IN FY2016-17

Sl.	District	Division	Targeted Block	Revised Minimum Targeted HHs in FY 2016-17
1	Bokaro	Chas	Bermo	81407
2	Bokaro	Chas	Chas	
3	Bokaro	Chas	Chandankiyari	
4	Bokaro	Tenughat	Gomiyo	
5	Bokaro	Tenughat	Kasmar	
6	Bokaro	Tenughat	Peterwar	
7	Chatra	Chatra	Chatra	32811
8	Chatra	Chatra	Simaria	
9	Deoghar	Deoghar	Devipur	50399
10	Deoghar	Deoghar	Sonaraithadi	
11	Deoghar	Madhupur	Palajori	
12	Deoghar	Madhupur	Margomunda	
13	Dhanbad	Dhanbad - I	Govindpur	108734
14	Dhanbad	DHanbad - II	Baghmara	
15	Dhanbad	Dhanbad - II	Dhanbad Sadar	
16	Dhanbad	Dhanbad - II	Kaliyasol	
17	Dhanbad	DHanbad - II	Purbi Tundi	
18	Dumka	Dumka - I	Kathikund	23284
19	Dumka	Dumka - II	Jama	
20	Dumka	Dumka - II	Masaliya	
21	Garhwa	Garhwa	Bardiha	32645
22	Garhwa	Garhwa	Bishunpura	
23	Garhwa	Garhwa	Meral	
24	Giridih	Giridih - I	Bengabad	92881
25	Giridih	Giridih - I	Devri	
26	Giridih	Giridih - I	Dumri	
27	Giridih	Giridih - II	Bagodar	
28	Giridih	Giridih - II	Gawan	
29	Giridih	Giridih - II	Giridih	
30	Godda	Gooda	Mahagama	83837
31	Godda	Gooda	Poreyahat	
32	Godda	Gooda	Thakurgangati	
33	Gumla	Gumla	Albert Ekka (Jari)	37325
34	Gumla	Gumla	Bishunpur	
35	Gumla	Gumla	Basia	
36	Gumla	Gumla	Sisai	
37	Hazaribagh	Hazaribagh	Barhi	148119
38	Hazaribagh	Hazaribagh	Barkagaon	
39	Hazaribagh	Hazaribagh	Barkatha	
40	Hazaribagh	Hazaribagh	Bishnugarh	
41	Hazaribagh	Hazaribagh	Chalkusha	
42	Hazaribagh	Hazaribagh	Chouparan	
43	Hazaribagh	Hazaribagh	Churchu	
44	Hazaribagh	Hazaribagh	Dadi	
45	Hazaribagh	Hazaribagh	Daru	
46	Hazaribagh	Hazaribagh	Ichak	

LIST OF TARGETED ODF BLOCKS
IN FY2016-17

Sl.	District	Division	Targeted Block	Revised Minimum Targeted HHs in FY 2016-17
47	Hazaribagh	Hazaribagh	Katkamdag	
48	Hazaribagh	Hazaribagh	Katkamsandi	
49	Hazaribagh	Hazaribagh	Keredari	
50	Hazaribagh	Hazaribagh	Padma	
51	Hazaribagh	Hazaribagh	Sadar	
52	Hazaribagh	Hazaribagh	Tatijhariya	
53	Jamtara	Jamtara	Fatehpur	80928
54	Jamtara	Jamtara	Jamtara	
55	Jamtara	Jamtara	Karmatanr Vidyasagar	
56	Jamtara	Jamtara	Kundhit	
57	Jamtara	Jamtara	Nala	
58	Jamtara	Jamtara	Narayanpur	
59	Khunti	Khunti	Arki	77593
60	Khunti	Khunti	Karra	
61	Khunti	Khunti	Khunti	
62	Khunti	Khunti	Murhu	
63	Khunti	Khunti	Rania	
64	Khunti	Khunti	Torpa	
65	Koderma	Koderma	Chandwara	67748
66	Koderma	Koderma	Domchanch	
67	Koderma	Koderma	Jainagar	
68	Koderma	Koderma	Koderma	
69	Koderma	Koderma	Markacho	
70	Koderma	Koderma	Satgawan	
71	Latehar	Latehar	Latehar	20634
72	Latehar	Latehar	Mahuadanr	
73	Lohardaga	Lohardaga	Bhandra	57468
74	Lohardaga	Lohardaga	Kairo	
75	Lohardaga	Lohardaga	Kisko	
76	Lohardaga	Lohardaga	Kuru	
77	Lohardaga	Lohardaga	Lohardaga	
78	Lohardaga	Lohardaga	Pesrar	
79	Lohardaga	Lohardaga	Senha	
80	Pakur	Pakur	Littipara	28110
81	Pakur	Pakur	Pakuriya	
82	Palamu	Palamu	Manatu	40083
83	Palamu	Palamu	Nawa Bazar	
84	Palamu	Palamu	Parwa	
85	Palamu	Palamu	Pipra	
86	Palamu	Palamu	Satbarwa	
87	Paschimi Singhbhum	Chaibasa	Chaibasa	
88	Paschimi Singhbhum	Chaibasa	Noamundi	

LIST OF TARGETED ODF BLOCKS IN FY2016-17

Sl.	District	Division	Targeted Block	Revised Minimum Targeted HHs in FY 2016-17
89	Paschimi Singhbhum	Chaibasa	Tantnagar	39486
90	Paschimi Singhbhum	Chakradharpur	Anandpur	
91	Paschimi Singhbhum	Chakradharpur	Chakradharpur	
92	Paschimi Singhbhum	Chakradharpur	Sonua	
93	Purbi Singhbhum	Adityapur	Boram	53422
94	Purbi Singhbhum	Adityapur	Patamda	
95	Purbi Singhbhum	Adityapur	Potka	
96	Purbi Singhbhum	Jamshedpur	Bahragora	
97	Purbi Singhbhum	Jamshedpur	Jamshedpur	
98	Purbi Singhbhum	Jamshedpur	Musabani	
99	Ramgarh	Ramgarh	Chitarpur	69598
100	Ramgarh	Ramgarh	Dulmi	
101	Ramgarh	Ramgarh	Gola	
102	Ramgarh	Ramgarh	Mandu	
103	Ramgarh	Ramgarh	Patratu	
104	Ramgarh	Ramgarh	Ramgarh	
105	Ranchi	Ranchi (East)	Angara	59636
106	Ranchi	Ranchi (East)	Ormanjhi	
107	Ranchi	Ranchi (West)	Itki	
108	Ranchi	Ranchi (West)	Khalari	
109	Ranchi	Ranchi (West)	Nagri	
110	Sahibganj	Sahibganj	Barhait	84666
111	Sahibganj	Sahibganj	Barharwa	
112	Sahibganj	Sahibganj	Borio	
113	Sahibganj	Sahibganj	Mandro	
114	Sahibganj	Sahibganj	Pathna	
115	Sahibganj	Sahibganj	Rajmahal	
116	Sahibganj	Sahibganj	Sahibganj	
117	Sahibganj	Sahibganj	Taljhari	
118	Sahibganj	Sahibganj	Udhwa	
119	Saraikela-Kharsawan	Saraikela	Chandil	51361
120	Saraikela-Kharsawan	Saraikela	Kharsawan	
121	Saraikela-Kharsawan	Saraikela	Saraikela	
122	Simdega	Simdega	Bano	24362
123	Simdega	Simdega	Bansjor	
124	Simdega	Simdega	Kersai	
TOTAL				**1446537**

पत्रांक– 337/P.Sec.
झारखंड सरकार,
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

प्रेषक,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव,

सेवा में,

सभी उपायुक्त, झारखंड,

सभी अधीक्षण अभियन्ता,
पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखंड,

सभी कार्यपालक अभियन्ता,
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, झारखंड।

रांची, दिनांक– 08/09/16

विषय :– झारखंड राज्य अंतर्गत विभिन्न जिलों के विभिन्न पंचायतों को विकास हेतु बालू घाटों से प्राप्त राशि के उपयोग में पंचायतों से सहयोग करने के संबंध में।

प्रसंग :– माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 09.08.16 को आयोजित बैठक, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग का ज्ञापांक–सी0एस0 / 01 बैठक (मु0 मंत्री)–08 / 2015–116, रांची, दिनांक 02.09.2016.

महाशय,

उक्त के कम में **माननीय मुख्य मंत्री** ने डी0एम0एफ0टी0 के तहत निम्न योजनाओं की राशि व्यय करने का निर्देश दिया है। उसमें से प्रथम तीन प्राथमिकताएं पेयजल विभाग से संबंधित हैं जो निम्न हैं :–

(i) घर–घर तक पाईप लाईन द्वारा शुद्ध पेयजल आपूर्त्ति की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता।

(ii) खुले में शौच से मुक्त भारत / स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांधीजी के 150वीं जयंती के अवसर पर अपने जिले के कुछ प्रखंडों को ओ0डी0एफ0 घोषित करने का प्रयास करने पर बल दें। जिले के वैसे प्रखंड की पहचान करें जो सबसे गरीब / पिछड़ा है, उसे स्वच्छ घोषित किये जाने का प्रयास करें।

(iii) बलिका विद्यालयों में सुरक्षा हेतु चाहरदीवारी का निर्माण, स्वच्छ शौचालय एवं शुद्ध पेय जलापूर्त्ति की भी व्यवस्था की जाए।

(1) आशा है कि उक्त के कम में प्रभावी कार्रवाई की जा रही होगी। कृपया उक्त के कम में मैप करके यह सूचित कर दिया जाए कि जिले के किन–किन

प्रखंड, पंचायतों का आच्छादन पेयजल एवं स्वच्छता के लिए डी0एम0एफ0टी0 के तहत किया जा रहा है। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक– दिनांक– पूर्व में भी निर्देश दिए गए हैं।

उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दिशा–निर्देश दिया है जो निम्न हैं :–

(i) सरकारी योजनाओं के निष्पादन हेतु **भूमि की उपलब्धता** आवश्यक होती है, जिसके ससमय प्राप्त नहीं होने के कारण महत्वपूर्ण योजनाएं लंबित हो रही हैं। अतः भू–अर्जन के जो मामले लंबित हैं, उन्हें 15 दिनों के अंदर गति प्रदान की जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि **पेय जलापूर्त्ति से संबंधित योजनाओं का डी0पी0आर0** पेयजल आपूर्त्ति विभाग से ही तैयार कराया जाए।

उक्त के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की जाए। कार्यवाही का संदर्भित अंश की छाया–प्रति संलग्न है।

(2) **मुख्य सचिव** द्वारा झारखंड राज्य के अंतर्गत **बालू घाटों से विभिन्न** पंचायतों से प्राप्त हो रहे जिलावार राजस्व का ब्यौरा अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की है, जिसकी छाया–प्रति संलग्न है। यह ब्यौरा सचिव उद्योग, खान **(पंचायती राज)** के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इस राशि का भी **मुखिया से समन्वय कर पेयजल एवं स्वच्छता** के तहत कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे राज्य में **पाईप वाटर सप्लाई** की संख्या बढ़ेगी। जनता को गुणवत्तापूर्ण पाईप जलापूर्त्ति हो सकेगी। ओ0डी0एफ0 पंचायत में O.D.F. sustainability प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त पंचायत का एस0बी0एम0 (जी0), स्लीप बैक, लेफ्ट ऑउट भी ओ0डी0एफ0 हेतु आच्छादित किया जा सकता है।

(3) आप अवगत हैं कि जिला/प्रखंड या पंचायत ओ0डी0एफ0 हेतु पंचायत के आंकड़ों में आई0एच0एच0एल0 (IHHL) के साथ–साथ सामुदायिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर भी adequate toilet की उपलब्धता, उपयोग सुनिश्चित होना अनिवार्य है। इस राशि से सार्वजनिक स्थलों के स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जा सकता है एवं उसके रख–रखाव की भी व्यवस्था किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

(4) **मुख्य सचिव** ने अपनी समीक्षा बैठक में यह निर्देशित करने की कृपा की थी कि **ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के साथ अगर शौचालय के साथ एक घेरा बनाकर उसे स्नानघर** के रूप में प्रयोग किया जाए। इससे महिलाओं एवं

बच्चियों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक सुविधा उपलब्ध होगी। एक अनुमान के मुताबिक इसमें अनुमानित 3.00 (तीन) हजार रू0 अतिरिक्त व्यय होने की संभावना रहती है। ऐसे पंचायत प्रखंड जहां पर डी0एम0एफ0टी0 या बालू घाटों को राशि उपलब्ध है, वहां पर इस राशि का उपयोग स्नानघर बनाने पर भी सामुदायिक सहमति से विचार किया जा सकता है।

उक्त मदों से कार्य करने हेतु पेयजल एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) से संबंधित पूर्व गाईड लाईन का उपयोग यथावत् किया जा सकता है एवं माननीय मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों का भी अनुपालन किया जाए।

(5) **संसाधन मैप का ब्लू प्रिंट तैयार कर लेना** अत्यंत आवश्यक है। इससे कार्य करने में और संसाधन को उपलब्ध कराने में तथा दीर्घकालीन योजना बनाने में काफी सहयोग मिलेगा। विभिन्न जिलों में जल गुणवत्ता के भी कतिपय मामले हैं, उसको भी मैप करके उसमें भी कार्य किया जा सकता है।

(6) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्थानीय पदाधिकारी से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ राज्य स्तर से भी अगर किसी सहयोग की आवश्यकता हो तो उसे भी प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में राज्य स्तर पर कार्यरत विभिन्न पदाधिकारियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

क0	पदनाम	दूरभाष / मो0 सं0	फैक्स सं0	ई–मेल सं0
1.	प्रधान सचिव	0651–2491410 94317–07840	0651–2491069	dwsdacs@gmail.com
2.	विशेष सचिव –सह निदेशक, ए0एन0पी0	0651–2330332 82980–96383	0651–2491069	letters.spmujhar@gmail.com
3.	निदेशक, एस0बी0एम0 (जी0)	0651–2482876 89866–06191	0651–2481593	Sdmg.jhar@gmail.com
4.	अभियन्ता प्रमुख	0651–2490920 94711–67140	0651–2491069	eicdwsd@gmail.com
5.	मुख्य अभियन्ता, पी0एम0यू0	0651–2480166 94311–01019	0651–2481593	Swsm.jharkhand@gmail.com
6.	मुख्य अभियन्ता, सी0डी0ओ0	0651–2490581 98358–77249		dwsdcdo@gmail.com
7.	अधीक्षण अभियन्ता, योजना	94313–82970	0651–2491069	Pravesh.ram@gmail.com

(7) खूंटी, सरायकेला–खरसावां, जमशेदपुर, दुमका, गढ़वा, पलामू जिले के पेयजल आपूर्त्ति योजनाओं में विशेष सचिव का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। निदेशक, एस0बी0एम0 (जी0) से स्वच्छता के संबंध में, अभियन्ता प्रमुख, मुख्य अभियन्ता,

पी0एम0यू0 से पेयजल योजना के संबंध में, मुख्य अभियन्ता, सी0डी0ओ0 से डी0पी0आर0 बनाने में सहयोग लिया जा सकता है। अधीक्षण अभियन्ता (योजना) समन्वयक का कार्य करेंगे।

(8) पेयजल की गुणवत्तां यथा–फ्लोराइड, आरसेनिक, आयरन को दूर करने के लिए मुख्य अभियन्ता, पी0एम0यू0 से समन्वय किया जा सकता है।

अनुलग्नक :–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

AP 07/9/16

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 337/P.Sec. रांची, दिनांक– 08/09/16

प्रतिलिपि :–मुख्य संचिव, झारखंड, रांची/सचिव, उद्योग, खान एवं भू–तत्व विभाग, झारखंड, रांची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखंड/निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (जी0)/विशेष सचिव–सह निदेशक, एन0एन0पी0/अभियन्ता प्रमुख/मुख्य अभियन्ता, पी0एम0यू0/सी0डी0ओ0/अधीक्षण अभियन्ता, योजना, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, रांची को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

AP 07/09/16

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव।

दिनांक 09.08.2016 को माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड की अध्यक्षता में सभी उपायुक्तों के साथ District Mineral Foundation Trust एवं अन्य विभागीय मामलों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति – संलग्न विवरणी के अनुसार।

मुख्य सचिव द्वारा माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए बैठक के प्रयोजन के संबंध में यह बतलाया गया कि District Mineral Foundation Trust के अन्तर्गत प्रत्येक जिलों में राशि प्राप्त होती है, उसके समुचित उपयोग हेतु योजना तैयार करने एवं उसके कार्यान्वयन पर सभी उपायुक्तों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री के निदेश पर सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है:–

- राज्य में District Mineral Foundation Trust (DMFT) की स्थापना 24 नवम्बर, 2015 को की गई है। इस Trust की स्थापना राज्य के सभी जिलों में की गयी है एवं इसके संचालन हेतु सभी जिलों में बैंक में खाता भी खोला गया है।
- DMFT Fund के अन्तर्गत प्राप्त होनेवाली कुल राशि का 60 प्रतिशत पेयजल, पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला कल्याण, वृद्धा एवं विकलांग कल्याण, कौशल विकास एवं स्वच्छता पर खर्च किया जाना है। प्राप्त राशि का 40 प्रतिशत भौतिक संरचना, सिंचाई, ऊर्जा, जल संचयन विकास एवं खनन जिलों में पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने पर खर्च किया जाना है।
- सभी उपायुक्तों को वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में DMFT Fund के अन्तर्गत जिलावार प्राप्त होनेवाली राशि की सूचना पूर्व में ही दी गई थी एवं निदेशित किया गया था कि प्राप्त राशि का तीन गुणा योजना तैयार कर उसे DMFT न्यास पर्षद की बैठक में पारित कराते हुए बैठक में भाग लिया जाए।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राप्त रॉयल्टी 3263.49 करोड़ रू0 में से DMFT Fund में 30% की दर से कुल 979.05 करोड़ रू0 प्राप्त होना है एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में 1076.95 करोड़ रू0 प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की गई। बैठक में यह भी बताया गया कि वर्ष 2016–17 में अबतक 181.23 करोड़ रू0 प्राप्त हो चुका है।

8/09 2016 12:25PM FAX 0001

माननीय मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निदेश दिया कि District Mineral Foundation Trust के अन्तर्गत प्राप्त राशि से निम्न कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाय :–

- घर–घर तक पाईपलाईन द्वारा शुद्ध पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
- खुले में शौच से मुक्त भारत/स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत गाँधीजी के 150वीं0 जयंती के अवसर पर अपने जिले के कुछ प्रखण्डों को ODF घोषित करने का प्रयास करने पर बल दें। जिले के वैसे प्रखण्ड की पहचान करें जो सबसे गरीब/पिछड़ा है, उसे स्वच्छ घोषित किये जाने का प्रयास करें।
- बालिका विद्यालयों में सुरक्षा हेतु चहारदिवारी का निर्माण, स्वच्छ शौचालय एवं शुद्ध पेयजलापूर्ति की भी व्यवस्था की जाए।
- कुपोषण की समस्या को कम करने की दिशा में समुचित प्रयास किया जायें। राज्य के चिन्हित 12 जिलों में गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार देने एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाए।
- जिन योजनाओं के लिए निर्धारित बजटीय उपबंध के तहत विभागों से राशि प्राप्त होती है, उन योजनाओं पर DMFT के अन्तर्गत प्राप्त होनेवाली राशि को व्यय नहीं किया जाए।
- DPR तैयार करने के लिए परामर्शी नियुक्त किया जाए ताकि अच्छा एवं स्तरीय काम हो सके।
- आदिवासी विकास परिषद की बैठक 15 अगस्त, 2016 तक अवश्य करायी जाए। जनजातीय प्रतिनिधि, किसान, असंगठित मजदूर एवं बुजूर्गों से बात कर उनके सुझाव प्राप्त किये जायें तथा नियमानुसार कार्यान्वित कराया जाए।

बैठक में मुख्य सचिव द्वारा भी निदेश दिया गया कि सरकारी योजनाओं के निष्पादन हेतु भूमि की उपलब्धता आवश्यक होती है, जिसके ससमय प्राप्त नहीं होने के कारण महत्त्वपूर्ण योजनाएँ लम्बित हो रही है। अतः भू–अर्जन के जो मामले लम्बित है, उन्हें 15 दिनों के अन्दर गति प्रदान की जाए।

साथ ही यह भी निदेश दिया कि पेयजलापूर्ति से संबंधित योजनाओं का DPR पेयजल आपूर्ति विभाग से ही तैयार कराया जाए। सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग को यह भी निदेश दिया कि DMFT के अन्तर्गत प्राप्त होनेवाली राशि विभाग को आवंटित किए जाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाए।

- जिला योजना अनाबद्ध निधि के तहत मार्गदर्शिका के अनुरूप योजना लेना सुनिश्चित किया जाए। सभी जिला इस वर्ष हुई जिला योजना समिति की कार्यवाही विभाग को प्रेषित करें।

अंत में मुख्य सचिव महोदया ने सभी उपायुक्तों को निदेशों के अनुरूप कार्रवाई करने एवं timeline fix करने का निदेश दिया ताकि आगामी राज्यस्तरीय बैठक में सभी विचारणीय बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

अन्त में सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

ह०/-
(राजबाला वर्मा)
मुख्य सचिव, झारखण्ड

झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

ज्ञापांक-- सी०एस०-01/बैठक (मु0 मंत्री)-08/2015 1116/ रांची, दिनांक 02 सितम्बर 2016 ई०।

प्रतिलिपि- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव कार्यालय के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/09/16
(जितबाहन उरांव)
विशेष कार्य पदाधिकारी

झारखण्ड सरकार

उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग

(खान निदेशालय)

झारखण्ड राज्य अन्तर्गत जिलावार बालूघाटो से संबंधित विवरणी।

क्र0सं0	जिला का नाम	बालूघाटों की संख्या	नीलामी किए गए बालू घाटों की सख्या	नीलामी हेतु शेष बचे बालू घाटों की संख्या	नीलाभो की राशि (लाख रू0)	तैयार माईनिंग प्लान की संख्या	प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति की संख्या	एकरारनामा की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राँची	32	27	5	**1710.23**	22	12	12
2	खूँटी	24	22	2	**181.26**	21	17	12
3	लोहरदगा	20	11	9	**135.57**	11	9	9
4	गुमला	43	30	13	**27.63**	24	16	16
5	सिमडेगा	18	18	0	**65.59**	13	8	6
6	चाईबासा	14	12	2	**462.22**	11	11	4
7	जमशेदपुर	40	32	8	**1595.00**	27	15	9
8	सरायकेला	32	23	9	**1923.48**	21	17	16
9	धनबाद	19	19	0	**1479.66**	17	9	6
10	बोकारो	38	38	0	**14.50**	37	29	24
11	गिरिडीह	31	28	3	**678.02**	28	24	14
12	पलामू	63	36	27	**1890.52**	31	18	
13	लातेहार	23	20	3	**57.91**	13	7	2
14	गढवा	49	19	30	**14.82**	19	16	4
15	हजारीबाग	42	42	0	**775.13**	42	27	1
16	रामगढ़	15	15	0	**1032.35**	12	11	9
17	चतरा	22	21	1	**1201.14**	17	17	1
18	कोडरमा	24	24	0	**125.51**	23	5	8
19	देवघर	25	25	0	**2071.76**	25	24	24
20	दुमका	20	20	0	**17.92**	20	18	16
21	जामताड़ा	15	14	1	**470.00**	14	8	7
22	गोड्डा	38	38	0	**299.03**	38	25	24
23	साहेबगंज	12	11	1	**99.00**	9	4	3
24	पाकुड़	12	12	0	**294.02**	12	12	0
	कुलः–	**671**	**557**	**114**	**16622.27**	**507**	**359**	**227**

• L.E.D — Lights.

कार्यालय, निदेशक

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची
डोरंडा बाजार पानी टंकी परिसर, प्रथम तल, डोरंडा बाजार, राँची–834002 फैक्स नं.–0651–2481593 Email-sbm.jhar@gmail.com

पत्र संख्या: Sanitary Complex-462/12(P-I)-1362 / SBM-G दिनांक : 26/12/16

प्रेषक: **राजेश कुमार शर्मा,** (भा०प्र०से०)
निदेशक, SBM(G)
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

1. **सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष**
   जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड
   (साहेबगंज जिला छोड़कर)।

2. **सभी कार्यपालक अभियंता–सह– सदस्य सचिव**
   जिला जल एवं स्वच्छता मिशन प्रकल्प, झारखण्ड
   (साहेबगंज जिला छोड़कर)।

विषय: SBM(G) **के तहत राजमार्गो पर सामुदायिक शौचालय के निर्माण के संबंध में।**

प्रसंग : पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पत्र संख्या– 7/बजट–01–01/2016–5662 दिनांक 15.12.16

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि निम्न बिन्दुओं पर प्रतिवेदन अपेक्षित है –

(1) अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले प्रमुख राजमार्गो पर सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु स्थल चयन कर उसकी सूची भेजी जाय।

(2) आपके जिले में ऐसे सभी प्रखण्ड जो 31.12.2017 तक ODF हो जाएगें इसकी सूची अविलम्ब भेजी जाए ताकि माननीय प्रधान मंत्री से इस संबंध में दिनांक 05.01.2017 के प्रस्तावित साहेबगंज दौरा में इसकी घोषणा करायी जा सकें।

उपर्युक्त प्रतिवेदन/सूची अधोहस्ताक्षरी को 3 दिनों के अंदर उपलब्ध करायी जाए।

विश्वासभाजन,
26/12/16

(राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

कृ०पृ०उ० ......

ज्ञाप संख्या: Sanitary Complex-469/12(P-2)-1362 SBM(G) दिनांक :26/12/16
प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/12/16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञाप संख्या: Sanitary Complex-469/12(P-2)-1362 SBM(G) दिनांक :26/12/16
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

26/12/16

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

पत्रांक– 7/स्व0भा0मि0(ग्रा0)-01-01/2016-5662 राँची, दि0– 15/12/16

प्रेषक,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0),
झारखण्ड, राँची।

विषयः राजमार्गों पर सामुदायिक शौचालय के निर्माण के संबंध में।

प्रसंग :– दिनांक 14.12.16 को मा0 मुख्य मंत्री द्वारा बजट समीक्षा बैठक में दिए निर्देश।

महाशय,

उक्त के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से बजट पूर्व विमर्श के क्रम में निम्न सुझाव प्राप्त हुए हैं :–

अतः निर्देश है कि उक्त निदेश के क्रम में संबंधित उपायुक्त से समन्वय कर सभी प्रमुख राजमार्गों पर स्थल चयन कर सूची प्राप्त कर लें। साथ ही साथ उसके मानक निर्धारित कर एक प्राक्कलन तैयार किया जाय ताकि कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके। इस संबंध में यथाशीघ्र कार्रवाई पूर्ण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बिन्दु पर त्वरित कार्य प्रारंभ का निदेश दिया है।

(2) 5 जनवरी, 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी का साहेबगंज दौरा निर्धारित है। साहेबगंज के 3 प्रखण्ड को ODF हेतु चयनित किया गया है। आप व्यक्तिगत रूप से साहेबगंज जाकर कार्य का निरिक्षण करें उसे गतिशीलता प्रदान करे ताकि तीनों प्रखण्डों को ODF Certificate माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से दिया जा सके।

(3) राज्य के ऐसे सभी प्रखण्ड जो 31 दिसम्बर 2017 तक ODF हो जायेंगे। उसकी सूची प्राप्त कर लें ताकि उसकी भी घोषणा माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा किया जा सके।

विश्वासभाजन

15/12/16
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 5662 राँची, दिनांक– 15/12/16

प्रतिलिपि :– सभी उपायुक्त, झारखंड/सभी कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/12/16
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

कार्यालय निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड राँची
प्राप्ति सं0 1180 दिनांक 15/12/16

निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड — 15 DEC

कार्यालय, निदेशक

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची
डोरंडा बाजार पानी टंकी परिसर, प्रथम तल, डोरंडा, राँची 834002 फैक्स/न. 0651–2481593 email-sbmg.jhar@gmail.com

पत्र संख्या: SBM(G)-98/2016 (Part-III) – 19 /SBM(G) दिनांक : 07-01-17

प्रेषक: राजेश कुमार शर्मा, भा0प्र0से0
निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

1. सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
   जिला जल एवं स्वच्छता समिति, झारखण्ड।
2. सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव
   जिला जल एवं स्वच्छता मिशन "प्रकल्प" झारखण्ड।

विषय: **वन भूमि को गैर वानिकी उद्देश्य में उपयोग हेतु Forest (Conservation) Act, 1980 में परिवर्तन सम्बंधित दिशा निर्देश के सम्बंध में।**

प्रसंग: **अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का पत्रांक– S-11020/36/2015-SBM, दिनांक 15.12.16.**

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयांतर्गत प्रसंगाधीन पत्र के सम्बंध में सूचित करना है कि लोक हित में सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु Ministry of Environment, Forest & Climate Change (Forest Conservation Division), भारत सरकार का वन भूमि को गैर वानिकी उद्देश्य में Diversion करने सम्बंधित पत्र पत्रांक– F.No.11-09/1998-FC(Pt.) दिनांक 8 नवम्बर, 2016 के द्वारा दी गई है। सम्बंधित पत्र की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अत्र संलग्न की जा रही है।

अनु0: यथोपरि।

विश्वासभाजन,
7/1/17
(राजेश कुमार शर्मा)
निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

ज्ञापांक: SBM(G)-98/2016 (Part-III) – 19 /SBM(G) दिनांक : 07-01-17

प्रतिलिपि: सभी अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

7/1/17
निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

कृ0 पृ0 उ0.....

ज्ञापांकः SBM(G)-98/2016 (Part-III) – 19 /SBM(G) दिनांक : 07-01-17

प्रतिलिपिः सरकार के प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

7/1/17

निदेशक, SBM(G)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग।

कार्यालय निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा०)
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड राँची
डायरी सं० 1117 दिनांक 15/12/2016

निदेशक कार्यालय, SBM (G)
15 DEC 2016
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड

No. S-11020/36/2015-SBM
Government of India
Ministry of Drinking Water and Sanitation
Swachh Bharat Mission (Gramin)

12th Floor, ParyavaranBhawan
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi-110 003
Dated 15.12.2016

To

The Principal Secretary/ Secretary
in-charge of Rural Sanitation,
All States/ UTs

Subject: - Diversion of forest land for non-forestry purposes under Forest (Conservation) Act, 1980 – Guidelines for construction of community toilet for the benefit of the people – reg.

Sir,

I am directed to forward guidelines issued by Ministry of Environment, Forests & Climate Change on the above mentioned subject for information and necessary action.

Yours faithfully,

(Sunil Kumar)
Under Secretary to the Government of India

Copy to: - 1) SBM (G) State coordinator, all States
2) TD (NIC) for hosting on website
3) Hindi Section for Hindi translation

F. No. 11-09/1998-FC (Pt.)
Government of India
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
(Forest Conservation Division)
****

Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Raod, Aliganj,
New Delhi: 1100 03,
Dated: 8th November, 2016.

To

The Principal Secretary /Secretary (Forests),
All State / UT Governments.

Sub.: Diversion of forest land for non-forestry purposes under Forest (Conservation) Act, 1980 – Guidelines for construction of community toilet for the benefit of the people-reg.

Ministry of Environment & Forests at New Delhi has received proposals from Maharashtra, seeking general approval of the Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land for construction of community toilet in rural and urban areas under *Swachh Bharat Abhiyan* of the Government of India which involve wholly or partly the forest land for the benefit of the people.

The Ministry has examined the issue of granting general approval to the State Government under section 2(ii) of Forest Conservation Act 1980 for construction of government approved community toilet involving forest land up to 1.00 ha.

I am directed to convey the general approval of Central Government under section 2(ii) of F C Act 1980 granted for construction of government approved community toilets on land involving partly or fully the forest lands (Government, private and deemed and other forests) not exceeding 1.00 ha of forest land subject to approval of gram panchayat in rural areas and urban local body in urban areas to utilise the forest land on the following condition.

The general approval shall be subject to fulfilment of following conditions.

1. ~~The forest land to be diverted for community toilet should be less than one hectare in each case.~~
2. The clearance shall be subject to the condition that the same is need based. The concerned Divisional Forest Officer shall assess the bare minimum requirement of the forest land for the project, which shall not exceed one hectare in each case and will also certify to this effect.
3. The legal status of the land shall remain unchanged i.e., shall remain Reserved / Protected / Village / Un-classed other types of forests/forest as the case may be.

4. The User Agency shall submit the project proposal to the State/UT Government in the prescribed format online with DGPS coordinates of each individual community toilet to be constructed
5. The project should not involve felling of more than fifty (50) trees per hectare. Corresponding permissible limit of maximum number of trees to be felled for the forest area diverted, shall be in proportion to the extent of the diverted area.
6. The concerned Divisional Forest Officer shall assess the bare minimum requirement of the forest land for the project, which shall not exceed one hectare in each case and will also certify to this effect.
7. The User Agency will seek permission for diversion of forest land duly recommended by Principal Chief Conservator of Forests, from the State/UT Government.
8. The Nodal Officer (Forest Conservation) shall submit monthly report to the concerned Regional Office by 5th of every month regularly regarding approval of such cases. In the event of failure, the exercise of power by the State/UT Government to grant such permission may be suspended by the Central Government for a specified period of time or till the information is submitted.
9. The User Agency shall plant and maintain two times the number of trees felled on the diverted land to maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose will be identified by the State Forest Department (preferably within or in the surrounding area of the project). Only indigenous forest tree species shall be used for such plantations. Trees, if planted on the diverted area, will not be felled without the permission of the State Forest Department. Trees, planted in surrounding area, will belong to State Forest Department.
10. The compensatory levies such as NPV and Compensatory Afforestation cost (at least 1000 plants per ha or 10 times the tree to be felled, whichever is greater to be planted in the degraded forest identified by the Forest Department) and other charges as specified in FC approval letter shall be borne by the authority who applies for diversion under FC Act.
11. The User Agency shall be responsible for any loss to the flora and fauna in the surroundings and therefore shall take all possible measures to conserve the same.
12. The permission granted by the State Government shall be subject to the monitoring by the concerned Regional Office of the Ministry of Environment and Forests.
13. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal. Any change in the land use without prior permission of the Central Government shall amount to the violation of Forest (Conservation) Act, 1980.
14. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal. Any change in the land use without prior permission of the Central Government shall amount to the violation of Forest (Conservation) Act, 1980. Request for such changes shall be made to the Regional Officer by the Nodal Officer (Forest Conservation) of the State/UT.

08/11/16

15. The State Forest Department, State Government, or the concerned Regional Office may impose from time to time any other condition in the interest of conservation, protection and or development of Forests.

It may also be noted that this general approval under Section-2 of Forest (Conservation) Act, 1980 is subject to the NOC issued by competent authority under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

The general prior approval is not extended to forest land in National Parks and Wildlife Sanctuaries and other protected areas under Wildlife Protection Act 1972.

Since the community toilet will be required in several locations within the administrative control of the government and urban local body, separate application under FC Act will require lot of paper work therefore the competent authority in Government/ Urban local bodies may get approval of all proposed community toilets, each not exceeding 1.00 ha at a place, as per plan and duly approved by the competent authority in Government by applying online collectively specifying the location, lay out plan and area in each case as per the procedure prescribed under Forest Conservation Rules and guidelines issued from time to time by MoEF & CC. Once the forest clearance is granted by the state under general approval under section 2(ii) of FC Act, the community toilet may be developed by agencies involved in construction and maintenance of community toilet to whom the competent authority in Government/ Urban local bodies may assign.

However the general prior approval under section 2(ii) of FC Act 1980 for construction of community toilet granted to the state government by this circular may be further delegated by the state government to officer in the Forest Department not below the rank of the Nodal officer (Forest Conservation), for granting approval under section 2(ii).

This issues with the approval of the competent authority.

Yours Faithfully,

(Rajagopal Prashant)
Sr. Assistant Inspector General of Forests (FC)

Copy to:-

1. Prime Minister's Office (*Kind attn.:* Sh. Ajit Kumar, Deputy Secretary), South Block, New Delhi
2. Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.
3. Secretary, Ministry of Rural Development, Government of India, New Delhi.
4. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UT Governments.
5. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, all State/UT Governments.
6. All Regional Offices, Ministry of Environment Forests and Climate Change, GoI.

7. Joint Secretary in-charge, Impact Assessment Division, MoEF & CC.
8. All Assistant Inspector General of Forests/ Director in the Forest Conservation Division, MoEF & CC.
9. Dy. Secretary R.O. (HQ), Ministry of Environment Forests and Climate Change, Government of India, New Delhi.
10. Sr. Director (Technical), NIC, MoEF & CC with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.
11. Sr. PPS to the Secretary, Ministry of Environment Forests and Climate Change, GoI.
12. Sr. PPS to the Director General of Forests & Special Secretary, MoEF & CC, GoI.
13. Sr. PPS to the Addl. Director General of Forests (Forest Conservation), MoEF & CC, GoI.
14. PS to the Inspector General of Forests (Forest Conservation), MoEF & CC, GoI.
15. Guard File.

08/11/16

(Rajagopal Prashant)
Sr. Assistant Inspector General of Forests (FC)

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड सरकार